मैं भी नारी हूँ
मुस्लिम महिलाओं का न्याय,
सम्मान और समानता के लिए संघर्ष

मैं भी नारी हूँ

मुस्लिम महिलाओं का न्याय, सम्मान और समानता के लिए संघर्ष

सम्पादक मण्डल

सम्पादकीय सलाहकार

प्रो. राकेश सिन्हा

मानद निदेशक, भारत नीति प्रतिष्ठान
सांसद, राज्यसभा

समन्वयक व मुख्य सम्पादक

डॉ. गीता भट्ट

भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस,
दिल्ली विश्वविद्यालय

सम्पादक

डॉ. आलोक शर्मा

कानून संकाय,
दिल्ली विश्वविद्यालय

अम्बर ज़ैदी

फिल्म निर्माता और सामाजिक
कार्यकर्ता

सह-सम्पादक

अर्चना पाठक दवे

अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय (भारत)

अंकिता चौधरी राठी

अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय (भारत)

भा.नी.प्र. शोध दल

डॉ. राहिल अहमद, जयपुर विश्वविद्यालय
राम विलास यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय
राजेश्वर कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय
अनन्या सान्याल, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय
अभिनीत कालिया, सिंबाइसिस लॉ कॉलेज, नोएडा

सहयोगी

अवनीश कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय
विवेक गौड़, दिल्ली विश्वविद्यालय
मैत्रेय पृथ्वीराज घोरपडे, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि वि.वि
तारिका सिंह, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय
शैलेन्द्र गायकवाड़, पुणे विश्वविद्यालय
ऐश्वर्या टंडन, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रकाशक
भारत नीति प्रतिष्ठान
नई दिल्ली-110016
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : indiapolicyfoundation.org

© भारत नीति प्रतिष्ठान

संस्करण
प्रथम, सितम्बर 2018

मूल्यः 150/-

ISBN : 978-93-84835-26-2

आवरण सज्जा : साजन सिंह, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी
आवरण चित्र : रहनुमा, तीन तलाक पीड़िता
पृष्ठ सज्जा : अभिनीत कालिया, सिमबायोसिस लॉ कॉलेज, नोएडा

मुद्रक :

अनुक्रम

1 विशेष आभार

2 आभार

3 प्राक्कथन 1

4 शब्दावली 3

5 भूमिका 4

6 3 तलाक की 25 अनकही कहानियाँ 8

7 साहस और दृढ़ता की त्रिमूर्ति 55

8 तीन तलाक और मुस्लिम समुदाय 62

9 तीन तलाक का वैश्विक तुलनात्मक अध्ययन 67

10 न्यायपालिका और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार 72

11 एक ऐतिहासिक निर्णय : महिला अधिकार की ओर पहल 77

12 उर्दू प्रेस की रूढ़िवादिता : लैंगिक भेदभाव को वैधता 79

13 उर्दू प्रेस की विचार भिन्नता 80

14 समान अधिकार की अभिलाषा - एक निरंतर संघर्ष 82

15 नागरिक समाज की अभिव्यक्ति 84

16 रूढ़िवादिता का प्रतिकार 87

परिशिष्ट

शोध प्रविधि 90

जनहित याचिका 91

भा.नी.प्र. दल द्वारा लिए गए तीन तालक पीड़िताओं के साक्षात्कार की सूची 92

विशेष आभार

राजस्थान विश्वविद्यालय की लाईफ लांग लर्निंग विभाग की निदेशक (सेवानिवृत्त) **डॉ. शीला राय** एक प्रख्यात् समाज विज्ञानी हैं जो सीमांत महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई अथक रूप से लड़ती रही हैं। उन्होंने तलाक पीड़ित महिलाओं के एक बड़े तबके को अपना नि:स्वार्थ सहयोग दिया है।

अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एक ऐसे अधिवक्ता हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से पिछले 15 वर्षों से उत्तराखण्ड में बेघर और सीमांत महिलाओं को न्याय दिलाने की अथक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सहयोग के कारण हमें ग्रामीण क्षेत्रों में कई पीड़ित महिलाओं की व्यथा जानने और समझने का अवसर मिला। वर्तमान में वे उत्तराखंड, हरिद्वार जिले के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सचिव हैं।

समीना बेगम तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को एकजुट रखने और उनको हर मुकाम पर मुस्तैदी के साथ नैतिक समर्थन देने में लगी हुई हैं। अपने धैर्य और नेतृत्व करने के गुण के चलते वह हमेशा ही अपने समुदाय की पीड़ित महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे रही हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में बहुविवाह और हलाला के विरूद्ध जनहित याचिका दायर की है।

आभार

भारत नीति प्रतिष्ठान, मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी की अध्यक्षा सुश्री **निशात हुसैन** को इस दस्तावेज के तैयार करने में उनसे मिले प्रयास और सहयोग का आभारी है। यह संस्थान सुश्री **नसीम अख्तर** का भी आभारी है जिन्होंने अपनी बहन से हमारा परिचय कराया, जो तीन तलाक की पीड़ित मुस्लिम महिला है। वह तीन तलाक को कानून की नजर में असंवैधानिक घोषित करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले गुहार लगाने वाली महिलाओं में से एक हैं। भारत नीति प्रतिष्ठान सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता **ऐश्वर्या भाटी** के प्रति भी आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने इस दस्तावेज को तैयार करने में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

प्राक्कथन

प्रगतिशीलता के नाम पर आजादी से पूर्व और बाद में अनेक प्रकार की मुहिमें छेड़ी गई जिनका उद्देश्य भारतीय समाज में उपस्थित बुराईयों पर सीधा प्रहार था। इसमें अनेक स्तरों पर सफलता भी मिली जिसने समाज को जकड़नों से बाहर करने का काम किया। आजादी से पहले राजा राममोहन राय का सती प्रथा के विरूद्ध अभियान और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का विधवा विवाह के समर्थन में चलाया गया सुधार उपक्रम, स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा कर्मकांड के प्रति जनजागृति जैसे कुछ उल्लेखनीय कदमों ने भारतीय समाज की तस्वीर को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ऐसे सभी प्रयासों को सामाजिक-रूढ़िवादियों, धार्मिक यथास्थितिवादियों एवं संकीर्णतावादियों को सांस्कृतिक सोच के लोगों से निरंतर टकराव का सामना करना पड़ा। 1933-34 में जब महात्मा गाँधी ने अस्पृश्यता के विरूद्ध एक यात्रा निकाली जो तब 'हरिजन यात्रा' के नाम पर प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने लगभग साढ़े बारह हजार मील की यात्रा की। उन्हें भी अनेक स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए। लेकिन भारतीय समाज की सामान्य चेतना इन प्रतिकारों को नकारती रही और आधुनिकता और समाज के विकासोन्मुख आवश्यकताओं के साथ खड़ी रही।

इसी कारण से भारतीय समाज में संवैधानिक या संविधानेत्तर सुधार का जब भी प्रयास हुआ तो प्रतिकार करने वाली ताकतों को परास्त होना पड़ा। लेकिन एक यक्ष प्रश्न समाज के सामने है। 'भारतीय समाज' में सुधार का तात्पर्य क्या है? क्या सुधार के प्रयास या कथित प्रगतिशीलों के अभियान हिन्दू समाज तक ही सीमित नहीं रहा है? ऐसा होना जरूर स्वाभाविक और सकारात्मक रहा है क्योंकि हिन्दू समाज के भीतर बुराइयों से लड़ने की चेतना एवं समय और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की असीमित ऊर्जा है। यह एक प्रयोगधर्मी समाज जीवन का सबसे बड़ा लक्षण होता है। लेकिन समाज के दूसरे धार्मिक समुदायों विशेषकर, मुस्लिम समुदाय ने इन सुधारों और संवैधानिक प्रयासों से अपने आप को अलग रखा और आजादी के बाद के सरकारों ने भी उसकी तरफ कदम बढ़ाने को साम्प्रदायिकता मान लिया। यहाँ तक कि न्यायालयों के लगातार निर्णयों के बावजूद सरकारों ने मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में कोई भी निर्णायक कदम नहीं उठाया। जब हिन्दू कोड बिल पचास के दशक में लाया गया तो लगातार यह माँग होती रही कि मुस्लिम महिलाओं को भी हिन्दू महिलाओं की तरह समान अधिकार और सम्मान प्रदान किया जाए। परन्तु पंडित नेहरू की सरकार ने अपनी 'प्रगतिशीलता' को सीमित रखा और चौखट से बाहर कदम रखने का साहस नहीं दिखाया।

तब संसद में विमर्श के दौरान समाजवादी आचार्य जे.बी. कृपलानी ने नेहरू सरकार पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय राज्य भी साम्प्रदायिक राज्य की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब हिन्दू महिलाओं के लिए कानून आवश्यक है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए क्यों नहीं? यह प्रश्न न सिर्फ अनुत्तरित रहा बल्कि सुधार का विरोध करने वालों के पक्षधरों की संख्या राजनीति में बढ़ती चली गई। मुस्लिम महिला पक्षधरता न्यायालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के चौखटों तक सिमट गया। बदलाव, सुधार कानून के किसी भी प्रयास को इस्लाम पर खतरा बताया जाता रहा और देश की कथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति का वह मुरब्बा बन गया। 1986 में शाहबानो के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रतिक्रियावाद के साथ भारतीय राज्य खड़ी रही। देश तब स्तब्ध था। कट्टरपंथियों के सामने सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को राजीव गाँधी सरकार ने निरस्त कर दिया। प्रगतिशीलता का डंका पीटने वाले तमाम बुद्धिजीवी या तो कन्नी काटते रहे अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो गए। अबलापन का यह सामुहिक रूप पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक शोषण, उपेक्षा एवं सम्मान पर प्रहार उनकी

प्रगतिशीलता को नहीं झकझोर पाया। वास्तव में भारत की वाम और नेहरूवादी प्रगतिशीलता में सांस्कृतिक समन्वय और संवेदनशीलता का कोई स्थान है ही नहीं। पिछले कुछ वर्षों से पीड़ित और प्रताड़ित मुस्लिम महिलाओं ने जो सुधार की माँग को लेकर कदम बढ़ाया वह अपने-आप में एक लघु क्रांति है। इसने चौकाने वाला परिणाम दिया है। राजनीतिक पार्टियाँ और कट्टरपंथी दोनों ही इस मुहिम के सामने प्रतिकार की ताकत नहीं बन पाए। नरेन्द्र मोदी सरकार के इस संकल्प ने, कि जाति और सम्प्रदायों से आगे बढ़कर राज्य सामाजिक सुधार को अंजाम देगा, पीड़ित महिलाओं को मानसिक और नैतिक समर्थन देने का काम किया।

इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन (भारत नीति प्रतिष्ठान) ने इस सामाजिक और वैधानिक अभियान में अकादमिक और सामाजिक स्तर पर अपनी भागीदारी दिखाई। अनेक सेमिनार और साक्षात्कारों के द्वारा उस आवाज को नीतिगत रूप दिया गया। तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं से शोधकर्ताओं ने लगातार सम्पर्क कर उन्हें प्रतिष्ठान में आमंत्रित किया। उनका वृतांत सिर्फ व्यक्तिगत उतार-चढ़ाव का वृतांत नहीं होकर मुस्लिम समाज में तीन तलाक के कारण महिलाओं के शोषण और उनकी पीड़ा का प्रतिबिम्ब है।

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ने तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित कर, मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक समानता की पहली सीढ़ी प्रदान की। भारत सरकार ने इस उपक्रम को आधार मान हाल ही में तीन तलाक को दण्डनीय बनाने वाले विधेयक का अध्यादेश पारित किया है। शाहबानो द्वारा प्रारम्भ न्याय और समानता के लिए की गई गुहार को तीन दशकों बाद आशा की किरण दिखाई दी है। आशा है कि मुस्लिम समाज इसे सकारात्मक कदम मानकर, अपनी सामाजिक परम्पराओं से उत्पन्न विषमताओं का त्याग करने का बीड़ा उठाएगी।
यह दस्तावेज महिला पक्षधरता और संवैधानिक अधिकार की गुहार का एक जीवंत चित्रण की तरह है जो हमें समाज के अंतिम व्यक्ति के वास्तविक जीवन के यथार्थ तक ले जाता है।

25 सितम्बर, 2018 **-प्रो. राकेश सिन्हा**

शब्दावली

निकाह : यह अरबी भाषा का एक शब्द है, जो 'विवाह' के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होता है। इस्लाम में विवाह दो लोगों के बीच एक कानूनी अनुबंध की तरह है। इसमें वर और वधु को विवाह के लिए स्वेच्छा से सहमति देनी होती है।[1]

निकाहनामा : यह उर्दू भाषा का एक शब्द है। यह इस्लामिक विवाह का एक सामान्य अनुबंध है, जिसके तहत वर, वधु और विवाह में शामिल परिजनों को उनके अधिकारों और जिम्मेवारियों को एक स्वरूप प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में 'निकाहनामा' एक ऐसा अनुबंध है जो दोनों पक्षों के बीच निकाह के अवसर पर कार्यान्वित किया जाता है।[2]

मेहर : इस्लाम के अंतर्गत मेहर एक निश्चित रकम होती है या संपत्ति होती है, जो विवाह के समय किसी लड़की का होने वाला शौहर या उसके परिवार द्वारा दी जाती है या देने का वचन दिया जाता है जो कि कानूनी तौर पर उसकी सम्पत्ति मानी जाती है।[3]

तलाक : इस्लामी कानून में 'तलाक' का तात्पर्य एक पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी के परित्याग से संबंधित है। इसके तहत वह स्पष्ट रूप से 'तलाक' शब्द का उच्चारण करता है। तीन बार 'तलाक' शब्द को पति के द्वारा उच्चारित करने के साथ ही 'तलाक' की प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। इस प्रक्रिया में, पत्नी की सहमति को आवश्यक नहीं माना गया है।[4]

हलाला : हलाला एक इस्लामी विवाह है जो मुख्यतः सुन्नी मुसलमानों के कुछ सम्प्रदायों द्वारा किया जाता है। इसमें एक तलाकशुदा महिला को किसी अन्य पुरूष से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद वह उस पुरुष के साथ विवाह की 'प्रक्रिया' पूरी करने पर ही उससे तलाक ले सकती है। इसके बाद ही वह अपने पहले पति से पुनर्विवाह कर सकती है।[5]

उलेमा : उलेमा अरबी भाषा के एक शब्द 'उलामा' से बना है। उलामा या उलेमा का शाब्दिक अर्थ विद्वान होता है। मूल अर्थ में उलेमा का आशय तकरीबन सभी मुस्लिम रीति-रिवाजों के जानकार होने से है। सुन्नी इस्लाम के विशेष संदर्भ में उलेमा को इस्लामी सिद्धांतों एवं कानूनों के जानकार, व्याख्याता, प्रचारक एवं संरक्षक के रूप में देखा जाता है।[6]

काज़ी : कादी या काज़ी इस्लाम धर्म के वैधानिक जानकार होते हैं। काज़ी लोग मुस्लिम शरिया कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जो कि गैर-न्यायिक संस्था होती है। वे सार्वजनिक कार्यों का निरीक्षण, अनाथों एवं नाबालिगों का संरक्षण और मध्यस्थता जैसे कार्यों का ऑडिटिंग भी करते हैं।[7]

शरिया : शरिया अरबी भाषा का शब्द है, जिसका इस्तेमाल इस्लामी कानून के संदर्भ में किया जाता है। इसे 'अल्लाह के कानून' के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रकार से यह मुसलमानों की आचार संहिता है। इस कानून का उल्लेख दो स्रोतों से होता है। पहला, इस्लाम का धर्मग्रन्थ कुरान और दूसरा, इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद द्वारा दी गई सुन्नाह और मिसालों से।[8]

भूमिका*

समानता, न्याय और सम्मान किसी भी सभ्य समाज के तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। मानव सभ्यता का इतिहास इन तत्वों के रेखांकन द्वारा उत्तरोत्तर सभ्य समाज को समृद्ध करने का इतिहास रहा है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय हमारी सभ्यता के आधारभूत विचार हैं। जब कभी भी हमारे समाज में धर्मांधता और रूढ़िवादिता का वर्चस्व बढ़ता है, तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के ये आधारभूत विचार ही सामाजिक संरचना में सुधारात्मक उपाय एवं प्रगतिशील परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं।

हम इस बात के साक्षी रहे हैं कि सती प्रथा, बाल-विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जैसी कुरीतियों ने हमारे समाज की प्रगतिशीलता को अवरूद्ध कर रखा था। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने लैंगिक विभेद को खत्म करने के संकल्प के साथ लैंगिक-न्याय को स्थापित करने के लिए हिन्दू क़ानूनों को संहिताबद्ध करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाया। यह एक ऐसा मोड़ था जहां तथाकथित धर्मनिरपेक्ष एवं प्रगतिशील नेताओं ने किसी एक समुदाय की रूढ़ियों को दूर करने के लिए कानूनी प्रावधान तो बनाए, परन्तु दूसरी ओर अन्य धार्मिक समुदायों को नजरअंदाज कर दिया जिसके कारण वे अपनी मध्यकालीन सोच को ढोते हुए मुखर रूप से लैंगिक-विषमताओं का वहन आज के आधुनिक समय में भी कर रहे हैं; इसी श्रेणी में भारत का मुस्लिम समुदाय भी शामिल हैं।

आचार्य जे. बी. कृपलानी ने इस मुद्दे को लोकसभा में बहस के दौरान उठाया था और तत्कालीन सरकार के इस चयनात्मक पहल पर करारा प्रहार किया था। वे इस सीमा तक गए कि तत्कालीन नेहरु सरकार को साम्प्रदायिक तक घोषित कर दिया। यही वह मोड़ था जहां पहली बार समान नागरिक संहिता की माँग उठाई गई। तब से अभी तक काफी कुछ बदल चुका है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक न्याय को बनाए रखने के उद्देश्य से इस पर निर्णय दिया तो इस लोकतांत्रिक बहस को भी पर्सनल लॉ और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखलअंदाजी से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि, 2014 के जनादेश के बाद देश का सामाजिक-राजनीतिक वातावरण बदल चुका है। इस नई राजनीतिक परिस्थिति में छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतें हाशिए पर चली गई हैं; यही कारण है कि मुस्लिम महिलाओं को पितृसत्तात्मक और मध्यकालीन सोच वाली ताकतों के विरूद्ध अपनी आवाज बुलन्द करते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ विद्रोह करने का अवसर मिला है। ये महिलाएँ बड़े पैमाने पर अपने समुदाय के रूढ़िवादी, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व का खुलकर विरोध कर चुकी हैं।

वर्तमान संदर्भ में, भारत नीति प्रतिष्ठान (भा. नी. प्र.) के अनुसंधान दल के द्वारा 'तीन तलाक' जैसी पक्षपाती व्यवस्था का दंश झेल रहीं मुस्लिम महिलाओं से मिलकर, उनके साक्षात्कार लिए गए हैं। यह 'तीन तलाक' उसी विचार का पोषक है, जो साम्प्रदायिक रूढ़िवाद के जाल में महिलाओं को फंसाकर, उनकी आवाज को दबाने का काम करता रहा है। यह कार्य भारत नीति प्रतिष्ठान के अनुसंधान दल द्वारा करीब एक साल से अधिक की अवधि में सम्पन्न हुआ है, जिसमें मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं, संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिक नेताओं, बुद्धिजीवी वर्ग एवं नागरिक समाज के लोगों से भी परस्पर विचार-विमर्श किया गया है। इस दौरान हमारे अनुसंधान दल के सदस्यों के कई अनुभव स्मरणीय हैं। शोध-कार्य के दौरान घटी कुछ घटनाओं का उल्लेख यहाँ किया गया है। दिल्ली के पहाड़गंज की सकरी गलियों में एक धार्मिक नेता के दफ्तर का पता ढूंढ़ने के दौरान हमारी टीम की

*डॉ. गीता भट्ट

दो महिला साथी स्वयं को असफल महसूस कर रही थीं। संकुचित महसूस कर रही, सकरी वृत्ताकार सीढ़ियों पर चढ़-चढ़कर छानबीन करतीं, अनजान लोगों के दरवाजे खटखटाकर वह पूछताछ करती रहीं। खैर, अपने गंतव्य पर पहुंचते ही उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ जिससे उनके मन की शंकाओं और भय पर पूर्णविराम लगा।

देश के विभिन्न राज्यों में 'तीन तलाक' मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श के उद्देश्य से भारत नीति प्रतिष्ठान ने राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ मिलकर जयपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया ताकि तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को एक वैचारिक धरातल प्रदान किया जाए। हालांकि इस संगोष्ठी को प्रचारित नहीं किया गया ताकि तीन तलाक से पीड़ित महिलाएं अपने कटु अनुभवों को बेहिचक रख सकें, परन्तु खुफिया सेवाओं को जब इस संगोष्ठी की जानकारी मिली तो उन्होंने इस संगोष्ठी के आयोजन के कारणों को जानने का प्रयास किया। फिर भी शोध दल इस संगोष्ठी के आयोजन में लगा रहा। हालांकि प्रतिभागियों की संख्या को लेकर एक अनिश्चितता थी। हम सबके लिए सुखद आश्चर्य था कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं की संगोष्ठी में भागीदारी रही और उन्होंने अपने अनुभवों को साझा भी किया।

भा.नी.प्र. के शोध दल ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं से साक्षात्कार द्वारा उनकी विषमताओं को जानने का प्रयास किया। एक अवसर ऐसा भी आया जब भा.नी.प्र. का दल एक तलाकशुदा महिला के घर पहुंचा तो पाया कि पड़ोसी काफी अवांछनीय ढंग से व्यवहार कर रहे हैं और संदिग्ध दृष्टि से देख रहे थे। हालांकि पीड़िता बहुत साहसी थी और उसने अपनी पीड़ा एवं दु:ख को खुलकर साझा किया। साथ-ही-साथ वह प्रतिष्ठान के शोध दल के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थीं। पीड़िता ने दल के सदस्यों को सावधानी बरतने का सुझाव दिया। पीड़िता का अंदेशा तब सही साबित हुआ जब शोध दल के सदस्यों पर दूसरे भवन की छत से किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक बोतल फेंकी। ईश्वर की कृपा से बोतल एक गाड़ी पर गिरी और गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया और दल के किसी भी सदस्य को कोई क्षति नहीं पहुंची। इस समाज की रूढ़िवादिता मुस्लिम महिलाओं के प्रतिरोध से विचलित है।

हमारे देश का संविधान भेदभाव एवं शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करने में समावेशी है। किन्तु समान वैवाहिक अधिकार पंथ आधारित होने के कारण भारतीय संविधान इस संबंध में असमर्थ है। लैंगिक न्याय की दिशा में होने वाले संघर्षों में हर समाज का अपना योगदान रहा है। जब ईश्वरचन्द विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 987 लोगों के हस्ताक्षर सहित आवेदन भारतीय विधान परिषद के समक्ष भेजा था तो इसके विरोध में राधाकान्त देव ने 36,763 हस्ताक्षर जुटाकर भेज दिए। विरोधी पत्र में अधिक हस्ताक्षर होने पर भी न्यायसंगत सोच को समाज ने स्वीकार किया और अन्ततः 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ।[9]

वर्तमान संदर्भ में भी देखा जाए तो कुछ ऐसी ही स्थिति तीन तलाक को लेकर मुस्लिम समुदाय में है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने तीन तलाक के विरोध में 50 हजार हस्ताक्षर जुटाए[10] और वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक के पक्ष में एक करोड़ हस्ताक्षर का दावा किया।[11]

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में 'तीन तलाक' या 'तलाक-ए-बिद्दत' को असंवैधानिक घोषित किया है। इतिहास की पुनरावृत्ति होती दिखाई दी, जहां एक बार फिर न्यायसंगत विचार मजबूत हुआ है। इसका श्रेय उन मुस्लिम महिलाओं को जाता है, जिन्होंने देश में तलाक कानून की असमानता को न्यायालय में चुनौती दिया और अपने आत्म-सम्मान के लिए संघर्ष किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह मुक्ति का क्षण है, किन्तु कुछ धार्मिक संगठन जैसे जमीयत उलेमा-ए-हिन्द जो कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के फैसले को प्रश्नांकित करते हुए इसे धर्म के साथ छेड़छाड़ मान रहे हैं।[12] न्यायालय के फैसले को उद्धृत करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री का वक्तव्य आया कि न्यायालय का निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है। इस प्रकार के बयान मुस्लिम समुदाय में व्याप्त सामाजिक सुधार और मानसिक बदलाव की आवश्यकता को अवरोध प्रदान करते हैं।[13]

कार्यपालिका ने समाज सुधार हेतु तीन तलाक का संशोधन संसद में प्रस्तुत किया, जो राज्यसभा में लंबित है। इसी कारण सरकार ने तीन तलाक के विधेयक को हाल ही में अध्यादेश के रूप में पारित किया जो कि तीन तलाक को एक दण्डनीय अपराध घोषित करता है। मुस्लिम महिलाओं को अभी हलाला और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं से भी संघर्ष करना है, जिसका लैंगिक समानता और मानवीय धरातल पर कोई आधार नहीं है। मुस्लिम समाज को आज की चुनौतियों का अंतरावलोकन कर धार्मिक रूढ़िवाद के बोझ से स्वयं को मुक्त करने का साहस करना है और समाज को महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की ओर अग्रसर करना है।

3 तलाक की 25 अनकही कहानियाँ

3 तलाक की 25 अनकही कहानियाँ

मुस्लिम समाज में तीन तलाक, हलाला एवं बहुविवाह की प्रथाओं ने महिलाओं को सम्मान से जीने के अधिकार से वंचित कर दिया है। हालांकि तीन तलाक की प्रथा से बड़े पैमाने पर महिलाओं के अधिकारों के हनन होने की निन्दा होती है लेकिन यह प्रथा प्रचलन में है। अधिकतर तलाक पीड़ित महिलाएं जिनका साक्षात्कार भा.नी.प्र. शोध दल द्वारा किया गया, उनकी उम्र बीस वर्ष के आसपास थी। छोटी उम्र में ही तलाक का दंश झेल चुकी इन महिलाओं के चेहरे दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। इन तलाक पीड़ित महिलाओं के मासूम बच्चों के चेहरे की भाव-भंगिमाओं से यह साफ झलकता था कि वह चर्चा किसी भी सूरत में उनके लिए सुखद नहीं होगी। इन महिलाओं के असहाय माता-पिता के निराशा में डूबे चेहरे और उनके रहन-सहन की स्थितियां यह समझाने के लिए काफी थी कि वे किस हाल में अपनी जिन्दगी जी रहे हैं।

उनको इस हाल में रहते हुए देखकर किसी की भी आत्मा स्तब्ध रह जाएगी, उनके साथ हुए शोषण, मारपीट की घटनाएं और धमकियों से उनकी आत्मा का ही गला घोंट दिया गया है। यह केवल एक परिवार की नहीं, सिर्फ एक पीड़िता की नहीं, लाखों महिलाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है जो इस अमानवीय कृत्य का शिकार हुई हैं। ये महिलाएं अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और जीवन की परिस्थितियों से इतना तंग आ चुकी हैं कि इन्हें अपने छोटे से सामाजिक दायरे से बाहर किसी भी व्यक्ति से बात करना पसन्द नहीं है और वे मिलने तक से साफ मना कर देती हैं। इसके बाद भी कुछ महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर इस विषय पर बात की और अपने दर्दनाक अनुभवों को साझा किया। इसके लिए हम उनके इस साहस की प्रशंसा करते हैं। बातचीत के दौरान इन पीड़ित महिलाओं ने जो कुछ कहा, उसका दस्तावेजीकरण करते हुए कई जगह केवल केस स्टडी की तरह नहीं, बल्कि कथन की व्यापकता और महत्व को देखते हुए एक-दूसरे के साथ संवाद करने की मुद्रा में भी सप्रसंग लिया गया है। यह शोध, जानकारी एकत्रित करने से कहीं ज्यादा, उनके दु:ख-दर्द साझा करने जैसा था।

1

रहनुमा

"कोई भी महिला की जरूरतों की परवाह किए बिना उसे तीन तलाक दे सकता है। पुरूषों ने इसे मजाक बना रखा है।"

रहनुमा की शादी मोहम्मद कासिफ़ से हुई थी। उसके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार विवाह में दहेज भी दिया। फिर भी रहनुमा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसे लगातार मारपीट एवं गाली-गलौज के कारण अपने पिता के घर वापस जाने को मजबूर किया गया। रहनुमा और कासिफ के बीच सम्बन्ध तब और भी खराब हो गये जब रहनुमा ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका पति और ससुराल वाले, बच्ची के जन्म के बाद और भी नाखुश हो गए। एक सुलह प्रक्रिया के दौरान कासिफ़ ने रहनुमा को तीन तलाक दे दिया। आज वह समाज में उचित सम्मान पाने के लिए संघर्ष कर रही है और धर्म के ठेकेदार उसकी दुर्दशा से अनजान हैं।

मेरी शादी 21 साल की उम्र में मोहम्मद कासिफ से हुई थी। विवाह में मेरे पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे फिर से प्रताड़ित किया जाने लगा। हालांकि मेरे माँ-बाप ने मुझे सोने के आभूषण, मोटर साइकिल और दूसरे कीमती सामान भी दिए थे। मेरे ससुराल वाले कीमती सामान जिसमें चार पहिया वाहन भी शामिल था, की माँग पूरी न करने पर मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। वे लोग शादी के इंतजामात को भी लेकर बहुत नाखुश थे। मेरे शौहर और देवर दोनों ही मुझे निर्दयतापूर्वक मारने-पीटने लगे। मुझे अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने के लिए भी पति द्वारा मजबूर किया गया लेकिन जब मै गर्भवती हुई, तो मुझे और भी प्रताड़ित किया जाने लगा। मुझे मेरे पिता के पास जबरदस्ती मायके भेज दिया गया, जहाँ मैंने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की पैदा हो जाने पर ससुराल वाले और भी नाखुश हो गए और मुझे ससुराल ले जाने से साफ इनकार कर दिया। मेरे पति ने तो दुधमुँही बच्ची की हत्या करने तक की धमकी दे डाली। जब हम दोनों पति-पत्नी को महिला मंडल में सुलह के लिए बुलाया गया तो मेरे पति ने अन्य महिलाओ और रिश्तेदारों के सामने मुझे तीन तलाक दे दिया। मुझे दिया गया तलाक

ना ही लिखित रूप में था और ना ही किसी मौलाना या उलेमा की मौजूदगी में दिया गया था। यह सिर्फ मौखिक रूप से कहा गया था। मैंने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराया। यहां तक कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी निकला लेकिन आगे कोई कार्रवाई नही हुई। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ससुराल वालों ने पुलिस अफसर को किसी तरह अपने पक्ष में कर लिया है। जब मैं इस सिलसिले में दोबारा पुलिस थाने गई तो मुझे धमकी देकर भगा दिया गया।

मुझे अपनी नादान बच्ची के साथ पिता के घर आने पर फिर मजबूर किया गया। मेरे पति ने ना ही हमें कोई गुजारा-भत्ता दिया और ना ही मेरी मेहर की रकम वापस की। मैं इतनी पढ़ी-लिखी नही हूँ कि आत्मनिर्भर बन सकूं। मैं अपना और अपनी बच्ची का जीवन-यापन करने के लिए पूरी तरह अपने माता-पिता पर निर्भर हूँ। किसी महिला के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसे निकाह के बाद भी अपने माता-पिता के घर जीवन-बसर करना पड़े।

मैं अपनी तीन साल की बच्ची के साथ इस जर्जर मकान में हर पल संघर्ष कर रही हूँ और मै सरकार से गुजारिश करती हूँ कि तीन तलाक जैसी कुप्रथा पर प्रतिबन्ध लगाये। मुझे पूरा यकीन है की तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं के शोषण का माध्यम हैं और जितनी जल्दी हो सके इनपर रोक लगनी चाहिए। इनका अंजाम मौत से भी भयानक है। महिलाओं को उचित मुआवजा और पति की सम्पत्ति में अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए जिससे की उनकी जिंदगी गरिमामयी हो सके और उनके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके।

2

जहां आरा

एक क्रांतिकारी आवाज़

"मैं उलेमाओं से पूछती हूँ कि मेरी जैसी औरतों को जो धैर्य की सीमा से बढ़कर प्रताड़ित हुई हैं और जिनके बच्चों को भी उनसे छीन लिया गया है, उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे लिए इस्लाम में क्या प्रावधान हैं?"

जहांआरा का विवाह अपनी ही रिश्तेदार मोहम्मद कमर से 17 वर्ष की आयु में हुआ। उसके शौहर और सास ने उसे अप्रत्याशित रूप से शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी। यहां तक कि उसके चार बच्चों की माँ बनने के बाद भी यह सब जारी रहा। इस कारण जहांआरा को अपनी माँ के घर वापस जाना पड़ा। वह एक योद्धा के रूप में उभरी जिसने उलेमाओं, शरिया और समाज की रूढ़िवादिताओं को चुनौती दी। जहांआरा भारत की प्रथम महिला काज़ी भी हैं।

मेरा निकाह 17 वर्ष की उम्र में मेरे ममेरे भाई मोहम्मद कमर से पारिवारिक सहमति से हुआ। उस समय पति की उम्र करीब 26 वर्ष की रही होगी। एक साल बाद जब मैं ससुराल आई तब मेरी सास बीमार पड़ गई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने यह कहकर कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे कहते थे कि जब से यह घर में आई है तभी से समस्याएं शुरू हुई हैं। ससुराल में सात महीने रहने के बाद ही मुझे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद मैं अपनी माँ के घर आ गई, जहां मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। डेढ़ साल अपनी माँ के पास रहने के बाद मैं पुन: अपने शौहर के घर गई। उसके बाद से ही शौहर के घर में मेरे साथ मारपीट व अन्य अत्याचार आम बात हो गए थे।

मेरे मामा, जो बाद में मेरे ससुर बनें, उनकी कई पत्नियां थीं। वे मुझे बहुत प्यार करते थे। अत:, मेरी मामी, जो बाद में मेरी सास बनीं, उन्हें दु:ख पहुंचाने के लिए मुझे प्रताड़ित करती थी और इसमें वह परपीड़क आनन्द लेती थी। इस तरह वह अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेती थी। मैंने 12 वर्ष तक ससुराल में उत्पीड़न झेला, इसके बाद मैंने शादी तोड़ने का निश्चय किया। इस बीच मैंने चार बच्चों, दो बेटे व दो बेटियों को जन्म दिया। मैं 2010 में अपनी माँ के घर वापस आ गई और उनकी मृत्यु तक उनके साथ ही रही। माँ की मृत्यु के बाद अब मैं अपनी बहन के घर रहती हूँ। मैंने बहुत पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं अपने पति के पास वापस लौटकर नहीं जाउंगी। हालांकि मैंने अपने शौहर से कोई तलाक नहीं लिया परन्तु शरीयत के अनुसार मेरा तलाक हो चुका है। मेरे पति ने मुझे तलाक नहीं दिया, क्योंकि

वह मेरी सम्पत्ति हड़पना चाहता था। मेरे बच्चे मुझे पहचानते तक नहीं हैं। मैं उन्हें अपने पास रखना चाहती हूँ किन्तु ससुराल वाले इसकी इजाजत नहीं देते। मेरे बच्चे मुझे सलाम तक नहीं करते जब कभी उनसे मेरी मुलाकात हो जाती है। यहां तक कि बच्चों को यह बता दिया गया है कि उनकी माँ मर गई है।

मैंने उलेमाओं की राय जानने के लिए उन्हें पत्र लिखा। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मुझे रास्ता दिखाएं। मैंने उनसे पूछा कि मेरी जैसी औरतों को जो धैर्य की सीमा से बढ़कर प्रताड़ित हुई हैं और उनके बच्चों को भी छीन लिया गया, उन्हें क्या करना चाहिए? इस्लाम में मेरे लिए क्या प्रावधाान हैं? उलेमाओं ने उत्तर दिया मुझे धैर्य रखना चाहिए अल्लाह मुझ पर रहम करेगा, वह एक दिन मुझे रास्ता दिखाएगा। मेरी माँ की मृत्यु के बाद, झुंड में मेरे रिश्तेदार मुझे सलाह देने के लिए आते थे कि मुझे अपने शौहर के पास वापस चले जाना चाहिए लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं मानती थी कि कोई भी कारण नहीं है कि मैं उस रिश्ते के लिए वापस जाउं जिसने मुझे बर्बादी के अलाना कुछ नहीं दिया। मैंने उलेमाओं को अपनी सारी परिस्थितियां बताते हुए उनकी राय जानने के लिए दोबारा पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे खुला (वह तरीका जिससे महिला अपने शौहर से तलाक ले सकती है।) ले लेना चाहिए और अगर मैं दोबारा निकाह करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। मुझे इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि वह इस स्थिति को इतनी लापरवाही से कैसे ले सकते थे। यह मेरे लिए बड़ी असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि शरीयत के अनुसार मेरा तलाक हो चुका था और उलेमा इस बात को मानने से इनकार करते थे क्योंकि मुझे पता था कि मेरा शौहर कहां रहता था। मुझे यह पता था कि मुस्लिम कानून के तहत मैं बिना हलाला की प्रक्रिया के दोबारा शादी कर सकती हूँ। यदि कुरान के नियमों को संहिताबद्ध किया गया होता तो ऐसी असमंजस की स्थिति को रोका जा सकता था और मैं अपने आपको एक तलाकशुदा महिला बता पाती।

मेरे पति ने ना तो मुझे कोई मुआवजा दिया और ना ही मैंने उससे कोई माँग की थी। मेरे परिवार में सभी ने मेरा समर्थन किया और मेरे शौहर को इस बात का अहसास दिलाने का प्रयास किया कि जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया वह गलत था परन्तु वह अपने आपको बदलने के लिए तैयार नहीं था। मेरे रिश्तेदार बताते हैं कि मेरे शौहर ने दोबारा निकाह कर लिया है और वह अपने नए परिवार में खुशहाल जिन्दगी गुजार रहा है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानती हूँ कि उसकी मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है और ना ही मुझे इस बात से कोई मतलब है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। मैं अपने शौहर और बच्चों की स्थिति जानने के लिए इन अफवाहों पर भरोसा नहीं करती।

मेरा मानना है कि हलाला गलत है। यह न तो इस्लाम का हिस्सा है और न ही शरीयत का। यह शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का ही एक रूप है। तलाक कुरान के अनुसार ही होनी चाहिए, ऐसे ही तीन बार 'तलाक-तलाक-तलाक' बोलकर नहीं, जैसे कि आजकल हो रहा है। हालांकि मैंने तीन तलाक के दंश को नहीं झेला पर मैंने देखा है कि यह पीड़ित महिलाओं पर क्या अत्याचार करता है।

मैं सरकार से अपील करती हूँ कि कुरान के कानूनों को संहिताबद्ध किया जाए। मैं चाहती हूँ कि तीन तलाक जैसी अन्य बुरी व नकारात्मक प्रथाएँ इस्लाम से हटनी चाहिए। बुद्धिमान और योग्य मौलानाओं को ही इस्लामिक कानूनों के विश्लेषण का अधिकार होना चाहिए। एक विचारपूर्ण एवं अथाह गाढ़ा अनुवाद इस्लाम को एक न्यायसंगत, उदार, मानवीय और अप्रभावित होने वाला धर्म बनने में मदद करेगा। अधूरा व संकीर्ण ज्ञान समाज के लिए घातक है। धर्म को उसी रोशनी में देखना और दिखाना चाहिए जो सही है।

पहली महिला काज़ी

शरीया, जो मुस्लिम समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पद्धतियों को निर्धारित करता है, पारम्परिक रूप से पुरूष प्रधान रहा है। भारत में शरिया कानून में पुरूषों का वर्चस्व समाप्त कर महिलाओं को कानून सम्मत काज़ी का दर्जा लेने में लगभग 1400 वर्ष लगे। भारत की प्रथम महिला काज़ी जहाँआरा ने दारूल उलूम निस्वान से दो वर्ष का प्रशिक्षण लेने के उपरान्त स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह संस्थान महाराष्ट्र में इस्लामिक शिक्षा तथा आध्यात्म/धर्मशास्त्र का केन्द्र है। समाज के लिए यह एक विचारणीय प्रश्न है कि मुस्लिम समुदाय को लैंगिक दमन के इस बंधन को तोड़ने में इतना समय क्यों लगा? मुस्लिम समुदाय के एक बड़े तबके ने महिला काज़ी बनने पर जहांआरा का कड़ा विरोध किया। विरोध इस तर्क पर किया कि एक महिला काज़ी इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुरूप कई धार्मिक पद्धतियां नहीं करवा सकतीं जो एक पुरुष काज़ी द्वारा करवाई जा सकती हैं। हालांकि जहांआरा कहती है कि कुरान में लैंगिक भेदभाव नहीं है। फिर भी जहांआरा को अपनी काज़ी की उपाधि पर गर्व है और वह महिला अधिकारों की लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ते हुए ऐसे मामलों में एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रही हैं। उनका पंजीकरण इस्लामिक कानून के अनुमार वैवाहिक अनुष्ठान के कार्यों के लिए हुआ है और उन्हें आशा है कि एक दिन उन्हें एक काज़ी के रूप में काम करने के सभी अधिकार अवश्य मिल जाएंगे।

3

रिज़वाना बानो

"तीन तलाक का बुरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। जो भी इसका उपयोग करता है उसे दण्ड देना चाहिए। बहुविवाह प्रथा और तीन तलाक पर प्रतिबंध लगना चाहिए।"

अनुरोध पर पहचान गुप्त रखी गई है

रिज़वाना बानो को तीन बार विवाह की त्रासदी से गुजरना पड़ा। उसकी पहली शादी जबर्दस्ती कराई गई थी जो कि दहेज देने से मना करने पर टूट गई। उसके दूसरे पति ने उससे निकाह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि रिजवाना नौकरी करती थी और उसका पति चाहता था कि रिजवाना उसके माता-पिता की देखभाल करे और वह खुद अपना विवाहेत्तर सम्बन्ध भी बनाये रखे। तलाक और तीसरे विवाह के बाद अब उसका तीसरा पति और उसका परिवार उसे परेशान करता है और अब तलाक भी चाहता है। नियति रिजवाना की सहनशीलता की परीक्षा ले रही है।

मैं 2011 में अपनी इंजीनियरिंग की पढाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी के लिए चयनित हो गई थी। मेरी सफलता से खुश होकर मेरे मित्रों ने एक समारोह का आयोजन किया था लेकिन मैं उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब एक दोस्त ने मुझे इसलिए जान से मारने की धमकी दे डाली कि वह मुझसे शादी करना चाहता था। अत: मजबूरी में मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मेरे परिवार वालों के सामने शादी को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जब मैं अपने ससुराल जाने वाली थी तभी उन लोगों ने दहेज के रूप में 18 लाख रुपए की माँग कर दी जो कि मैंने अस्वीकार कर दी। अत: मैंने कोर्ट से बाहर शादी तोड़ने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। मुझे अपनी जिन्दगी सम्भालने में चार साल लग गए और 2015 में मैंने मोहम्मद खालिद से दूसरी शादी की। वह भारतीय वायुसेना में नौकरी करता था। शादी के बाद मुझे पता चला की पहले से ही उसकी दो पत्नियां हैं और जब इस बात को लेकर उससे बहस हुई तो वह बोला कि यह जानना मेरा काम नही है। मुझे खालिद के माता-पिता के साथ रहने को तब तक मजबूर किया गया जब तक वह एक और बीवी को नहीं ले आया। जब मैंने एयरफोर्स के अधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत मामला बताकर टाल दिया। मुझे खालिद के अन्य महिलाओं से सम्बन्ध का शक पहले भी था। वह हमेशा दहेज की माँग करता था और यहां तक कि वह मेरे एटीएम से रुपए भी निकालता था। जब मैंने महिला थाने में शिकायत की तो पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ ही रहने की सलाह दे डाली। मैंने एक दूसरा मकान किराए पर लेने की पेशकश की ताकि हम आराम से रह सकें। जिस घर में हम रहते थे वह बहुत ही छोटा था और उसमें उसके कई

रिश्तेदार भी रहते थे लेकिन खालिद को यह मंजूर नही था। जब भी वह मुझे कहीं ले जाता था, कुछ अजीब घटना जरूर हो जाती थी। मुझे आशंका थी कि वह मुझे या तो जान से मारना चाहता था या किसी को बेचना चाहता था क्योंकि मैंने उसके खिलाफ एयरफोर्स में शिकायत की थी। लेकिन मध्यस्थता होने के बाद भी जब खालिद ने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया तो मैंने मध्यस्थता केंद्र में ही तलाक ले लिया। खालिद ने मुझे मेहर की 3.5 लाख रुपए की रकम तो लौटा दी परंतु मेरा दहेज नहीं लौटाया।

अपने परिवार वालों के कहने पर मैंने शादी की वेबसाइट के माध्यम से तीसरी शादी अनीस से की। मेरे माता-पिता खुश थे की उनकी बेटी अपना घर बसाने का फिर से प्रयास कर रही है। अनीस भी तलाकशुदा और एक बच्ची का पिता था जो कि अपनी माँ के साथ रहती थी। जब मेरे परिवारवालों को पता चला कि उसके तलाक की प्रक्रिया अभी मुक्कमल नहीं हुई है तो उन्होंने शादी के लिए आगे बढ़ने से मना कर दिया। लेकिन अनीस और उसका परिवार इस बात पर अड़ा रहा और जल्दबाजी में सगाई का कार्यक्रम भी रख लिया। इस दौरान मैंने उनको अपने तलाक के कागज दिए और कहा कि वे अपनी संतुष्टि के लिए जरूरी तहकीकात कर लें। अनीस और उसके परिवार ने मेरी इस बात को खत्म करते हुए कहा कि तुम अपने बीते हुए समय को भूल जाओ और आगे बढ़ो।

अगले कुछ महीनों तक हर चीज अच्छी होती रही। मैंने अपना तबादला अनीस के साथ रहने के लिए दिल्ली में करवा लिया। इसके बाद कुछ समस्याएं बहुत जल्द शुरू हो गई। मेरा कमरा अनीस के कमरे से अलग था और मुझे अनीस से बात करने के लिए उसके परिजनों की इजाजत लेनी पड़ती थी। मेरे पति के बहनोई इस्लामुद्दीन की गलत नजर मेरे ऊपर पड़ने लगी। मेरी ननद ने मेरे पति से कहा कि इसके तलाक के बारे में स्पष्ट जानकारी लें। अनीस ने मुझसे कहा कि मेरा विवाह उसके साथ कानूनी नहीं है। अत: वह मुझे तलाक दे देगा।

जब मेरे परिजनों ने अनीस से बात करने की कोशिश की तो उसके परिवार वालों ने अनीस से मिलने नहीं दिया। जबकि उसी दौरान इस्लामुद्दीन ने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। जब मैंने पुलिस को बुलाया तो वह भाग निकला। मैंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की लेकिन आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा दूसरा पति खालिद भी मेरे लिए समस्याएं खड़ी कर रहा था। उसने न केवल मेरी नई शादीशुदा जिन्दगी में हस्तक्षेप करने की कोशिश की बल्कि मुझे मेरे ऑफिस में भी प्रताड़ित किया। जबसे मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर में घुसने पर रोक लगा दी तबसे मैं अपनी माँ के साथ एक किराए के मकान में पिछले एक साल से रह रही हूँ। मैं अपने अनिश्चित भविष्य से लगातार लड़ाई कर रही हूँ जबकि खालिद ने आसानी से दूसरी शादी कर ली और अनीस भी अपनी तीसरी शादी करने वाला है।

मध्यस्थता केन्द्र पर मुझे सलाह दी गई कि मैं अपने तलाक के कागज अनीस को दे दूँ लेकिन मुझे डर था कि वह उन कागजात का उपयोग मेरे खिलाफ करेगा। अनीस चाहता है कि मैं अपनी मेहर की 25 हजार की रकम ले लूँ और उसकी जिन्दगी से दूर चली जाऊँ। मैंने गुजारा-भत्ते के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है क्योंकि मैं नौकरीशुदा हूँ। मैं तलाक नहीं चाहती हूँ और अनीस के साथ ही रहना चाहती हूँ। हालांकि मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी मेरे बारे में तरह-तरह का अनुमान लगाते रहते हैं। मैं अपने आपको अकेला महसूस करती हूँ। किस्मत मेरे साथ बार-बार क्रूरता का खेल क्यों खेल रही है? मैं हलाला के पक्ष में नहीं हूँ और न ही इस्लाम इसके पक्ष में है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग तीन तलाक का दुरुपयोग करते हैं और इस्लामी कानून में इसका कोई स्थान नहीं है।

4

शबनम

"पुरुष और महिला को तलाक देने की प्रक्रिया में बराबर का अधिकार होना चाहिए।"

शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरूद्ध मोहम्मद जान से हुई थी। उसका पति उसे अपने साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। जब उसके पति के भाई ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की तो वह अपने माता-पिता के घर चली आई और तब से वह उनके साथ ही रह रही है। इस्लाम के जानकार और उनके सिद्धांत शबनम की मदद करने में नाकाम हैं।

मेरा निकाह 25 वर्षीय जान मोहम्मद उर्फ जॉनी के साथ 22 दिसम्बर, 2008 को हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा निकाह उसके साथ हो क्योंकि वह मेरे से अधिक उम्र का दिख रहा था, लेकिन मेरे परिजनों ने इसके लिए मजबूर किया। निकाह के तुरन्त बाद जॉनी ने मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया। उसने कभी मुझे अपनी पत्नी की तरह नहीं समझा और न ही कभी मेरे साथ सामान्य रूप से शारीरिक संबंध बनाए। वह मुझे अश्लील फिल्मों की तरह शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। उसके व्यवहार से मुझे ऐसा लगता था कि या तो वह नपुंसक है या उसका कोई विवाहेत्तर संबंध अन्य महिलाओं के साथ भी है। मेरे ससुराल वाले मुझे अक्सर मारते-पीटते और प्रताड़ित करते थे तथा लगातार दहेज के रूप में दोपहिया वाहन की माँग करते थे। जॉनी हमेशा तीन तलाक देने की धमकी देता था हालांकि कभी उसने ऐसा नहीं किया। मुझे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि एक बार जब मैं घर पर अकेली थी तो मेरे शौहर के भाई ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसकी नजर मुझ पर बहुत दिनों से है और वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा जिसको उसका शौहर पूरा नहीं कर पाता है। जब मैंने यह सब बात अपने शौहर को बताई तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी दुर्दशा देखकर मेरे माता-पिता तनाव की वजह से बीमार रहने लगे। मेरे कई भाई-बहन हैं और मेरे पूरे परिवार और छोटे भाई की जिम्मेवारी भी मेरे ही कंधों पर है।

जॉनी ने ना ही मेरा मेहर वापस किया और ना ही मुझे कोई गुजारा-भत्ता दिया। मैंने न्यायालय में केस भी दाखिल किया है लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण मैं इस हालत में नहीं हूँ कि इस केस को लम्बे समय तक लड़ सकूं। माता-पिता को अपने सीमित संसाधनों के कारण दूधारी तलवार का सामना करना पड़ता है जिसमें एक ओर तो उन्हें अपनी बेटियों की शादी

की चिंता करनी है तो दूसरी ओर लगातार उनके तलाक को लेकर डर बना रहता है। अगर कोई महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है तो उसे सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है।

मैं तीन तलाक और हलाला प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि तीन तलाक पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि यह तलाक देने का उचित तरीका नहीं है।

5

इरम बहार

"हिन्दू-मुस्लिम दोनों के लिए समान कानून होना चाहिए क्योंकि उनके धर्म और स्त्रियों की स्थिति में कोई फर्क नहीं है।"

मेरा निकाह 22 वर्ष की उम्र में शहजाद के साथ 2013 में हुआ था। निकाह के शुरुआती दिनों से ही मेरे शौहर और ससुराल वालों ने दहेज को लेकर मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे परिजनों ने मुझे क्षमतानुसार पर्याप्त दहेज दिया था। ससुराल में मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और कई दिनों तक भूखा भी रखा गया। निकाह के पांच दिन बाद ही शहजाद ने मुझे छोड़ दिया। उसने 2014 में रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से मुझे तीन तलाक दे दिया। मुझे मेरे परिजनों के घर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। जब मेरे परिजनों ने गुजारा-भत्ता की माँग की तो उसने मेहर की रकम लौटा दी लेकिन यह काफी नहीं था। मैंने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करने का साहस किया। वर्तमान समय में मैं अपने परिजनों के साथ रहती हूँ और वही मेरा पूरा खर्च उठाते हैं। मेरे पास अपना जीवन व्यतीत करने का कोई और स्रोत नहीं है जबकि मेरे शौहर ने आसानी से दूसरा निकाह भी कर लिया। मैं अपने आपको ठगा हुआ और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करती हूँ। मुझे अपना जीवन रूका हुआ-सा प्रतीत होता है, जिसमें भविष्य के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मेरे परिवारवाले भी मेरे अनिश्चित भविष्य को लेकर बहुत दबाव में हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तीन तलाक का दुरुपयोग किया जाता है और इसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं का शोषण भी होता है। तलाक के अधिकतर मामले दहेज की माँग के कारण और पुरूषों की दूसरी शादी करने की विकृत सोच के कारण होते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब निकाह के हर एक मोड़ पर महिला का शोषण होता है। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि वह सभी महिलाओं को

इरम बहार की शादी 22 वर्ष की उम्र में शहजाद से हुई थी। ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसके शौहर ने निकाह के पांच दिन बाद ही उसे छोड़ दिया और रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से उसे तीन तलाक दे दिया। शहजाद ने मेहर की रकम तो लौटा दी लेकिन कोई गुजारा-भत्ता देने से मना कर दिया। उसके बाद शहजाद ने दूसरा निकाह आसानी से कर लिया। समाज के कट्टरवादी तबके ने इरम की परेशानियों से किनारा कर लिया लेकिन फिर भी उसने दहेज का केस दर्ज कराने का साहस किया।

न्याय दिलवाए। मुस्लिम महिलाओं का लगातार होने वाला शोषण रूकना चाहिए। यहां तक कि कुरान भी शारीरिक संबंध और पैसे के लिए किसी के साथ निकाह करने की इजाजत नहीं देता। हलाला एक कुप्रथा है और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

6

नसीम बानो

"महिलाओं को उचित गुजारा-भत्ता दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सके।"

मेरे कुल तीन बच्चे हैं- पहले निकाह से दो और दूसरे से एक। मेरा दूसरा निकाह पहले शौहर की मृत्यु के बाद हुआ। मेरे दूसरे शौहर मोहम्मद आसिफ ने मेरे पहले निकाह से हुई पुत्री को अपने पास रखने से मना कर दिया। आसिफ के पास भी उसके पहले निकाह से एक लड़का था। मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे गाली-गलौज देते थे। मेरे लिए जीवन जीना मुश्किल हो गया था। मुझे अवैध गर्भपात के लिए मजबूर किया गया क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझसे कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं चाहते थे। मैं अपने ससुराल वालों की इस सोच को समझने और मानने में असमर्थ थी। अत: मुझे बहुत ही भयावह मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा। एक दिन अचानक मेरे शौहर ने ससुराल में बिना किसी गवाह की मौजूदगी में, मुझे तीन तलाक दे दिया। तब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर में रहने देने के लिए हलाला के लिए मजबूर किया। मैंने उनकी इस माँग के आगे साफ तौर से झुकने से इनकार कर दिया। यह तो सोचने मात्र से ही इतना भयानक है कि एक धार्मिक प्रथा के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ समय बिताना पड़े। मासूम महिलाओं को बिना किसी गुनाह के भारी कीमत चुकानी पड़ती है। परिणामस्वरूप, उन्होंने एक मौलाना की मौजूदगी में पूर्ण तलाक देने की धमकी दी। मैं अपनी माँ के साथ बहुत ही गरीबी की हालत में रहती हूँ। आसिफ ने कभी भी मेरी बेटी की शिक्षा और अच्छी परवरिश के बारे में नहीं सोचा। मेरे अशिक्षित होने की वजह से मुझे कानूनी प्रक्रियाओं की समझ नहीं है लेकिन मैं न्याय चाहती हूँ।

नसीम बानो का दूसरा निकाह उसके पहले शौहर की मृत्यु के बाद हुआ। उसके दूसरे शौहर मोहम्मद आसिफ ने उसके पहले निकाह से हुई पुत्री को स्वीकार करने से मना कर दिया। वह अपने शौहर और अन्य ससुराल वालों द्वारा बार-बार प्रताड़ित होती थी। कई बार उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका गर्भपात करवाया गया। एक दिन उसके शौहर ने बिना किसी कारण उसे तलाक दे दिया। उसके ससुराल वालों ने उसे हलाला के लिए मजबूर किया परंतु उसने इस मध्यकालीन परम्परा के आगे झुकने से मना कर दिया।

7

मोहसिना रंगरेज

"मैं तलाक की पवित्रता को प्रश्नांकित करती हूँ क्योंकि जिस समय तलाक होता है उस समय गवाहों की उपस्थिति नहीं होती है जबकि निकाह के समय ऐसा होता है।"

मोहसिना रंगरेज केवल 15 वर्ष की थी तभी उसकी शादी मोहम्मद शब्बीर से हो गई। दहेज के लिए उसका पति उसे निर्दयतापूर्वक पीटता था और हमेशा प्रताड़ित करता रहता था। उसका हिंसक यौन-व्यवहार हमेशा मोहसिना को बेहोशी की स्थिति में ला देता था। उसकी जिंदगी तब तार-तार हो गई जब उसके ससुर ने भी उसके साथ यौन-दुष्कर्म करने की कोशिश की। तीन तलाक ने उसके सम्मान से जीने के अधिकार को छीन लिया है।

मेरी शादी 15 वर्ष की उम्र में 17 वर्षीय मोहम्मद शबीर के साथ 2005 में दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। शादी के बाद मेरे ससुराल पहुंचते ही मेरे पति और ससुराल वालों ने दहेज को लेकर मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जबकि मेरे माता-पिता ने काफी दहेज दिया था। मेरा शौहर मुझ पर तरह-तरह के शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता था और शरीर के ऐसे हिस्सों पर चोट मारता था जिन्हें मैं किसी को बता और दिखा भी नहीं सकती थी। कई दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता था और घर में बन्द कर दिया जाता था। यहां तक कि शब्बीर मुझे जान से मारने की धमकी भी देता था। मेरा शौहर शारीरिक शोषण करने के लिए एक रात में दस से बारह बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था जिससे मैं बेहोश हो जाती थी। वह अक्सर गाली-गलौज करता और कहता था "न तुझे तलाक दूंगा और न तेरे साथ रहूँगा। तेरी जिंदगी तबाह करके रखूंगा।" शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को मेरे ससुराल वालों ने मार दिया था। शादी के कुछ समय बाद ही मैं गर्भवती हो गई, फिर भी मेरे पति के अत्याचार जारी रहे। मेरे पिता से मेरी हालत देखी नहीं गई और वे मुझे मायके ले गए। वहीं मेरा प्रसव करवाया जिसमें मुझे बेटी पैदा हुई। जब मैं अपनी बेटी के साथ वापस आई तो मेरा ससुर मेरे शौहर को मुझे प्रताड़ित करने तथा मारपीट करने के लिए उकसाता था। मेरा ससुर किसी न किसी बहाने से खासतौर पर बच्ची को गोद में लेने के बहाने से मेरे साथ गंदी-गंदी हरकते करता था और छेड़छाड़ भी करता था। सरकार से प्रसव के लिए मिला सारा पैसा ससुर ने ले लिया। मेरे पिता द्वारा कराए गए मेरे जीवन बीमा के पैसे भी ससुर ने ले लिए। मेरा पति मुझे और मेरी बेटी का कोई खर्च नहीं देता है। केस दर्ज कराने के बावजूद कोई

फायदा नहीं हुआ। मैं तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं के सख्त खिलाफ हूँ तथा इसको कानूनन प्रतिबंधित करवाना चाहती हूँ क्योंकि यह महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है और लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि "जब शादी में गवाहों की जरूरत होती है तो तलाक में क्यों नहीं? तलाक होने की स्थिति में महिलाओं को सारे अधिकार जैसे कि गुजारा-भत्ता, घर, क्षतिपूर्ति आदि मिलने चाहिए। मैं सरकार से यह विनती करती हूँ कि वह ऐसे कानून बनाए जो महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा कर सकें।

7 शानिया

"कानून का अपने आप में ऐसा भय होना चाहिए कि मौजूदा रूप में तलाक देने की हिम्मत किसी में न हो। इस प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही हैं।"

मेरा निकाह 22 वर्ष की उम्र में फहीम के साथ 2013 में हुआ था। निकाह के दिन ही कुछ गहने (आभूषण) खो जाने की वजह से मेरे ससुराल वालों ने ना ही मेरा सही से स्वागत किया और ना ही पहले दिन मुझे कुछ खाने के लिए दिया। यहां तक कि खोए हुए गहने मिल जाने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे मुझे बुरी तरह गालियां देते थे। घर का पूरा काम करने के लिए मुझे मजबूर किया जाता था और पूरा खाना भी खाने के लिए नहीं दिया जाता था। जब मैं बीमार पड़ती थी तब भी मेरी कोई देखभाल नहीं करता था। मुझे अपने परिजनों के घर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि मेरा शौहर प्राय: मुझे बुरी तरह से मारता-पीटता था। मेरे ससुराल वालों ने पंचायत के सामने कहा कि चूंकि उन्हें दहेज नहीं मिला है इसीलिए वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले कि मेरे माता-पिता दहेज का केस दर्ज करा पाते, मुझे फोन पर तीन तलाक दे दिया गया। हालांकि मुझे अपनी मेहर का कुछ हिस्सा वापस मिल गया परन्तु फिर भी मैं अपने माता-पिता पर पूरी तरह से आश्रित हूँ और भविष्य के बारे में भी अनिश्चित हूँ। यहां तक कि मैं आत्महत्या करने का भी प्रयास कर चुकी हूँ।

मैं एक स्नातकोत्तर महिला हूँ। पढ़ी-लिखी होने के बावजूद मुझे जीवन में तिरस्कृत होना पड़ रहा है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ लेकिन आसपास के लोग मेरे बारे में तरह-तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं अत: मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तीन तलाक के बाद मेरे लिए जीवन बहुत मुश्किल हो चुका है। सरकार को तलाक के विषय में कड़े कानून का प्रावधान करना चाहिए। इस्लाम के भीतर महिलाओं को तिरस्कृत करने का कोई प्रावधान नहीं

शानिया को दहेज की वजह से ससुराल में प्रताड़ित किया गया। उसको घर का सारा काम करने के लिए मजबूर किया गया। यहां तक कि उसके बीमार पड़ने पर भी उसको अकेला छोड़ दिया गया। इससे पहले कि उसके माता-पिता उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का केस दर्ज कराते शानिया को फोन पर ही तीन तलाक दे दिया गया। सामाजिक प्रथाओं ने शानिया के जीवन में विकल्पों को सीमित कर दिया है। पर वह फिर भी जीवन में कुछ करना चाहती है ताकि वह अपने परिजनों पर बोझ न बने।

है। लेकिन परेशानी शरीया कानून के भीतर है। मुस्लिम महिलाओं को इन सब कानूनों के खिलाफ एक साथ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि मुस्लिम समुदाय से बाहर की आवाजें उतनी प्रभावशाली नहीं होंगी। सभी महिलाएं बराबर हैं। अत: सरकार को सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने चाहिए।

9

मोज़्ज़मा

"मैं नहीं चाहती कि कोई भी महिला मेरे जीवन में घटित त्रासदी को झेले। "

मुझे इस बात का तनिक भी अहसास नहीं हुआ कि मेरी जिन्दगी नर्क बनने जा रही है जब मेरा 23 वर्ष की उम्र में निकाह एक 46 वर्षीय मोहम्मद जुबेर नामक व्यक्ति से हुआ। निकाह के बाद मुझे पता चला कि वह एक स्कूल में क्लर्क है जबकि पहले बताया गया था कि वह एक अध्यापक है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे कई भाई-बहन हैं और कुछ वर्ष पूर्व मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरी माँ ने इस बात को लेकर तनिक भी नाराजगी नहीं जताई कि मेरा होने वाला शौहर शारीरिक रूप से अक्षम है और मुझसे उम्र में बहुत बड़ा भी। निकाह के दो माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई। मेरे ससुराल वाले धूर्ततापूर्वक मुझे अस्पताल ले गए जहां मुझे जबर्दस्ती गर्भ निरोधक गोली खिलाई गई। इस दवाई के कारण मेरी किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे ही मैं बीमार हुई, मुझे घर से यह कहकर निकाल दिया गया कि मैं एक बीमार महिला हूँ जो कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मेरा दिल उस समय टूट गया जब मेरे ससुराल वालों ने कहा कि मेरे परिवार ने मेरी शादी इसीलिए कर दी क्योंकि मैं एक बीमार और बदसूरत महिला हूँ। अब मैं अपनी बहन के साथ रहने को मजबूर हूँ । मेरे ससुराल वालों ने इस बात का लिखित वादा किया है कि वे मुझे गुजारा-भत्ता देते रहेंगे और समय-समय पर मुझसे मुलाकात करते रहेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मेरे शौहर ने अखबार में छपवा दिया है कि उसने मुझे तीन तलाक दे दिया है।जबर्दस्ती गर्भ निरोधक गोली खिलाई गई। इस दवाई के कारण मेरी किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे ही मैं बीमार हुई, मुझे घर से यह कहकर निकाल दिया गया कि मैं एक बीमार महिला हूँ जो कि बच्चे को

मोज़्ज़मा का निकाह 46 वर्षीय जुबेर से हुआ था जब वह मात्र 23 वर्ष की थी। जुबेर ने न केवल अपने पेशे को लेकर झूठ बोला था बल्कि दहेज को लेकर भी उसे मारता-पीटता था। मोज़्ज़मा जब गर्भवती हुई तो उसे गर्भ निरोधक दवाईयां खाने के लिए मजबूर किया गया जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पर स्थाई रूप से बुरा प्रभाव पड़ा। उसके शौहर ने अखबार के माध्यम से यह प्रचारित करवाया कि वह उसे तलाक दे चुका है। तब से मोज़्ज़मा अपने मायके में है और अपने जीवन में संघर्ष कर रही है।

जन्म नहीं दे सकती। मेरा दिल उस समय टूट गया जब मेरे ससुराल वालों ने कहा कि मेरे परिवार ने मेरी शादी इसीलिए कर दी क्योंकि मैं एक बीमार और बदसूरत महिला हूँ। अब मैं अपनी बहन के साथ रहने को मजबूर हूँ । मेरे ससुराल वालों ने इस बात का लिखित वादा किया है कि वे मुझे गुजारा-भत्ता देते रहेंगे और समय-समय पर मुझसे मुलाकात करते रहेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मेरे शौहर ने अखबार में छपवा दिया है कि उसने मुझे तीन तलाक दे दिया है। मैंने अपने भाई की इच्छा के विरूद्ध जाकर अपने ससुरालवालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मेरे ससुराल वाले न्यायालय की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने केस वापस नहीं लिया तो वे मेरे भाई को जान से मार देंगे। वे चाहते हैं कि मैं अपना सारा सामान लेकर उनकी जिन्दगी से हमेशा के लिए चली जाऊँ। मेरा भाई मदरसे में एक अध्यापक की नौकरी करता था परंतु जब पुलिस मदरसे में उससे मिलने आई और मौलाना को मेरे केस के बारे में पता चला तो उसने मेरे भाई को नौकरी से निकाल दिया।

मैं अपना अधिकार और गुजारा-भत्ता चाहती हूँ। मैं फिर से निकाह नहीं करना चाहती और यदि मेरा पहला शौहर मुझे वापस रखना चाहता है तो मैं उसके पास जाने को तैयार हूँ। यदि हलाला की प्रक्रिया ठीक भी है तो भी मैं इसका हिस्सा बनना पसन्द नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के बड़े लोग और उलेमा यदि ऐसा सोचते हैं कि तीन तलाक और हलाला की प्रक्रिया तलाक और दोबारा निकाह के लिए ठीक है तो उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी महिला इस तरह की त्रासदी झेले जैसे कि मैंने झेली है। अभी मैं असहाय हूँ और अपनी बहन के साथ रह रही हूँ और मेरा स्वास्थ्य हमेशा के लिए खराब हो चुका है।

10

हुस्ना

(मृत- 15 जनवरी, 2017)

(हुस्ना की आपबीती उसकी बहन मंतशा की जुबानी)

हुस्ना आज इस दुनिया में अपनी कहानी बयां करने के लिए जीवित नहीं है। उसकी बहन मंतशा और उसकी मौसी यह बताती हैं कि कैसे पूरे घर की देखभाल करने का दबाव और गलत तरीके से थोपा हुआ तलाक हुस्ना के स्वास्थ्य को प्रभावित करता हुआ उसकी मृत्यु का कारण बना।

हुस्ना की शादी बीस वर्ष की उम्र में पारिवारिक सहमति से हुई थी। क्योंकि उसका पति कोई स्थायी नौकरी नहीं करता था अत: हुस्ना सिलाई-कढ़ाई का काम कर दो बच्चों और अन्य परिवार का खर्च चलाती थी। हालांकि उसका पति खुद बेरोजगार था फिर भी उसे हुस्ना का काम करना पसन्द नहीं था और वह उसे मारा-पीटा करता था। घर से बाहर जाकर जीवन-यापन करने के लिए पैसा कमाना हुस्ना की मजबूरी थी। हालांकि उसके सम्बन्ध परिवार के अन्य सदस्यों से अच्छे थे परंतु उसका पति उसको कई दिनों तक छोड़ कर चला जाता था और कभी -कभार ही घर वापस आता था।

एक बार अचानक हुस्ना के शौहर ने उसे बिना किसी गवाह की मौजूदगी के गैर-जिम्मेदार तरीके से तीन बार 'तलाक-तला. क-तलाक' बोल दिया और अपने आप को सारी जिम्मेवारियों से मुक्त कर लिया। सामाजिक और आर्थिक दबाव के कारण हुस्ना का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन खराब होता चला गया। इलाज के लिए पैसे न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब हुस्ना मर गई तो उसके ससुराल वालों ने हुस्ना के बच्चों को धूर्ततापूर्ण तरीके से अपने पास बुला लिया और फिर कभी वापस नहीं भेजा। वहां बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं हो रही है और हुस्ना की बहन और परिवार बच्चों को वापस बुलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिले। मंतशा रोते हुए बताती है कि कितने लम्बे समय से उन्होंने बच्चों को नहीं देखा है परन्तु हुस्ना के पति ने अपने बच्चों को हुस्ना के घर वापस भेजने से मना कर दिया है।

11

अनवर जहाँ

"मैं उलेमा और काज़ी दोनों को ही इस प्रथा के लिए जिम्मेदार मानती हूँ और इसे प्रतिबंधित करने की माँग करती हूँ।"

जब मेरा निकाह घरवालों की मर्जी से किया गया तब मैं सिर्फ 14 वर्ष की थी। हालांकि मैं एक सम्पन्न परिवार से सम्बन्ध रखती थी फिर भी मेरा निकाह एक ऐसे व्यक्ति से किया गया जो कि न केवल परिवार की जिम्मेवारी निभाने में अक्षम था बल्कि वह विक्षिप्त भी था। मैंने परिवार चलाने के लिए कुछ काम करना शुरू कर दिया। मेरे ससुराल वाले मुझसे जबर्दस्ती पैसे मांगते थे और मुझे मारते-पीटते थे एवं तरह-तरह से प्रताड़ित भी करते थे। इन कारणों से मैं अवसाद में चली गई। मेरे परिवार वाले हालांकि मेरे प्रति सहानुभूति रखते थे पर उन्होंने मुझे अपने निकाह को बचाने के लिए यह सब बर्दाश्त करने की सलाह दी। मेरा शौहर न केवल दहेज की माँग करता था बल्कि मेरे मृतक माता-पिता और मुझे अपशब्द भी करता था और इस तरह से वह मुझे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता था। यहां तक कि मुझे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था। जब उनकी प्रताड़ना और गाली-गलौज मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गए तब मैंने विरोध किया। मेरे विरोध करने पर मेरा शौहर गुस्सा हो गया और तीन तलाक दे दिया। इसके साथ ही मुझे मारने की भी कोशिश की। सही समय पर पड़ोसियों की मदद के कारण मैं जिन्दा बच पाई। मेरे ससुराल वालों और शौहर ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरा शौहर मुझसे अलग होने का निर्णय ले चुका था। मैंने महिला थाने में अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि मैं अपने शौहर को उसकी मानसिक अस्थिरता के कारण छोड़ना नहीं चाहती थी। एक पीड़ित के रूप में मैं सरकार से यह गुजारिश करती हूँ कि तलाक के कानून को और कड़ा बनाया जाए ताकि महिलाओं के शोषण को रोका जा सके। मैंने हलाला की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मना कर दिया। यह प्रथा एक अमानवीय प्रथा है एवं महिलाओं के शोषण करने का एक माध्यम भी है।

अनवर जहाँ का निकाह एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से हुआ था। वह उसे लगातार प्रताड़ित करता था और घर का सारा काम करने के लिए मजबूर करता था। वह घर चलाने के लिए अनवर को पैसे कमाने के लिए भी मजबूर करता था। अनवर जहाँ को यह सलाह दी गई कि वह अपना परिवार बचाने के लिए ऐसा ही करती रहे। लेकिन एक दिन अचानक उसके शौहर ने उसे तीन तलाक दे दिया और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसने हलाला की प्रक्रिया से गुजरने से मना कर दिया और इस्लाम के जानकारों को इस अमानवीय प्रथा के लिए जिम्मेवार ठहराया।

12

रफत जहाँ

"समाज निकाह के समय बहुत तत्पर रहता है लेकिन तलाक के समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। यहां तक कि आपके परिवार के सदस्य ही आपके दुश्मन बन जाते हैं।"

मेरा निकाह 19 वर्ष की उम्र में सिराजुद्दीन के साथ 1998 में हुआ था। मेरा शौहर मेरे साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करता था। वह मुझे हमेशा मारता-पीटता और गाली देता था। मेरी जिन्दगी में उस समय एक बुरा मोड़ आया जब मैंने एक पुत्री को जन्म दिया जिससे सिराजुद्दीन नाखुश था। कई दिनों तक उसने मेरा चेहरा नहीं देखा। मुझे सर्दी की रातों में भी अपनी बच्ची के साथ खुली छत पर सोने को मजबूर किया गया। वह किसी अन्य महिला से प्रेम करने का दावा करता था और उससे शादी करने की इच्छा रखता था। अपने शौहर का व्यवहार देखकर मैं अपने आपको असुरक्षित महसूस करती थी और इस बात को लेकर हमेशा डरती थी कि कहीं वह हिंसक होकर दुधमुंही बच्ची के साथ कुछ कर न बैठे। मैंने अपने पड़ोसी की सहायता से अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। न्यायालय में कई वर्षों तक यह विवाद चलता रहा परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तनाव भरे जीवन से निराश होकर मैंने अपने शौहर से तलाक देने की गुजारिश की। मेरे परिजनों ने भी मेरे इस निर्णय का समर्थन नहीं किया और वे मेरे जीवन के बुरे परिणामों के लिए अक्सर मुझे ही जिम्मेदार ठहराते रहे। तलाक के बाद मैंने एक आ. गनबाड़ी केन्द्र में कुछ समय के लिए काम किया। फिर बाद में मैंने आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी कर ली जहां मेरी मुलाकात एक वित्तीय कर्मचारी से हुई जिसके साथ मैंने दोबारा निकाह किया।

मैं पूरी तरह से तीन तलाक के खिलाफ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि यह महिलाओं के शोषण का एक माध्यम है। मैं तीन तलाक प्रथा को प्रतिबंधित करने की हिमायती हूँ।

रफत जहाँ के शौहर सिराजुद्दीन ने उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया। उसकी जिन्दगी तब और कठिन हो गया जब उसने एक पुत्री को जन्म दिया। रफत का शौहर पुत्री नहीं चाहता था। उसका शौहर दूसरी महिला से निकाह करना चाहता था। हालात जब बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उसने अपने पति से तलाक देने की गुजारिश की ताकि वह अपनी पुत्री के साथ एक नया जीवन व्यतीत कर सके। अब वह दोबारा निकाह कर चुकी है और वह वर्तमान में सुखी जीवन व्यतीत कर रही है।

13

नाजमिन

"तलाक के बाद मेरी दुर्दशा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने जीवन जिया था?"

मेरा निकाह 22 वर्ष की उम्र में दिल्ली के अजमेरी गेट में रहने वाले एक युवक से हुआ था। निकाह के कुछ दिनों बाद ही वह मुझे गाली-गलौज देकर प्रताड़ित करने लगा। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब वह मुझे मारता-पीटता और प्रताड़ित नहीं करता था। मेरा शौहर शराबी था और उसके अन्य महिलाओं से अवैध संबंध भी थे। जब मैंने इन सब बातों का विरोध किया तब मेरे शौहर ने मुझे तीन तलाक दे दिया जिसका पता मुझे एक पड़ोसी के द्वारा चला। मेरे तलाक को छह वर्ष हो गए है और अब मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मैंने न्यायालय में इस संबंध में एक अर्जी भी दी हुई है। मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो मेरे ससुराल वालों के साथ रहते हैं और वे मुझे मेरे बच्चों से मिलने भी नहीं देते हैं। मेरा शौहर बच्चों के साथ भी बुरा बर्ताव करता है। मेरे बच्चे तिरस्कृत हैं और बहुत ही खराब हालत में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस करती हूँ। जब मैंने पुलिस में अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोशिश की तो पुलिस ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि मामला अभी न्यायालय में लंबित है। मुझे यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि तीन तलाक की प्रथा बिना महिलाओं की सहमति के ही हो जाती है और जब एक महिला तलाक लेना चाहती है तो उसको अपने शौहर की सहमति लेनी पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे हालातों में एक बहुत ही कड़े तलाक के कानून को लागू करने की आवश्यकता है। जिससे कि तलाक की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। मैं चाहती हूँ कि तीन तलाक की प्रथा प्रतिबंधित होनी चाहिए।

नाजमिन का निकाह 22 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसका शौहर बड़ी निर्दयता के साथ उससे मारपीट करता था। नाजमिन जब दो बच्चों की माँ थीं तब उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया और गुजारा-भत्ता देने से भी इनकार कर दिया। नाजमिन के बच्चे भी उससे अलग कर दिए गए और उसे उनसे मिलने तक की इजाजत भी नहीं दी गई। उन निर्णयों में उसकी सहमति कोई महत्व नहीं रखती थी जिन्होंने उसकी जिन्दगी तबाह कर दी।

14 रजीना

"मैं मानती हूँ कि तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहद हानिकारक है क्योंकि उन्हें उस समाज का सामना करना पड़ता है जो हमेशा उन्हें ही तलाक के लिए कसूरवार ठहराता है और कभी भी पुरुषों को दोषी नहीं मानता है।"

भूरा से जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं केवल उन्नीस वर्ष की थी। उसके बाद हमारे चार बेटे और तीन बेटियां हुईं। मेरी दो बेटियों के विवाह के पश्चात भूरा ने अचानक मुझे तीन तलाक दे दिया। उसने मुझपर अपने दामाद के साथ अवैध संबंध होने का गलत आरोप लगाया। मैंने अपराधिक कानून प्रक्रिया की धारा-125 के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। भूरा एक भी न्यायिक सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहा। एकतरफा मुकदमा हो जाने के कारण न्यायालय ने अंतत: मेरे पक्ष में निर्णय दिया। चार वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद भूरा पर मुकदमें में उप. स्थित होने का दबाव डाला गया। लक्सर में मेरे वकील के दफ्तर में वकील की उपस्थिति में भूरा ने मुझे तीन तलाक दे दिया। उसने मुझे किसी भी प्रकार का गुजारा-भत्ता या हर्जाना नहीं दिया है। यहां तक कि मैं अपने मेहर की 2500 रुपए राशि भी नहीं पा सकी हूँ।

मुझे तलाक देने के बाद भूरा ने फिर विवाह कर लिया। उसने दूसरी पत्नी को तलाक देकर तीसरी शादी कर ली। मैं इस समय भयंकर गरीबी की मार झेल रही हूँ और मेरे कम उम्र के लड़के मजबूरन पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने के लिए विवश हैं। मुझे अपना परिवार चलाने के लिए नौकरानी का काम करना पड़ता है। चूंकि इतने बड़े परिवार का भरण-पोषण करना कठिन है, इसलिए हमें प्राय: भूखे पेट ही रहना पड़ता है। तनाव और गरीबी ने मेरी सेहत को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही मैं अपने बारे में तरह-तरह के अनुमान लगाने वाले पड़ोसियों से भी परेशान रहने लगी हूँ जो कि मेरी वर्तमान स्थिति के लिए मुझे ही जिम्मेवार ठहराते हैं।

मेरा छोटा भाई एहसान जो कि मेरी शादी के बाद पैदा हुआ था, मेरे ससुराल आता था। वह पिछले पांच वर्षों से मेरे

रजीना के पति भूरा ने उसे अपनी बेटियों की शादी के बाद तीन तलाक दे दिया। उसने रजीना पर व्याभिचार का आरोप लगाया। रजीना के शौहर ने उसे कोई गुजारा-भत्ता नहीं दिया जिस कारण उसे अपने बच्चों सहित विकट पर्. रस्थितियों में जीवन काटना पड़ रहा है। जीवन-यापन करने के लिए रजीना को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। इस्लाम का कोई भी जानकार जो कि इन रूढ़िवादी प्रथाओं को समर्थन देता है, रजीना की मदद के लिए आगे नहीं आया।

जीवन के दु:खों को महसूस कर रहा था जो कि भूरा के अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंधों के कारण उत्पन्न हुए थे। मेरे चेहरे की उदासी और जीवन की कठिनाईयों को देखकर एहसान बहुत दुखी था और वह अपने-आप को असहाय महसूस करता था क्योंकि वह मेरी कोई भी मदद करने की स्थिति में नहीं था। मेरा मानना है कि तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहद हानिकारक है क्योंकि उन्हें उस समाज के आरोपों को झेलना पड़ता है जो अपनी पितृसत्तात्मक सोच के कारण तलाक के लिए हमेशा महिलाओं को ही जिम्मेदार मानता है। वह कभी भी पुरुषों को कसूरवार नहीं ठहराता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तीन तलाक पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

नसरीन 15

"तलाक के बाद एक औरत कहां जाएगी? वह न तो पति के घर की रहती है और न ही अपने माँ-बाप के घर की।"

मेरी शादी लगभग 19 वर्ष की उम्र में असलम के साथ सन् 2000 में हुई। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति अक्सर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार होता रहता था। शादी के कुछ ही समय बाद असलम ने दहेज के लिए मुझ पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह न केवल शराबी था बल्कि उसके कई औरतों से अवैध संबंध भी थे। जब मैंने अपने शौहर की इन बुरी आदतों का विरोध किया और अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ माहौल की गुजारिश की तो वह मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। मेरी दो बेटियां हैं जिनकी देखभाल की जिम्मेवारी मुझ पर है। घरेलू हिंसा ने मुझे तोड़ कर रख दिया और उसके बाद मुझे तलाक दे दिया गया। असलम ने मुझे और मेरी बेटियों को किसी भी तरह का गुजारा-भत्ता देने से इनकार कर दिया। मेरी भावनात्मक उथल-पुथल और परेशानियों ने मेरे पिता के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला और उनकी मृत्यु हो गई। हलाला और तीन तलाक की तलवार मुस्लिम महिलाओं पर लगातार लटकती रहती है और इस वजह से उनके पास इन जुर्मों को चुपचाप सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं मुस्लिम औरतों पर जुर्म है और उनके सम्मान को घटाती हैं इसलिए इन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगना चाहिए। इन प्रथाओं का दुरूपयोग महिलाओं के शोषण करने में हो रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को सही तलाक और गुजारा-भत्ता मिले। पति को बच्चों की देखभाल की और शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। महिलाओं के वैवाहिक जीवन को पूर्णत: सुनिश्चित करना चाहिए और पुरूष को आसानी से उन जिम्मेवारियों से भागने नहीं देना चाहिए।

नसरीन अपने पति असलम से अपनी शादी के बाद से ही दहेज के लिए मारपीट एवं अपशब्दों को झेल रही थी। उसके पास तलाक के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। उसके पति ने उसे और उसकी दो बेटियों को किसी भी प्रकार के गुजारा-भत्ता देने से साफ इनकार कर दिया। उसकी भावनात्मक उथल-पुथल और परेशानियों ने उसके पिता के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला और उनकी मृत्यु हो गई। धर्म के ठेकेदार उसकी इन परेशानियों और संघर्ष के प्रति बिल्कुल बेपरवाह हैं।

ipf भारत नीति प्रतिष्ठान India Policy Foundation

16

बिल्किस

"जब एक व्यक्ति आपको तलाक कहता है उससे आपका सम्पूर्ण अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अल्लाह इस शब्द से खुश नहीं होता होगा।"

मेरी पहली शादी सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। उलेमाओं और मौलानाओं ने शादी कराते समझ मेरी इस कम उम्र के संबंध में कोई विरोध नहीं किया। इस शादी से मुझे एक बेटा हुआ जो कि 15 वर्ष का है। मैं इस शादी के संबंध में कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी दूसरी शादी नसीब के साथ हुई। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति की एक और पत्नी पहले से ही है जिसके बारे में शादी के वक्त मुझे नहीं बताया गया था और यह तथ्य मुझसे छिपाया गया था। शादी के छह माह बाद वह फिर से अपनी पहली पत्नी की तरफदारी लेने गया और उसे पसंद करने लगा तथा उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। मेरी ननद भी मुझे कई तरह से प्रताड़ित करती थी। हमारी बेटी के पैदा होने के बाद, नसीब तीन साल के लिए सऊदी अरब में काम करने चला गया। वह मुझे व मेरी बेटी को हमारे हाल पर छोड़ कर चला गया। एक दिन उसने मुझे फोन किया और फोन पर ही तीन बार तलाक कह दिया। एक फोन ने मुझसे मेरे पति के घर में रहने का अधिकार छीन लिया। मुझे जबरदस्ती उस घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं अपनी बहन के साथ उसके घर आ गई जो कि मेरा और मेरी बेटी का पूरा खर्चा उठा रही है। मेरे पति ने ना तो मेरी बेटी को कोई गुजारा-भत्ता दिया और ना ही मुझे। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ और स्वयं अपनी बेटी का पालन-पोषण करना चाहती हूँ। यह मेरे जीवन का आर्थिक व सामाजिक संघर्ष का पड़ाव है। मेरे पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है। मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी भी मेरे प्रति असंवेदनशील हैं।

बिल्किस की पहली शादी सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। मौलवी ने शादी करवाते वक्त उसकी इस कम उम्र के संबंध में कोई विरोध नहीं किया। उस शादी में मिले जख्मों से बिल्किस इस तरह से भयभीत हुई है कि वह उसके बारे में बात तक करना नहीं चाहती। उसकी दूसरी शादी नसीब के साथ हुई जिससे उसकी एक बेटी है। नसीब विदेश चला गया और फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया। संसाधनों की कमी के कारण वह अपनी बेटी का पालन-पोषण करने में असमर्थ है। समाज ने उसकी परेशानियों से मुंह मोड़ रखा है।

मेरा पक्का मानना है कि तीन तलाक और हलाला भयानक गुनाह है और इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि ये महिलाओं की जिंदगी और सम्मान को कठोर आघात पहुँचाते हैं। मैं यह नहीं मान सकती कि इस्लाम इन बुरी प्रथाओं को समर्थन देता है। मुझे नसीब की पहली पत्नी से बहुत डर लगता है और मुझे उससे अपनी जान का खतरा भी महसूस होता है। मैं सरकार से यह माँग करती हूँ कि मेरे और मेरी बेटी के लिए गुजारा-भत्ते का प्रबंध करवाये।

17

इमराना

"तीन तलाक जीवन बर्बाद कर देता है। औरतें यह भी नहीं जान पाती हैं कि वह कब ब्याही गई और उसे कब तलाक मिल गया। औरतों का सारा भविष्य बर्बाद हो जाता है।"

इमराना केवल सत्रह वर्ष की थी जब उसकी शादी 46 वर्षीय रईस के साथ हुई। उसके पति और ससुराल वाले मिलकर उसे प्रताड़ित करते थे और कई दिनों तक भूखा रखते थे। यहाँ तक कि जब इमराना गर्भवती हुई तब भी उसको प्रताड़ित किया जाता रहा। उसे अपने बेटे सहित अपने माँ-बाप के घर लौट जाने के लिए दबाव डाला गया और वह मायके चली गई। उसके पति ने न सिर्फ उसे गुजारा-भत्ता देने से इनकार कर दिया बल्कि उसे त्याग भी दिया।

मेरी शादी सत्रह वर्ष की उम्र में 46 वर्षीय रईस के साथ मेरी मर्जी के बिना हुई थी। मेरा रिश्ता मेरे माता-पिता ने तय किया था, जिसकी मुझे कानो-कान खबर नहीं हुई। शादी के तुरंत बाद ही मेरे पति ने मुझे गाली-गलौज देना शुरू कर दिया। अपनी शादी के तीन दिन बाद ही मुझे जब. रदस्ती अपने माता-पिता के घर लौटना पड़ा। जैसे-तैसे मैंने वापस ससुराल जाने की हिम्मत की तो वहां पहुंचने के बाद मेरे सारे सोने के गहने मुझसे छीन लिए गए और मेरे पति तथा ननद ने मुझे बुरी तरह पीटा। जब मैंने इसका विरोध किया तब मेरे माता-पिता को बुलाकर कहा कि मैं घर से भागना चाहती हूँ। और हमेशा ही घर में कोई न कोई समस्या पैदा करती रहती है। मेरा शौहर घर में अवैध हथियार लाता था और मुझे जान से मारने की धमकी देता था। मेरा असंवेदनशील ससुर मुझसे अपशब्द कहता था और दहेज की माँग करता था। मेरे ससुर ने मेरा सारा सामान भी बेच दिया। यहां तक कि उन्होंने मुझ पर व्यभि. ाचार का आरोप भी लगा दिया।

मुझे जबरदस्ती मेरे माता-पिता के घर भेज दिया गया। पिछले दो वर्षों से मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ। मेरे पति ने आजतक ना ही मेरे लिए कोई गुजारा भत्ता दिया है और ना ही हमारे बेटे के लिए जो कि अच्छी शारीरिक स्थिति में भी नहीं है। मैं पूर्णत: अपने बीमार पिता और भाईयों पर अपने जीवन-यापन के लिए निर्भर हूँ जिसमें कि मेरा एक भाई शा. रीरिक रूप से विकलांग भी है। मैं अपने छोटे से बेटे के लिए बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मेरे पति को लोगों से उधार मांगने की आदत है और वापस न करने की भी। ऐसे स्थिति में वे लोग मेरे घर आकर मुझे धमकियां देते हैं। जब-जब भी मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की तब-तब

उसने अपने ठिकाने के बारे में मुझसे झूठ बोला।

रईस समाज में यह दावा करता है कि उसने मुझे फोन पर तलाक दे दिया है और वह मेरी कोई भी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार करता है। मैं इस तलाक को स्वीकार नहीं करती हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि मेरा तलाक सही तरीके से या तो अदालत में हो या फिर पंचायत में हो। तलाक की इस घटना के कारण मैं अपने पूरे जीवन को दयनीय बनाने से साफ इनकार करती हूँ। मैं दूसरा विवाह करना चाहती हूँ और अपने बेटे के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ परंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ क्योंकि जानबूझकर मेरे शौहर ने यह अनिश्चितता बनाई हुई है। मैं मानती हूँ कि वर्तमान तीन तलाक और हलाला की प्रथाएं बुराईयां हैं और उनपर प्र. तिबंध लगना चाहिए। मैं उन सभी मौलानाओं और उल. माओं से यह प्रश्न पूछती हूँ कि आजतक वे मेरे बेटे के महंगे इलाज के लिए मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? मैं खुद को बहुत असहाय महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे माता-पिता काफी बूढ़े हैं और दिन-प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। मैं अपने बेटे को शिक्षित करना चाहती हूँ और स्वयं एक सम्मान का जीवन जीना चाहती हूँ।

18

फरजाना

"हलाला पूर्णत: गलत है। मर्दों द्वारा तीन तलाक जब चाहे तब दे दिया जाता है। यह महिलाओं के साथ घोर अन्याय है।"

फरजाना को शादी के बाद यह पता चला कि उसका पति मोहम्मद खादिम उसकी सास का असली बेटा नहीं है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि माँ-बेटे के रिश्ते की आड़ में उनका आपस में अवैध संबंध था। दोनों फरजाना की पिटाई करते और दहेज की भी माँग करते। उसे जबरन अपनी बेटी के साथ मायके भेज दिया गया। खादिम ने पत्र लिखकर फरजाना को तीन तलाक दे दिया। तीन तलाक ने फरजाना को असहाय बना दिया है और वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती है।

मैं बीस वर्ष की थी जब मेरी शादी मोहम्मद खादिम से 2009 में परिवार की सहमति से हुई। शादी के तीन महीनों के भीतर ही उसने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मुझे यह जानकर एक झटका लगा कि मेरा पति मेरी सास का सगा बेटा नहीं है और इस बहरूपिए माँ-बेटे के रिश्ते की आड़ में उनका आपस में अवैध संबंध है। मेरे असली सास-ससुर बिहार में रहते हैं और उनका मेरे शौहर और उसकी 'ढोंगी' माँ से कोई लेना-देना नहीं है। लगातार हो रही पिटाई और मानसिक उत्पीड़न के चलते मुझे अपने माता-पिता के घर वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब मैं गर्भवती थी तब मेरे शौहर ने हाथ से लिखा तीन तलाक का कागज पुलिस के द्वारा भिजवा दिया। इस पर ना ही कोई अधिकारिक मुहर थी और ना ही किसी गवाह के हस्ताक्षर थे। मुझे मेरे शौहर ने जान से मारने तथा खतरनाक नतीजों की धमकी दी। मैंने और मेरे पिता ने रिश्तेदारों की मदद से खादिम के साथ समझौता करने की भी कोशिश की परन्तु वह व्यर्थ ही साबित हुई। अब मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे सही तरीके से तलाक चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी के साथ एक नई जिन्दगी की शुरुआत कर सकूं। एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है परन्तु मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरा उस घर में रहना सम्भव नहीं है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती परन्तु मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझे मेरे सारे अधिकार दे तथा गुजारा-भत्ता भी मुहैया कराए। मैं महसूस करती हूँ कि हलाला की प्रथा मुस्लिम महिलाओं का सबसे घृणित शोषण है जिस पर प्रतिबंध

लगना चाहिए। मैं सरकार से यह विनती करती हूँ कि तीन तलाक की प्रथा को रोके और अगर तलाक होता भी है तो वह दोनों पक्षों की रजामंदी से ही होना चाहिए।

शादी के बाद अगर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति यह है तो शायद उन्हें कभी विवाह करना ही नहीं चाहिए। वर्तमान में, मैं अपने माता-पिता के घर रह रही हूँ और सिलाई व कढ़ाई का काम करके अपना व अपनी बेटी का पालन-पोषण कर रही हूँ।

19

नसीम अख्तर

"तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए तलवार की तरह है जिसका भय उन्हें हमेशा सताता रहता है। यह कुरान के खिलाफ है।"

मेरी शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी और मात्र अठारह वर्ष की उम्र में मैं माँ भी बन गई। मेरी शादी घरवालों ने तय की थी। शुरू में मेरे रिश्ते अपने पति के साथ मित्रताप. ूर्ण थे, किन्तु बाद में मेरे संबंध बिगड़ गए क्योंकि मेरा पति बेरोजगार और शराबी था। मेरा पति मुझे मारा पीटा करता था और गाली-गलौज भी देता था। मुझे दो बच्चों की परवरिश के साथ-साथ घर के सभी कार्य करने पड़ते थे। तथा अपना और बच्चों का जीवन-यापन करने के लिए कमाना भी पड़ता था। जब मेरे पति के अत्याचार असहनीय हो गए तो मैंने शादी के बारह साल बाद पति से अलग रहने का फैसला ले लिया।

नसीम अख्तर का प्रारम्भिक वैवाहिक खुशहाल जीवन एक बहुत ही दयनीय स्थिति में तब्दील हो गया। अपशब्द, मारपीट और बेइज्जती उसकी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए। आखिरकार उसने अपने पति को तलाक दे दिया और वह एक सशक्त महिला बनकर उभरी।

मेरी माँ और भाई ने मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाने-लिखाने और पालने में सहयोग किया। शौहर से अलग होने की पीड़ा में मुझे भयंकर अवसाद का सामना करना पड़ा। इस स्थिति से उबरने में मेरे बच्चों और परिवार का मुझे पूरा सहयोग मिला। मैंने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने बच्चों के सहयोग से नौकरी करना शुरू किया। वर्तमान में मैं अपने बेटे के साथ ही कम्पनी में नौकरी कर रही हूँ। मेरी बेटी जयपुर में एक विख्यात निजी विद्यालय में अध्यापिका है। मेरे दोनों बच्चे अब स्थायी नौकरी कर रहे हैं और मैं अपने वर्तमान जीवन से बहुत खुश हूँ। मैं कभी दोबारा शादी नहीं करना चाहती हूँ और अपना सम्पूर्ण समय और जीवन अपने दोनों बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए देना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि तीन तलाक का कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है और मैं कुरान के नियमों को संकलित करने की माँग भी करती हूँ। मेरा मानना है कि मुस्लिम महिलाओं को लगातार एक भय के माहौल में रहना पड़ता है क्योंकि परिवारों में सहयोग नाम की कोई चीज नहीं है और हिंसा अपने चरम पर है। यह

दहशत का माहौल है जिसके कारण वे अपने दु:खों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाती हैं।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि तीन तलाक से जुड़े जितने भी लंबित मुकदमे हैं उनका शीघ्र समाधाान हो और मि. हलाओं को उचित गुजारा-भत्ता मिले। मैं खूश हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक के मुद्दे पर निर्णय देना स्वीकार किया है। मैं एक से अधिक विवाह और हलाला प्रथा का विरोध करती हूँ।

20

शाज़िया खान

"वह दिन मेरे जीवन का त्रासदी भरा सबसे बुरा दिन था जब मुझे एक हजार रुपये में बाजार के समान की तरह बेच दिया गया। लेकिन हलाला के लिए मैंने इनकार कर दिया।"

मेरी शादी असलम खान के साथ मेरे घरवालों की मर्जी से 1996 में हुई थी जब मैं मात्र 16 साल की थी। मेरा पति शराबी था और दहेज को लेकर मुझे अपशब्द कहता रहता था। जब मुझे पता चला कि असलम मेरे दहेज के समान को बेच रहा है तो मैंने विरोध किया। जब मै कोई सामान खरीद कर लाती थी तो असलम उसे भी बेचने की कोशिश करता था। मैंने उसको मनमानी करने की छूट नही दी। उसको यह बात अच्छी नही लगी और उसने मुझे तीन तलाक दे दिया। मैंने सोचा था कि शादी मेरे लिए एक सुखद अनुभव होगा, जबकि यह एक त्रासदी के रूप में मेरे सामने आई। तलाक के बाद मैं अपने पिता के घर अलीगढ़ वापस आ गई। फिर मेरे भाई ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। इसी बीच मेरे शौहर ने शाही इमाम के माध्यम से यह कहते हुए फतवा जारी करवाया कि तलाक अभी नहीं हुआ है। मै अपने भाई की इच्छा के विपरीत अपने पति के घर वापस आने के लिए खुश थी परन्तु वापस आकर पता चला कि यह फतवा गलत था और असलम से दोबारा शादी करने के लिए मुझे हलाला जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वह मेरी जिन्दगी का सबसे बुरा दिन था जब मुझे हलाला के लिए 1000 रुपये में बाजार के सामान की तरह बेचा गया। मैंने हलाला करने से मना कर दिया। मेरे

शाज़िया खान का निकाह उसके घरवालों की मर्जी से असलम खान के साथ हुआ था। कुछ दिनों बाद ही असलम उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा और फिर मौखिक रूप से तीन तलाक दे दिया। उसके इनकार करने के बाद भी उसको हलाला के लिए मजबूर किया गया। जब हलाला की प्रक्रिया पूरी नही हुई तो दोबारा उसे अपने पति से निकाह करने के लिए काजी से झूठ बोलना पड़ा। दो बच्चो को जन्म देने के बाद उसे पता चला कि उसके पति का एक हिजड़े के साथ अवैध सम्बन्ध है। धर्म ने शाजिया को रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़ दिया। अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर शाजिया ने अलग रहने का फैसला किया।

मना करने पर जब हलाला की प्रक्रिया नही हुई तो मौलाना ने दोबारा असलम से निकाह करने के लिए मना कर दिया।

हमारे परिवार ने सही जानकारी छिपाकर दरगाह में हमारी शादी कराने का फैसला किया। मेरे पास असलम से दो बच्चे थे। मेरे जीवन में एक नई त्रासदी तब आ गयी जब असलम मुझे देह व्यापर करने के लिए मजबूर करने लगा। इस दौरान मुझे यह भी पता चला कि मेरे पति के एक हिजड़े के साथ अवैध सम्बन्ध हैं। इस घटना के बाद मैं असलम से अलग हो गई और मैंने अपने दो बच्चों के साथ एक नई जिन्दगी की शुरुआत की। अपने एक मित्र की मदद से मैं अपने लिए एक नई जिन्दगी बनाने में सफल हुई हूँ। महिलाओं का शोषण और उनको पुरुषो के रहमो-करम पर जीने के लिए शरिया कानून को बनाया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीन तलाक का सही मुद्दा उठाया है, जो मुस्लिम महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिलाएगा। तीन तलाक और हलाला को रोकने के लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता है। पीड़ित महिला को उसके पति से गुजारा-भत्ता भी मिलना चाहिए।

21

नगमा नाज़

"पुलिस इस बात पर जोर देती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मेरा विवाह खारिज हो गया है। मैं जोर देकर कहती हूँ कि तीन तलाक पर प्रतिबंध लगना चाहिए। "

केवल सत्रह वर्ष की उम्र में 2012 में मेरा निकाह शुजा. उद्दीन से हुआ। मेरा पति शुजाउद्दीन शकी स्वभाव का था। वह मुझपर हमेशा शक करता था कि मेरे अन्य लोगों के साथ अवैध संबंध हैं। मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि मेरा शौहर राह में गुजरने वाले हर आदमी पर शक करता था। मेरे सास-ससुर अच्छे थे, वे पूरा सहयोग करते थे। परन्तु मेरा पति लगातार मारपीट करता रहा। जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे घर से भगा दिया। अत: जबरन मुझे अपने माता-पिता के पास आना पड़ा। मेरी माँ 20-25 लड़कों को खाना बनाकर खिलाने का काम करती थी। मैं उन्हीं लड़कों में से एक आसिफ से मिली और उससे दोस्ती कर ली। हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने और मैं उससे शादी करना चाहती थी। यहां तक कि आसिफ ने लिखित में मुझसे अपने प्यार और शादी करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद हमने शादी कर ली। शादीशुदा जीवन का कुछ अच्छा समय बिताने के बाद एक दिन आसिफ घर से भाग गया। मैंने एक शिकायत थाने में दर्ज करा दी। फिर पुलिस की मदद से आसिफ आया और 15 दिनों तक साथ रहने के बाद वापस चला गया। फिर वह वापस आया और मुझसे कहा तुम दस लाख रुपए ले लो और मैं तलाक दे देता हूँ, क्योंकि हम दोनों की बिरादरी अलग है और मेरे माता-पिता मान नहीं रहे हैं और हमें जितना जल्दी हो सके तलाक ले लेना चाहिए। उस पर मैंने पुलिस में आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया परन्तु कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और मैं मानती हूँ कि पुलिस आसिफ के परिवार के दबाव में कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले दो वर्षों में आसिफ एक बार भी तारीख पर नहीं आया। पुलिस वाले ने तर्क दिया कि मेरा मजहबी कानून के अनुसार तलाक हो चुका है। मेरा सख्त मानना है कि तलाक बिल्कुल बन्द होना चाहिए। इस प्रथा के कारण बहुत सी मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, जैसे मैं पीड़ित हूँ।

नगमा नाज़ अपनी पहली शादी में दुर्व्यवहार, यातना और उत्पीड़न की पीड़िता है। उसकी वफादारी को उसके पति शुजाउद्दीन द्वारा संदेह से देखा जाता था जो कि उसके तलाक की वजह बनी। अपनी दूसरी शादी में उसकी अपने ससुराल वालों के प्रति निष्ठा को संदेह से देखा गया और इसका भी पहले की तरह ही अंजाम हुआ।

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

22

नजमा खान

"मेरा मानना है कि हलाला जैसी कुप्रथा मृत्यु से भी भयावह है और किसी भी कीमत पर तीन तलाक के लिए दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए।"

नजमा खान की आशंका उस वक्त सच साबित हुई जब शादी के दस वर्ष बाद उसे तिरस्कारपूर्वक मजबूर होकर तलाक को स्वीकारना पड़ा। उसकी कहानी यह स्पष्ट करती है कि महिलाएँ कितनी असुरक्षित है एक पितृसत्तात्मक समाज में जो कि धर्म द्वारा वैध करार किया गया है, उलेमाओं के द्वारा संस्थागत किया गया है और नरमपंथियों और तथाकथित आधुनिक लोगों की चुप्पी के कारण बरकरार रखा गया है।

मेरी शादी 1985 में 16 वर्ष की आयु में दिलदार खान के साथ पारिवारिक सहमति से हुई। मेरे पति की खुद की गाड़ी थी, जो रोजी-रोटी कमाने का साधन थी। शादी के समय मैं 8वीं पास थी। शादी के बाद मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। वास्तव में मुस्लिम विवाह की सच्चाई तो यह है कि लड़की की रजामंदी नहीं ली जाती है। निकाह भी लड़के के सामने पढ़ा जाता है। एक रिवाज के तौर पर लड़की से तो सिर्फ इजाजत ली जाती है।

मेरा शौहर उम्र में मुझसे आठ-दस वर्ष बड़ा था। शारीरिक संबंध को लेकर मैं डरती थी क्योंकि इतनी कम उम्र में मुझे इसकी कम जानकारी थी। मुझे शारीरिक संबंध एक शोषण की तरह लगता था जिसमें कोई आनन्द की अनुभूति नहीं थी, यह सब मुझे जोर-जबर्दस्ती जान पड़ता था। इस शादी से मेरे चार बच्चे हैं। मेरे पति के साथ संबंध खराब होने का वास्तविक कारण उसका किसी अन्य महिला के साथ शादी से पहले का ही संबंध था, जो उसने शादी के बाद भी बरकरार रखा। मेरा घर से निकलना एवं किसी से मिलना सबकुछ प्रतिबंधित था। आठ वर्षों तक मेरा शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण चला और उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी खुद जीने का निश्चय किया। शौहर बच्चों को मारने व उन्हें बेचने की धमकी देता रहता था। मेरी लगातार पिटाई होती थी और यहाँ तक कि मेरा शौहर मेरे बेटों के असली बाप के बारे में पूछता रहता था एवं उनके पितृत्व पर सवाल उठाता था। शादी के दस साल बाद, कुछ लोगों के माध्यम से 'तलाक' कहलवाकर मुझे तलाक दे दिया। तलाक के समय मेरा सबसे छोटा बेटा एक साल का था। जब तलाक दिया गया तब मैं रमजान के महीने में रोजे से थी और उस समय तलाक देना शरीयत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। मेरा पति उसके बच्चों पर संदेह कर मारता-पीटता था। मेरा कहना है कि 'यदि आदमी अच्छा

न हो तो उसे बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए।' मुस्लिम महिला शादी के बाद पति के जुल्म सहने को इसलिए मजबूर होती है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। मुस्लिम महिला सोचती है कि दस जगह ठोकरें खाने से अच्छा है कि वह एक जगह जुल्म सह ले। तलाक के बाद मुझे कोई मेहर की रकम या अन्य मुआवजा नहीं मिला। मैं खुद नौकरी कर अपने बच्चों के पास रहती हूँ और उनकी परवरिश करती हूँ।

मौलानाओं का रवैया मुस्लिम महिलाओं के प्रति कैसा है, इस बात का अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है। वर्ष 2006 में जामिया में उलेमाओं की बैठक में मैंने तीन तलाक बन्द करने तथा महिलाओं को घर से बाहर काम करने की इजाजत दिए जाने की बात कही। इस पर उलेमाओं ने फतवा जारी किया कि ऐसी माँग करने वाली महिलाओं को खैरात ज़कात दो अर्थात् जो तीन खैरात ज़कात देगा वह चौथे दिन उस महिला पर अधिकार कर लेगा। मैंने गुजारा-भत्ता लेने के लिए न्यायालय जाने का फैसला किया तो मुस्लिम समाज के लोगों ने साथ छोड़ दिया और विरोध किया। मैंने स्वयं पटियाला कोर्ट में मुकदमा दाखिल करवाया, बाद में खराब हालात के कारण मैं मुकदमा जारी नहीं रख सकी।

मैं हलाला को मौत से भी ज्यादा कष्टदायक मानती हूँ। मेरा मानना है कि तलाक दोनों पक्षों की सहमति से होना चाहिए। हलाला और तीन तलाक पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लड़कियों को अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए, जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सकें। कानूनी तौर पर हलाला व तीन तलाक को बन्द करा देना चाहिए। साथ ही इनसे पीड़ित महिलाओं को मुआवजा, गुजारा-भत्ता तथा कानूनी मदद व सुरक्षा दिलवाने का भी प्रबंध करना चाहिए।

23

शायदा परवीन

"तीन तलाक ने मुझे और मेरी बेटी को मेरे बूढ़े पिता के ऊपर बोझ बना दिया है।"

मेरी शादी सन् 2002 में रहीमुद्दीन के साथ पारिवारिक सहमति से हुई थी। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष की थी और मेरे पति की 28 वर्ष की थी। हालांकि मेरे माता-पिता ने शादी में मुझे पर्याप्त दहेज दिया था फिर भी मुझे इसके लिए प्रताड़ित किया गया। मेरी बारह साल की एक बेटी, सम्बुल भी है। मैं अपनी बेटी के साथ पिछले बारह वर्षों से अपने माँ-बाप के साथ रह रही हूँ। मैंने गुजारा-भत्ते के लिए गुजारिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे बुजुर्ग पिता, बाबू जो कि बढ़ई का काम करते हैं उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है और वे मेरा और मेरी बेटी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। मेरी बेटी मायके में ही पैदा हुई, परंतु आज तक न उसने अपने पिता को देखा है और न ही उसके पिता ने उसे देखा है। मेरी इच्छा है कि सरकार मेरे पति से गुजारा-भत्ता दिलवाने में मेरी मदद करे, उसकी संपत्ति में मुझे हिस्सा दिलाए और मेरी बेटी के लिए पढ़ने-लिखने के साधन उपलब्ध करवाए। मैं चाहती हूँ कि तीन तलाक और हलाला प्रतिबंधित हो जाएं ताकि अन्य महिलाओं को मेरी तरह यह

शायदा परवीन को शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसका पति रहीमुद्दीन मारपीट एवं गाली-गलौज करता था। शादी के बाद जब वह गर्भवती हुई तो उसे उसके पति के द्वारा मायके भेज दिया गया। अपने मायके में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का जन्म होना ससुराल वालों को पसन्द नहीं आया और उन्होंने शायदा को वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया। अब वह अपनी बेटी सम्बुल के साथ अपने बुजुर्ग पिता के ऊपर पूर्णत: निर्भर है।

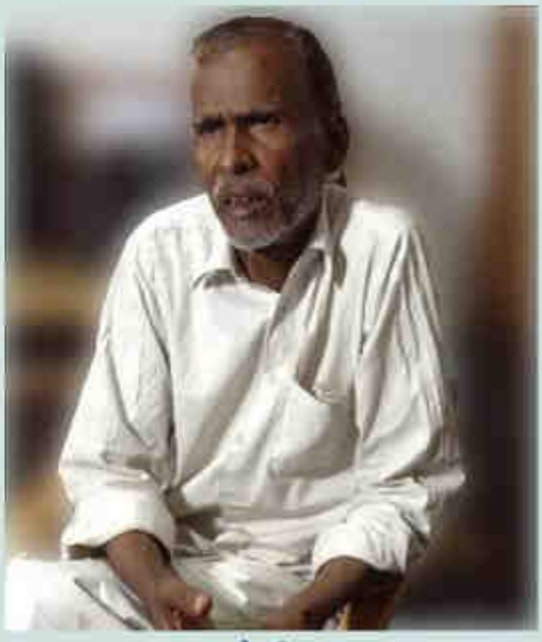

शायदा के पिता बाबू

बदकिस्मती न झेलनी पड़े। मैं सम्बुल को पढ़ाने-लिखाने और आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखती हूँ।

मेरे पिता कहते हैं कि किसी भी पिता के लिए खुशी की बात होती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुशी से रहे। मगर वे इतने खुशनसीब नहीं हैं कि यह अपनी आंखों से देख सकें। मेरे पिता न सिर्फ मेरे भविष्य को लेकर चिंतित हैं अपितु अपनी नातिन के भविष्य के लिए भी चिंतित हैं।

24

नरगिस

"मैं अपना अधिकार चाहती हूँ। मै
चाहती हूँ कि जिस प्रकार उसने गवाहो
के समक्ष शादी की है उसी प्रकार गवा
हों के समक्ष ही तलाक भी दे।"

नरगिस की शादी 23 वर्ष की उम्र में मोहम्मद फरीद से हुई। उसका पति न सिर्फ एक व्यभिचारी, चोर था बल्कि वह यौन-विकृति का भी शिकार था। फरीद ने नरगिस को मौखिक रूप से तीन तलाक देकर जबर्दस्ती उसे अपने बेटे के साथ मायके लौट जाने के लिए मजबूर किया। जब से वह अपने माँ-बाप के घर लौटकर आई है तब से किसी ने उसके गुजारे के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। कट्टरपंथता ने नरगिस की जिंदगी तबाह कर दी है।

मेरी शादी फरीद से हुई थी और शादी के तुरन्त बाद ही उसने दहेज की माँग शुरू कर दी। वह अक्सर ही मुझे ब्लैकमेल करता था कि वह दूसरी शादी कर लेगा। फरीद ने मेरे सारे गहने ले लिए। जब मैंने अपने गहने वापस मांगे तो उसने मुझे मारना-पीटना व गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। फरीद एक आदतन व्यभिचारी व्यक्ति था जिसके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे जिनमें से कुछ तो मेरे मोहल्ले की ही थीं। मैं उस समय शर्मिंदा हो जाती थी और भावनात्मक रूप से टूट जाती थी जब मेरे माता-पिता या पड़ोसी फरीद को किसी अन्य महिला के साथ देखे जाने की बात मुझे बताते थे। जब इस बाबत मैंने फरीद से पूछताछ की तो वह साफ मुकर गया। वह इतना निर्लज्ज था कि जब मैंने उससे इन सभी आरोपों के बाबत पूछा तब उसे अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि उसने तुरन्त मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया। यहां तक कि उसने एक झूठा तलाकनामा मेरे घर पर भेज दिया। फरीद और मेरे बीच संबंध तब और खराब हो गए जब मैं गर्भवती हुई। आने वाले बच्चे के लिए खुशियां मनाने की बजाए वह मुझे लगातार प्रताड़ित करता रहा। वह मुझे धमकियां देता था कि वह मुझे पागल साबित करके दूसरी शादी कर लेगा। वह इतना निर्दयी था कि गर्भावस्था की हालत में भी मुझे खाना नहीं देता था और मारता-पीटता भी था। वह मुझ पर जिस्मफरोशी का आरोप भी लगाता था और मुझे जिस्मफरोशी करने तथा गैर-मर्दों के साथ हमबिस्तर होने के लिए दबाव बनाता था। फरीद का बहनोई जिसने हमारी शादी कराई थी फरीद को अवैध संबंध बनाने में मदद करता था। यहां तक कि फरीद मुझे अपने परिवार से बातचीत भी नहीं करने देता था। अगर उसके खुद के परिवार का कोई सदस्य मेरी मदद करने की कोशिश करता था वह मुझ पर उन

व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगा देता था। जब उसने बेतहाशा तलाक बोला तो उसका बहनोई गया और उसने इसके लिए पूरे कागजात तैयार करा लिए। वह जब भी और जहां भी मुझे मिलता था तभी 'तलाक-तलाक-तलाक' बोलता था। मेरे पास अपने माता-पिता के घर वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तब से आजतक फरीद ने ना ही मुझे और ना ही हमारे बेटे के गुजारा-भत्ते का एक पैसा भी दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे किसको अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए सरकार को, मौलानाओं को या अपनी किस्मत को।

फरीद उस समय निचले दर्जे का इंसान निकला जब वह यौन-शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुआ। जेल में रहने के दौरान वह मुझे व हमारे बेटे को याद करने का दावा किया करता था परन्तु जब मेरे भाई ने उसकी जमानत करवाई तब वह फिर से अपने पुराने क्रियाकलापों पर लौट आया। वह चोरी-चकारी करता था और समाज में कहता फिरता था कि मुझसे और मेरे बेटे से उसके कोई संबंध नहीं हैं। मैंने उसके खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी परन्तु आजतक उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

मेहरूनिस्सा, नरगिस की माँ अपनी बेटी की वेदना को सुनते हुए

14

समीना बेगम

"तीन तलाक पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के द्वारा चारों ओर जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हो सके।"

समीना बेगम के पहले पति जावेद अनवर ने उसपर शादी करने के लिए दबाव डाला। विवाह के तुरंत बाद ही उसके पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनके दो बेटों के पैदा होने के बाद भी वह उसे अपशब्द कहता रहा। तभी अचानक उसने एक पत्र के द्वारा समीना को तलाक दे दिया। किसी तरह वह अपनी जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को सम्भाल ही रही थी कि रियाज ने उससे धूर्ततापूर्वक दूसरा निकाह कर लिया। हालांकि इस शादी से समीना और रियाज का एक बेटा हुआ और उसके बाद एक बार फिर रियाज ने भी फोन पर समीना को तीन तलाक दे दिया। उसके पास स्वयं के लिए एवं अपने बेटों के लिए कुछ भी नहीं है। एक कर्मठ महिला होने के नाते उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया और बहुविवाह तथा हलाला के विरूद्ध न्यायालय में याचिका दाखिल की।

जिस समय जबर्दस्ती मेरा पहला निकाह जावेद अनवर से हुआ उस समय मैं एक उभरती हुई शायरा थी। मेरे पति ने मुझसे निकाह करने के लिए मुझे जान से मारने तक की धमकी दी थी। मैं एक शिक्षित परिवार से हूँ और मेरे पिता एक स्कूल शिक्षक थे। इसी कारण मेरी परवरिश अच्छी हो पाई थी और मेरी शादी एक अच्छी जगह हो सकती थी। शादी से पहले मैं अपने शौहर को नहीं जानती थी। शादी के बाद छोटी-मोटी बातों को लेकर मेरा शौहर मुझपर प्रतिदिन अत्याचार और मारपीट करने लगा। इस दौरान मैं गर्भवती हो गई परन्तु मुझ पर होने वाले अत्याचार में कोई कमी नहीं आई। अपने शौहर के लगातार अत्याचारों से परेशान होकर मैं अपने मायके लौट आई और यहीं पर अपने बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद एक बार फिर पति के घर गई और बाद में एक और बेटे को जन्म दिया। उधर, मेरा पति लगातार मेरी उपेक्षा करता रहा। अपने नवजात बेटे के जन्म का उत्सव मनाने की जगह मेरे शौहर ने मुझे पत्र के माध्यम से तलाक दे दिया। यहीं से अपने दो बेटों के साथ मेरा संघर्ष शुरू होता है, जिनके लिए व्यावहारिक रूप से देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अपने जख्म देने वाले निकाह और जल्दबाजी में हुए तलाक के संघर्ष से उभरने के बाद मैं बुलंदशहर में रियाज़ से मिली। रियाज़ सक्रिय राजनीति में था और पहले से ही शादीशुदा था। उसने मुझसे धूर्ततापूर्वक शादी कर ली। जब मैं गर्भवती

हुई तब उसने मुझे फोन पर तीन तलाक दे दिया। मैं अपनी सहायता के लिए कई उलेमाओं और मौलानाओं के पास गई परंतु उन्होंने बेपरवाही से मेरी सहायता की गुहार को ठुकरा दिया।

मैंने 'तीन तलाक' पर इस्लाम के दृष्टिकोण का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है। कुरान में किसी भी प्रकार के लैंगिक भेद का जिक्र नहीं है। तलाक के मुद्दे पर काज़ियों के समक्ष महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए। मेरे अनुसार 'तीन तलाक' का समर्थन न तो कुरान करता है और न ही अल्लाह करते हैं। सरकार द्वारा 'तीन तलाक' के मुद्दे को संवेदनहीन ढंग से निपटाने के तरीके पर मेरा मानना है कि "तलाक के नाम पर शादी के मुखौटे में महिलाओं का लगातार शोषण होता है। इस तरह के प्रचलनों पर शीघ्र प्रतिबंध लगना चाहिए। महिला और पुरूष दोनों को ही बच्चों को गोद लेने का समान अधिकार होना चाहिए। सम्पत्ति में भी महिलाओं का बराबर अधिकार होना चाहिए।" जहां तक महिलाओं के गुजारा भत्ते का सवाल है कुरान में लिखा गया है कि यह पति की आर्थिक स्थिति के अनुसार दिया जाएगा। महिलाओं को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान अधिकार मिलने चाहिए।

LEGAL STRUGGLE FOR GENDER JUSTICE

Archana Pathak Dave, Advocate at Supreme Court of India is the voice seeking justice and dignity for the Muslim women who have been victims of orthodoxy and subjected to the twin atrocities of Polygamy and Halala. She has filed a Public Interest Litigation (Annexure B) on behalf of Triple Talaq victim, Sameena Begum. Abhineet Kalia captured her motivation and spirit and shared the excerpts from the interview :

Archana Pathak Dave, Advocate at Supreme Court

IPF- What was your motivation to file the writ petition against the draconian practices i.e. Nikah Halala and Polygamy?

APD- Thirty Years ago the Hon'ble Supreme Court urged the central government to frame a Uniform Civil Code to "help in the cause of national integration" in the Shah Bano's case. There is no dispute, that different religious communities can have different laws, but personal laws must meet the test of constitutional validity and constitutional morality, in as much as, there cannot be violation of Articles 14, 15, 21 of the Constitution. This was my motivation.

IPF- You filed it post 'Triple Talaq' judgement by the Supreme Court? Any specific reason?

APD- Yes, since in para 10 of the case of Shayara Bano Vs. Union of India & Ors. (2017) 9 SCC 1 , the then Hon'ble Chief Justice of India Mr. Justice J.S. Khehar, as his lordships then was, held "it was decided to limit the instant consideration, to 'talaq-e-biddat' – triple talaq. Other questions raised in the connected writ petitions, such as, polygamy and 'halala' (-and other allied matters), would be dealt with separately. The determination of the present controversy, may however, coincidentally render an answer even to the connected issues." Since the judgment itself mentions about 'Nikah Halala' and 'polygamy' and also because of the sensitive nature of the issues, we thought it to be better to file the same before the Hon'ble Supreme Court itself.

IPF- How did you meet the petitioner, Sameena Begum, and why did she decide to file writ petition before the Hon'ble Supreme Court?

APD- During the research, I met many victims and Sameena Begum was one of them. Unlike many others, I found her very bold and assertive. During discussion, she checked if she could challenge these practices in court as she was agitated on this social sin and the vulnerable state of Talaq victims. I must admit that SHE is one of the most bold and courageous ladies I have ever met. She made up her mind and decided to face the challenges posed by the orthodox of her own community. I decided to fight for her.

IPF- So, did filing of writ petition by her, created a stir as you apprehended?

APD- Well, as soon as the notice was issued, and the Hon'ble Court agreed to hear the matter, there were

sharp reactions from the Maulanas and Muslim clerics. During panel discussions in media, Sameena ji and myself have faced the ire of Muslim scholars and clerics.

IPF- Has Sameena Begum been targeted because of the PIL?

APD- Sameena ji was bullied, targeted and even asked to withdraw her writ. She was thrown out of the house with her three children on the road with her entire belongings. She has received threats to her life as well as to the life of her children. At one point in time, I even asked her if she really wanted to continue her fight. She emphatically said 'YES'. She, being a victim of polygamy herself, has gone through a lot and has emerged stronger. She wants to do something for the women of her community who are not bold enough to come forward to fight for their rights.

IPF- What is the stage of the writ petition now?

APD- The matter has to be heard by a Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court. It will be listed as soon as the Constitution Bench is formed.

THE BRAVE TROIKA

Shayra Bano, Atiya Sabri, Aafreen Rehman

Shayra Bano on her wedding day

I

Shayra Bano was married to Rizwan Ahmed in 2002 at Allahabad, Uttar Pradesh as per Sharia Law. Shayra's husband and in-laws started harassing her over dowry from the very first day of her marriage. They would physically abuse her while demanding luxury items. After the birth of two children, Shayra was forced to undergo seven abortions. She used to be starved along with forceful administration of non-prescribed drugs, which not only caused her loss of memory but also severely damaged her kidney and liver.

In April 2015, she was forced to leave her husband's house and return to her parents. Since then she has been residing with her parents at their ancestral home. Shayra was then given triple talaq by Rizwan, which was confirmed by the deed of divorce dated 10th October 2015 issued by Rizwan along with a demand draft of Rs. 15,651/- (which has not been cashed till date) as mehr. The papers were received by Shayra through registered post. In the meanwhile, Shayra's husband had also filed a petition for restitution of conjugal rights; against which Shayra moved a transfer petition before the Supreme Court to transfer restitution petition to her current place of residence being Kashipur, Uttarakhand. The Supreme Court found the transfer petition to be infructuous, given the fact that the petition for restitution in respect of which transfer has been sought does not survive in view of subsequent development in the form of granting the alleged "Triple Talaq" by the husband.

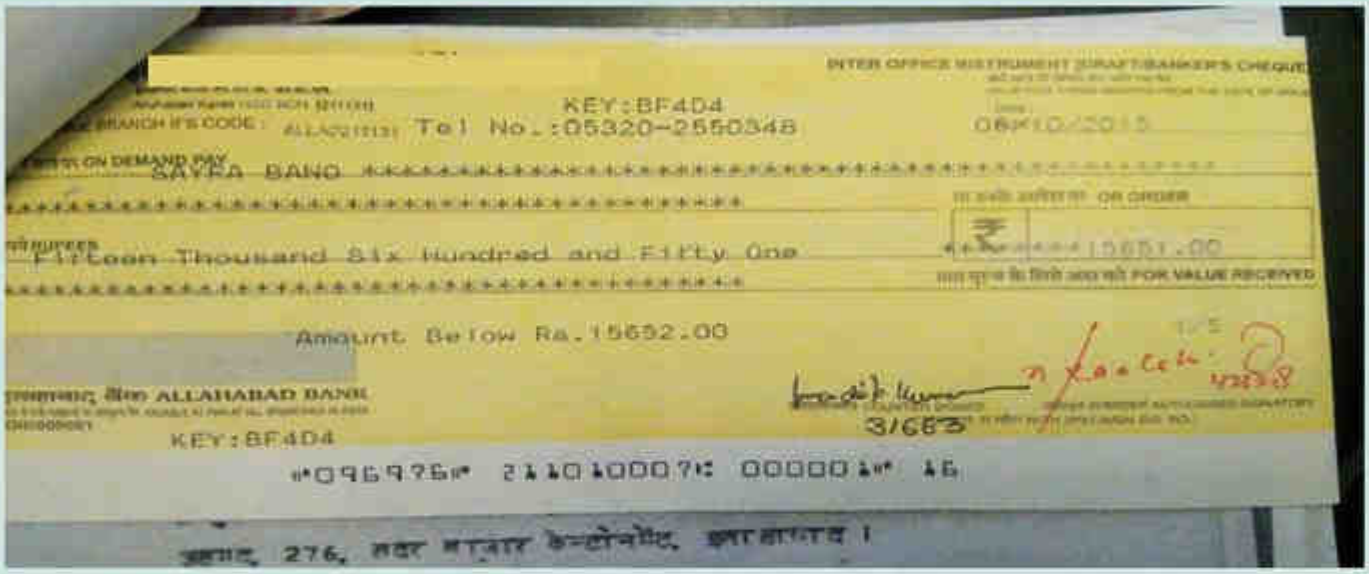

Rs. 15,651/- demand draft given to Shayra as mehr after Triple Talaq has not been encashed till date

As Rizwan had denied Shayra to take their children, she filed a petition for visitation rights. In reply, the Supreme Court in its order dated January 1, 2017 directed her to take up the matter with the concerned family court at Kashipur, Uttarakhand. With regard to the application seeking visitation rights, the Supreme Court directed the estranged husband to co-operate for early disposal of the application.

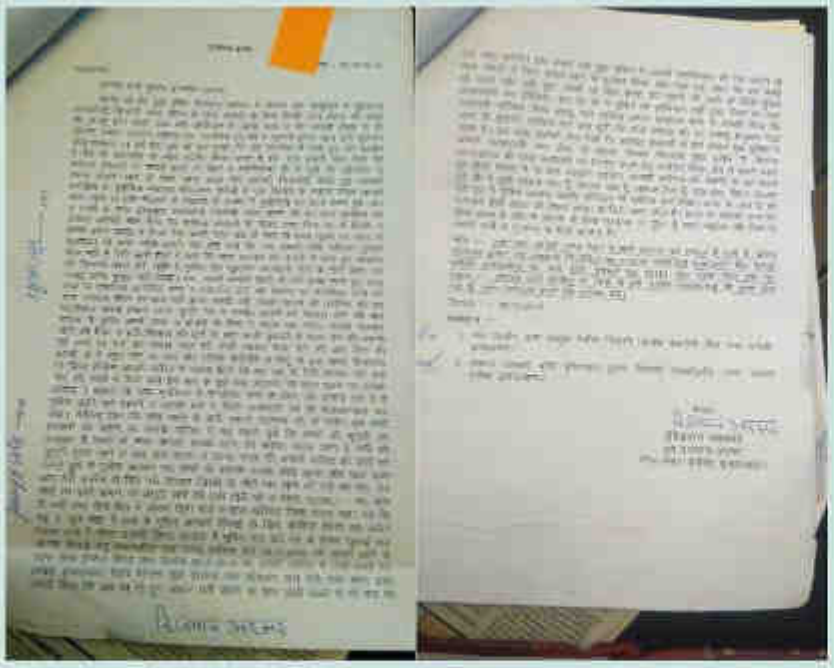

Talaqnamah sent by Shayra Bano's husband Rizwan Ahmed by registered post

Shayra Bano while fighting all the odds with the support of her brother and family members had filed a Writ Petition no. 118 of 2016 under Article 32 of the Constitution of India seeking writ or order or direction in the nature of mandamus declaring the practices of Talaq-e-bidat, nikah halala and polygamy under Muslim personal laws as illegal and unconstitutional for being a violation of Articles 14,15, 21 and 25 of the Constitution and provide Muslim women with a much-deserved security.

Shayra Bano, the crusader

The writ petition (C) No.118 of 2016 vide Supreme Court's order dated 03.03.2016 was tagged along Writ Petition (Civil) no. 2 of 2015, Muslim Women's Quest for Equality Vs.Jami-at-Ulema-i-hind, which triggered an outrage against the unjust and ill-treatment of Muslim women who are deprived of their rights and are subjected to such prejudiced behaviour. Shayra Bano was one of the petitioners to the historic judgement which pronounced Triple Talaq illegal.

"I want justice. I felt this step of approaching the court will help other Muslim women here after."

(बाएं से दाएं) आतिया साबरी की निकाह के समय की तस्वीर व
अपने बच्चों के साथ की वर्तमान तस्वीर

II

आतिया साबरी का निकाह शरीयत कानून के अनुसार वाजिद अली से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 25 मार्च, 2012 को हुआ। शादी के पहले दिन से ही दहेज को लेकर उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा। आतिया के माता-पिता और अन्य किसी भी परिचित से मिलने पर उसके ससुराल वालों ने रोक लगा दी। लम्बे समय तक शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के कारण वह गम्भीर रूप से बीमार हो गई।

जून, 2014 में उसे अपने पति का घर छोड़ना पड़ा। अत: पिछले चार वर्ष से वह अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं। आतिया के ससुर सैयद अहमद और सास मेहराज ने आरोप लगाया कि आतिया की दोनों बेटियां सादिया और सना उसके पति वाजिद की संतान नहीं हैं बल्कि उसके भाई मोहम्मद रिज़वान की संतान हैं। इसके बाद उसके शौहर ने गैरकानूनी तरीके से 2 नवम्बर, 2015 को तलाकनामा भेज दिया।

आतिया ने अपने परिवार की सहायता से सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत याचिका (नं. 118) 2016 दाखिल की जिसमें उसने अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने की माँग की है ताकि उनकी बेटियों को पैतृक अधिकार मिल सके। उसने एक याचिका तीन तलाक, हलाला, बहुविवाह को अवैध घोषित करने के लिए भी दाखिल की, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद-14, 15, 21 तथा 25 का उल्लंघन है साथ ही यह मुस्लिम महिलाओं के सम्मान तथा अधिकारों का हनन भी है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए तीन तलाक के ऐतिहासिक फैसले की याचिकाकर्ताओं में आतिया की रिट याचिका (ब) 43, 2017 भी शामिल थी।

III

आफरीन रहमान के निकाह के तुरन्त बाद की तस्वीर

आफरीन रहमान के निकाह के वर्तमान तस्वीर

आफरीन रहमान का पथराया सा खामोश चेहरा उसकी जीवन की यातनाओं की कहानी व्यक्त करता हैं। जयपुर निवासी आफरीन की मुलाकात 2014 में एक वैवाहिक विज्ञापन के जरिए इंदौर निवासी सैयद अशहार अली वारसी से हुई। एक दूसरे से मिलने के उपरांत दोनों ने शरिया कानून के तहत विधि-विधान से शादी कर ली। वारसी इंदौर के एक सम्पन्न परिवार से हैं। पेशे से वकील होते हुए भी वारसी ने शादी के बाद महीनों तक दहेज की माँग करते हुए आफरीन के साथ मारपीट की। शादी से पहले भी आफरीन के माता-पिता को दहेज देने के लिए विवश होना पड़ा था लेकिन यह दहेज आफरीन के पति को खुश करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लिहाजा शादी में मिले दहेज से नाखुश होते हुए वारसी ने अपने ससुराल वालों से एक कार और कुछ नगद राशि के रूप में अतिरिक्त दहेज की माँग करनी शुरू कर दी जोकि आफरीन और उसके माता पिता की पहुंच से बाहर था। जनवरी, 2016 में आफरीन को स्पीड-पोस्ट से अपने पति का एक पत्र मिला जिसमें उसके चरित्र पर आरोप लगाते हुए तीन तलाक़ के मुताबिक तलाक़ देने की घोषणा की गई थी।

आफरीन के माता-पिता और भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि वह खुद एमबीए डिग्रीधारी है लेकिन एक गम्भीर दुर्घ. टना का शिकार होने के कारण वह अपने रिश्तेदारों पर निर्भर है और बड़ी मुश्किल से दो जून की रोटी का इंतजाम कर पा रही है। आफरीन ने तीन तलाक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाने का फैसला लिया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दायर अपनी याचिका में उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की जा रही तलाक-ए-बिद्दत, निकाह-हलाला और बहु. विवाह जैसी प्रथाओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत असंवैधानिक घोषित कर इनके अनुपालन पर प्रतिबंध लगाया जाए या न्यायालय ऐसे निर्देश जारी करे जिसमें इन प्रथाओं को अमल में लाना गैर-कानूनी समझा जाए।

आफरीन और सैयद विवाह के दिन

सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा आदेश ही मुस्लिम म. हलाओं को सम्मान से जीने का हक दिला सकता है। आफरीन ने अपील की कि विवाह और उत्तराधिकार के कानून धर्म का हिस्सा नहीं है; समय के हिसाब से कानूनों में बदलाव करते रहना चाहिए और इस कानूनी प्रावधान को तर्कसंगत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समय-समय पर वैश्विक स्तर पर कानून में बदलाव के लिए किए जाने वाले कार्यों का हवाला भी देना चाहिए।

आफरीन की याचिका में कहा गया कि दुनिया के कई इस्लामिक देशों जैसे सउदी अरब, पाकिस्तान और इराक में भी तलाक और तलाक से जुड़ी ऐसी गतिविधियों पर या तो पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है या इन गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है जबकि भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को खासकर मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित और अपमानित करने के उद्देश्य से ये कुरीतियां अभी भी जारी हैं। आफरीन ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि तीन तलाक की प्रथा का तलाकशुदा महिलाओं और उनके बच्चों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है खासतौर पर समाज की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और उनके बच्चों के जीवन तलाक के कारण नारकीय हो जाती है। अपनी याचिका में आफरीन ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि मुस्लिम समाज में लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव पर अविलम्ब ध्यान देने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायलय के तीन तलाक पर दिए गए आदेश की याचिकाकर्ताओं में से एक आफरीन भी थी।

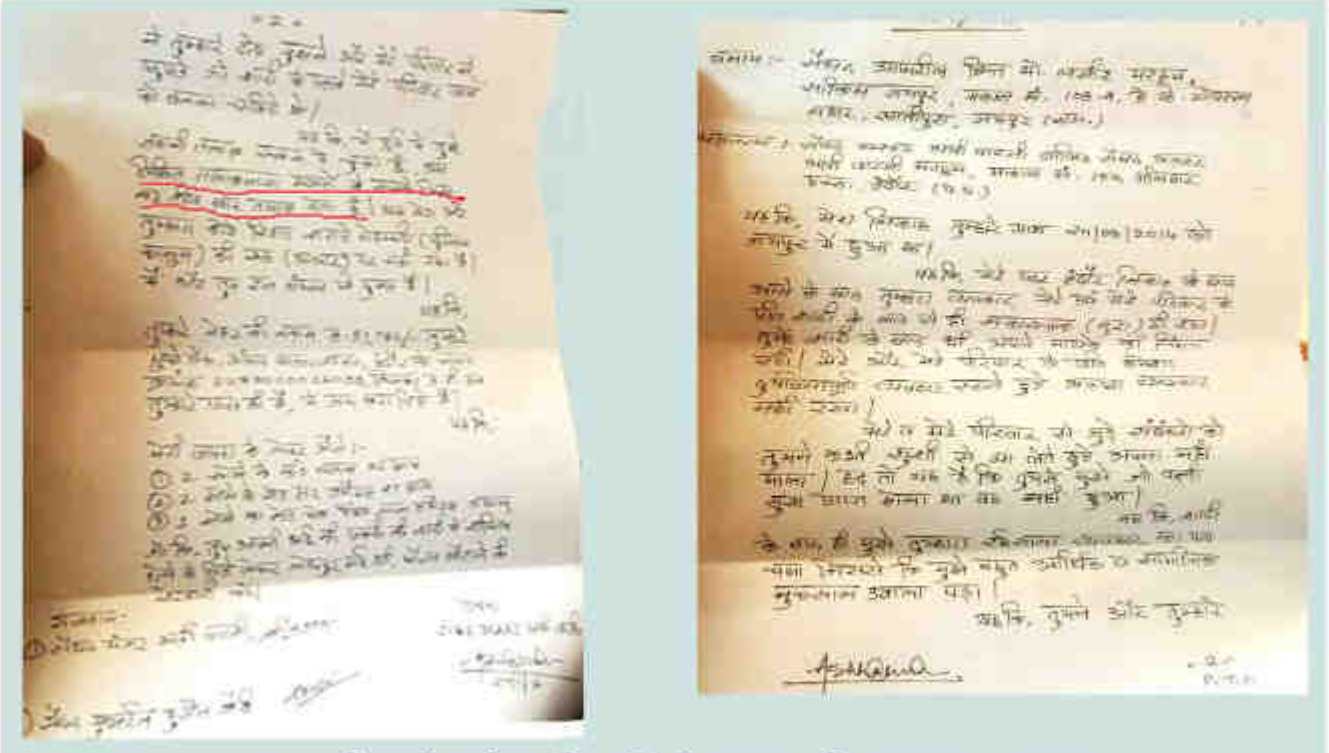

आफरीन को स्पीड-पोस्ट से भेजा गया तीन तलाक का तलाकनामा

तीन तलाक और मुस्लिम समुदाय

तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह प्रथाएँ, एक तरह का लैंगिक विभेद है जो कि मुस्लिम समाज के विभिन्न तबकों के नेताओं जिनमें शिया, सुन्नी, अहमदिया और तुर्क मुस्लिम जैसे तबकों के नाम लिए जा सकते हैं, के बीच आपसी वाग्जाल में उलझकर रह गया है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (ए.आई.एम.पी.एल.बी.)

एक गैर-सरकारी संगठन है जो स्वयं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ को व्यवस्थित तरीके से लागू करने और मुस्लिम समाज के हकों का संरक्षण करने का उद्देश्य रखने वाला संगठन बताता है तथा देश के

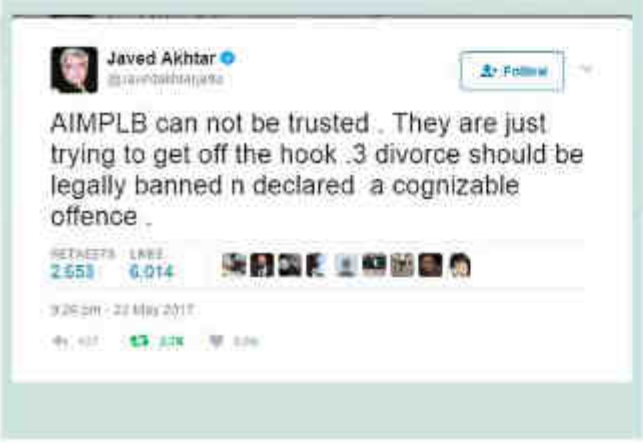

अधिसंख्य मुस्लिमों की आवाज होने का दावा भी करता है। पर ध्यान देने की बात यह है कि तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह प्रथाओं के मसले पर ए.आई.एम.पी.एल.बी. के अपने नेताओं के बीच ही व्यापक रूप से वैचारिक असहमति है। इसके अलावा तलाक-ए-सलासा के मुद्दे पर भी विभिन्न संगठनों के नेताओं के बीच वैचारिक असहमति साफ दिखाई देती है। इस संदर्भ में ए.आई.एम.पी.एल.बी. पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। 1973 में जब इस संस्था का गठन हुआ था तब कारी मोहम्मद ताय्यिब और मौलाना मिन्नत उल्ला रहमान इसके अध्यक्ष और महासचिव मनोनीत किए गए थे। कारी मोहम्मद 1983 में अपने निधन तक इस पद पर रहे। तब मौलाना अबुल हसन नदवी को यह पद सौंपा गया था जो कि अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। 2000 में काजी मुजाहिदुल इस्लाम काजमी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था जो 2008 में अपने निधन तक इस पद पर रहे। उसके बाद से मौलाना रब्बै हसन नदवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं।[4] ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी स्थापना के समय से ही हमेशा विवादों में घिरा रहा। आरोप है कि इस संगठन पर दो प्रभावशाली

ए.आई.एम.पी.एल.बी. की एक महिला सदस्या श्रीमती रूखसाना निखत ने लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा कि तीन तलाक कुरान का हिस्सा नहीं है। तीन तलाक को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं वो आधारहीन हैं। एक कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी रूखसाना की ए.आई.एम.पी.एल.बी. की सदस्यता का तीन साल के कार्यकाल के बाद नवीनीकरण नहीं हुआ।

परिवारों का नियंत्रण है और यह सही मायने में पूरे मुस्लिम समुदाय का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यही नहीं इस संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी न के बराबर है। सबसे मजेदार बात यह है कि संगठन दावा यही करता है कि वही एकमात्र ऐसा संगठन है जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन को लेकर विरोध मुस्लिम समाज के अंदर से ही हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस पर सुन्नी तबके का ही दबदबा है।

2005 में मुस्लिम समाज के शिया तबके ने अलग से अपना एक, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड गठित किया।[15] यही वह साल था जब लखनऊ में शाइस्ता अम्बर के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड का भी गठन हुआ था। तब सभी संगठनों ने अपने-अपने दायित्वों का गम्भीरता से निर्वाह करने की बात भी कही थी।[16]

ए.आई.एम.पी.एल.बी. में महिला प्रतिनिधित्व

103 संस्थापक सदस्यों में कोई महिला नहीं

50 कार्यकारिणी सदस्यों में से सिर्फ 5 ही महिलाएँ

'वक्त का तकाजा है कि देश में सती प्रथा विरोधी कानून की तरह ही तीन तलाक के खिलाफ भी एक सख्त कानून बने जो मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे दमन पर रोक लगा सके और दोषियों को सख्त सजा दिला सके'।

- मौलाना यासूब अब्बास, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रब्बै नदवी का कहना है कि चूंकि तीन तलाक शरीयत का हिस्सा है, इसलिए न कोई सरकार और न ही कोई अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने की अधिकारी है। उनका कहना है कि तीन तलाक कुरान पर आधारित है। जो अल्लाह का मोहम्मद साहब से किया गया रहस्योद्घाटन है और यह सिलसिला अंतहीन समय तक चलता रहेगा, इसलिए इस मामले में किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है।[17]

तीन तलाक पर मुस्लिम संगठनों का मत

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड	ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड	अहमदिया मुस्लिम जमात	ऑल इंडिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड
तीन तलाक मान्य	ज्तपचसम ज्स्ं पे नद.प्ेसंउपब	तीन तलाक कुरान के खिलाफ है। इस पर रोक लगनी चाहिए।	स्वार्थी और निजी हितों की पूर्ति के लिए तीन तलाक का दुरुपयोग किया जाता है।

ए.आई.एम.पी.एल.बी. की नारी द्वेषी सोच

98. Coming to the practice of polygamy, it is submitted that the Quran, Hadith and the consensus view allow Muslim men to have up to 4 wives. Though polygamy is permitted, it is not obligatory or desirable, rather, jurists regard monogamy as a better practice in usual conditions. However, Polygamy meets social and moral needs and the provision for it stems from concern and sympathy for women.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
ORIGINAL CIVIL WRIT JURISDICTION
WRIT PETITION (CIVIL) NO. 118 OF 2016

IN THE MATTER OF:-

Shayara Bano ...Petitioner

VERSUS

Union of India & Ors ...Respondents

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7, ALL INDIA MUSLIM PERSONAL LAW BOARD

) Securing separation through court entails that the weaknesses of the opposite party be brought into public domain. Some moral failings are considered more scandalous for women in our society. For

98. Coming to the practice of polygamy, it is submitted that the Quran, Hadith and the consensus view allow Muslim men to have up to 4 wives. Though polygamy is permitted, it is not obligatory or desirable, rather, jurists regard monogamy as a better practice in usual conditions. However, Polygamy meets social and moral needs and the provision for it stems from concern and sympathy for women.

शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में ए.आई.एम.पी.एल.बी. के द्वारा प्रस्तुत हलफनामा, संगठन की महिलाओं के प्रति सोच का दर्पण है। इसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं।

(https://barandbench.com/wp-content/uploads/2016/09/Counter-affidavit-in-Shayara-bano.pdf)

his mother, wife, sister, and daughter. Polygamy ensures sexual purity and chastity. Whenever polygamy has been banned, it emerges from history that illicit sex has raised its head. Amid

71. [illegible]

38. Notwithstanding the fact that Islam provides that divorce should essentially be for a valid ground, it is submitted that even if divorce is pronounced irregularly without the existence of any valid reason, it will still result into termination of marriage. The Shariat however strictly reprimands such a practice and it is settled that as per Sharia, those men and women who seek to terminate a marriage without a valid reason would be deemed to have committed a sin by putting an end to a Sunnah Act without there being any compelling need or reason.

207

b) Securing separation through court entails that the weaknesses of the opposite party be brought into public domain. Some moral failings are considered more scandalous for women in our society. For example the charge against a male that he has loose conduct and temper may damage only a little his prospects of remarriage. However, husband's same charge publicly against his wife about her loose character may deprive her the chance of remarriage. She may be more harmed than benefitted by court proceedings.

c) Granting husband the right to divorce indirectly provides security to wife. Marriage is a contract in which both the parties are not physically equal. Male is stronger and female weaker sex. Man is not dependent upon woman for his protection. On the contrary, she needs him for her defence. If there develops serious discord between the couple and husband does not at all want to live with her, legal compulsions of time consuming separation proceedings and expenses may deter him from taking the legal course. In such instances, he may resort to illegal, criminal ways of murdering or burning her alive. Needless to add, a husband who does not fear

MAIL TODAY
Read by those who matter

News / Mail Today /

Want to embrace Hinduism if given a chance, says Muslim woman attacked with acid after husband deserts her

Her mother-in-law allegedly asked her to not "show her face" because Matlub had already given her triple talaq over phone, which Rehana says never occurred."

तीन तलाक की कुप्रथा से बचने के लिए मुस्लिम महिलाएँ पंथ परिवर्तन के विचार को मुखर कर रही हैं।

'तलाक की घोषणा हो जाने के बाद तलाक के ऐसे हर मामले में पहली बार तलाक कहने के बाद कुछ समय देना जरूरी है ताकि पति और पत्नी दोनों को ही इस मामले में शांतिपूर्वक पुनर्विचार करने का मौका मिल सके। वैसे भी इस्लाम के मुताबिक गुस्से की हालत में लिया गया कोई भी फैसला मान्य नहीं होता।'।

- तारेक अहमद, अहमदिया मुस्लिम जमात

'मुस्लिम महिलाओं के हालात बदतर होते जा रहे हैं। वो अनपढ़ हैं, उन्हें कुरान प्रदत्त अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है उन्हीं महिलाओं पर उनके पति दमन कर रहे हैं। एक बार में ही तीन बार तलाक कहकर उनको जबरन तलाक दिया जा रहा है जो इस्लामी कानून के खिलाफ है'।

- शाइस्ता अम्बर, अध्यक्षा, ऑल इंडिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड

'बेशक तीन तलाक गैर-कानूनी भी हो जाए तो भी ये महिलाओं को फायदा नहीं करेगा। जो अपनी पत्नियों को परेशान करना चाहते हैं वो अब भी कर सकते हैं और उन्हें उनके वैवाहिक अधिकार देने से रोक सकते हैं... मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और आंकड़े इन दावों को समर्थन देते नहीं दिखाने को समर्थन नहीं देती कि मुस्लिम समुदाय में यह समस्या एक बीमारी की तरह फैली हुई है।

- मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

इस तर्क के विपरीत एआईएमपीएलबी के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक कहते हैं कि मुसलमानों के बीच ही अलग-अलग राय रखने वाले तबके हैं और उनका कहना यह भी है कि पति द्वारा कह देने भर से ही तलाक मान्य नहीं हो जाता। उनका दावा है कि बोर्ड ने एक आदर्श 'निकाहनामा' जारी किया है जिसमें साफतौर पर यह कहा गया है कि दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी से ही तलाक के मामले का फैसला होगा।[18] ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य यासूब अब्बास का दावा है कि तीन तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। शिया परम्परा के अनुसार तीन बार 'तलाक-तलाक-तलाक' कह देने भर से तलाक को मान्यता नहीं मिल जाती क्योंकि तलाक के वक्त दो गवाहों का भी मौके पर उपस्थित रहना जरूरी होता है। बोर्ड की तरफ से तैयार किए गए निकाहनामे में साफ उल्लेख है कि इस्लाम में इस तरह का तलाक मंजूर नहीं है।[19] सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित करने के निर्णय को निरस्त करने के लिए ए.आई.एम.पी.एल.बी. ने हाल ही में 250 दारूल-कज़ा (शरिया कोर्ट) भारत के विभिन्न जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है। शरिया कोर्ट की कोई अपनी वैधानिक हैसियत नहीं है। अत: वे भारत की न्याय प्रणाली की जगह नहीं ले सकते। हालांकि, मुस्लिम महिलाओं को देश की कानून व्यवस्था से दूर रखने के लिए शरिया कोर्ट को एक माध्यम बनाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि मुस्लिम महिलाएं अधिकतर कम पढ़ी-लिखी हैं इसलिए उन्हें शरिया कोर्ट के कानूनी होने के लिए बहकाया जा सकता है।[20] ऑल इंडिया वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा शाइस्ता अम्बर का कहना है कि तीन तलाक का मौजूदा स्वरूप कुरान और हदीस में मान्य नहीं है और इसलिए तीन तलाक की इस पवित्र संदर्भ में कोई स्वीकृति और जगह नहीं है।[21] आज जबकि मौजूदा सरकार और कई मुस्लिम संगठन बड़ी मुस्तैदी से तीन तलाक के खिलाफ कमर कसकर खड़े हैं तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह दावा किया है कि यह शरीयत की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है और इस तरह यह संस्था तीन तलाक की प्रथा को जिन्दा रखे हुए है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी के कुछ सदस्य

1 मोहम्मद राबे हसनी नदवी 2 असदुद्दीन ओवैसी 3 मो. उमरैन महफूज रहमानी 4 जफरयाद जिलानी 5 काका सैयद अहमद ओमेरी 6 खालिद रशीद फिरंगीमहली

तीन तलाक का वैश्विक तुलनात्मक अध्ययन

पूरे विश्व में तकरीबन दो अरब मुस्लिम आबादी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) और नागरिक कानून के बीच एक प्रकार की असंगति वैश्विक स्तर पर देखी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बरक्स पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने लैंगिक न्याय और समानता के लिए अपने कानूनों को नियंत्रित किया है और आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंग्डम, कनाडा, नीदरलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मिस्र, सूडान, कतर, बहरीन, ट्यूनिशिया, इराक, अलजीरिया, तुर्की, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को जैसे तमाम देशों में तीन तलाक और बहुविवाह पर मौजूदा कानूनों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है।

अरब राष्ट्र

मिस्र, सूडान, कतर और बहरीन	ट्यूनिशिया एवं इराक	अलजीरिया	तुर्की और साइप्रस	संयुक्त अरब अमीरात एवं मोरक्को
सबसे पहले मिस्र[22] ने अपने यहां 1929 ई. में ही तीन तलाक कानून को प्रतिबंधित किया और बाद में सूडान[23] ने 1935 में, कतर[24] ने 2006 में एवं बहरीन ने 2009 में अपने यहां ऐसा ही किया।	ट्यूनिशिया[25] ने ट्यूनिशिया की पर्सनल कानून संहिता 1956 को स्वीकार किया है जबकि इराक[26] सरकार द्वारा 1959 में बनी पर्सनल स्टेटस कोर्ट का अनुपालन किया जाता है।	ट्यूनिशिया की तरह अलजीरिया[27] ने भी 1984 में एक कानूनी संहिता को अपनाया है।	तुर्की[28] ने 1926 में और साइप्रस[29] ने 1980 में स्विस नागरिक संहिता को अपनाते हुए शरिया की वैधता को सरकारी स्तर पर समाप्त कर दिया।	1957-58में मोरक्को[30] ने तथा 2005 में संयुक्त अरब अमीरात[31] ने अपने यहां तीन तलाक को अवैध घोषित किया।
तीन तलाक अवैध है। यहाँ एक साथ तीन बार 'तलाक' कहने मात्र से विवाह संबंध समाप्त नहीं माना जाता है, बल्कि तलाक के लिए अनिवार्य समयावधि की जरूरत होती है, जिसे 'इद्दत' कहा जाता है।	विवाह और तलाक अदालत की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। तलाक मंजूर होने से पहले सुलह प्रक्रिया का पालन किया जाता है।	यह कोड सुलह प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 90 दिन निर्धारित करता है तथा इस अदालत को सभी तलाक देने का अधिकार सुरक्षित है।	यहां केवल- न्यायालय ही किसी भी तलाक को मान्यता देने का अधिकार रखता है।	यहां केवल न्यायालय के द्वारा ही तलाक को मान्यता मिल सकती है।
बहुविवाह वैधानिक है।[32]	बहुविवाह की प्रथा अवैधानिक है। हालांकि इराक में कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुविवाह को मान्यता मिली हुई है।[33]	यहां बहुविवाह वैध है।[34]	बहुविवाह यहां गैरकानूनी है।[35]	बहुविवाह की प्रथा गैर-कानूनी नहीं है।[36]

दक्षिण एशियाई देश

पाकिस्तान और बांग्लादेश	श्रीलंका	मलेशिया	मालदीव
पाकिस्तान[37] का मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश (1961) तीन तलाक को अवैध स्वीकार करता है। मुस्लिम पर्सनल कानून को संहिताबद्ध करने की दिशा में पाकिस्तान में यह पहली वैधानिक पहल थी। यह कानून बांग्लादेश के द्वारा भी ज्यों-का-त्यों अपनाया जा चुका है।	मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1951 अपने संशोधित रूप 2006 तक में तीन तलाक की मान्यता प्रदान नहीं करता है।	मलेशिया[38] के विवाह एवं तलाक अधिनियम 1976 (जिसे 2006 में संशोधित किया गया है) के अनुसार यहाँ विवाह के अनुष्ठान या तलाक के लिए न्यायालयों का हस्तक्षेप आवश्यक है।	मालदीव में परिवार अधिनियम 2000 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाह-विच्छेद के लिए तलाक-आवेदन करना होता है।
नए कानून के अन्तर्गत तलाक के लिए पति को स्थानीय परिषद के अध्यक्ष को एक लिखित नोटिस देना होता है और उस नोटिस की एक प्रतिलिपि पत्नी को भी देनी पड़ती है। परंतु, 90 दिनों के इंतजार-अवधि के बिना तलाक प्रभावी मान्य नहीं होता है, जो दोनों पक्षों को करीब लाकर सुलह कराने के लिए एक मौका होता है। हालांकि यहाँ 'हलाला' की कोई अवधारणा नहीं है।	कोई पुरूष यदि विवाह-विच्छेद करना चाहता है तो उसे अपने इरादे को लिखित रूप में काजी को बताना पड़ता है। इसके बाद काजी पहला व्यक्ति होता है जो सुलह की प्रक्रिया आरंभ करता है। इस सुलह की प्रक्रिया में पति और पत्नी दोनों के परिजनों एवं बुजुर्गों को बीच में रखकर पति-पत्नी के बीच सुलह कराने की हरसंभव कोशिश करता है। इसके बावजूद यदि सुलह संभव नहीं हो पाती है तो गवाहों एवं काजी की उपस्थिति में पति को तलाक देने का अधिकार होता है।[39]	न्यायालय को तटस्थ रहते हुए किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का आरंभिक अधिकार है। यहाँ न्यायिक हस्तक्षेप के बिना तलाक संभव नहीं है।	पति के द्वारा सबसे पहले अदालत में तलाक के लिए आवेदन देना होता है, फिर उस पर न्यायाधीश विचार करने के उपरांत स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब जाकर पति द्वारा पत्नी को तलाक दिया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति में महिलाएँ भी तलाक के लिए आवेदन कर सकती हैं।[40]
सिर्फ मुस्लिम समाज में बहुविवाह की प्रथा वैध है।[41]	बहुविवाह की प्रथा यहां सिर्फ मुस्लिम समाज में मान्य है।[42]	बहुविवाह यहां गैर-कानूनी है।[43]	बहुविवाह की प्रथा सीमित रूप में मौजूद है, परंतु कुछ शर्तों के साथ।[44]

पश्चिमी देश

फ्रांस	जर्मनी	यूनाइटेड किंगडम(यू.के.)	कनाडा	नीदरलैण्ड	संयुक्त राज्य अमेरिका
सामान्यत: फ्रेंच सार्वजनिक आदेश और विशेष रूप में लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत होने के कारण 2004 से तलाक वैध रूप में मान्य नहीं है।[47]	एक मुस्लिम औरत को उसके पति द्वारा दिया गया एकपक्षीय तलाक जिसे पत्नी की स्वीकृति प्राप्त नहीं है, वह अदालतों में मान्यता प्राप्त नहीं है।	यहां पारिवारिक कानून एवं शरिया पर आधारित वित्तीय मामलों के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श हेतु परिषदों एवं अधिकरणों की व्यवस्था है।	सभी नागरिकों को तलाक के लिए परिवार न्यायालय में आवेदन करना होता है।	नीदरलैण्ड में सिर्फ डच नागरिक विवाह का प्रावधान है, जिसकी मान्यता न्यायालयों द्वारा प्राप्त है।	शरिया के अन्तर्गत मौजूद इस्लामिक तलाक के कानून को लागू नहीं किया जा सकता।
किसी भी प्रकार की दूसरी शादी हर हाल में अमान्य घोषित है।	वैधानिक रूप से बहुविवाह की प्रथा अवैध एवं दण्डनीय है जिसमें शामिल व्यक्ति को आर्थिक दण्ड के साथ-साथ तीन वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है।[46]	तकनीकी रूप से यू.के. के न्यायिक अधिकरणों के अंतर्गत आने वाली ये परिषदें इन मामलों में कानूनी रूप से बाध्यकारी वार्ता सत्र आयोजित कर सकती है लेकिन यू.के. नियमित अदालतों के निर्णयों को खारिज नहीं कर सकतीं है; क्योंकि ऐसा करना ब्रिटिश कानून के खिलाफ होगा।[47]	कनाडा में इस्लामिक तलाक को वैधानिक नहीं माना गया है।[48]	यहाँ विवाह की वैधानिक प्रक्रिया यह है कि पहले नागरिक विवाह सम्पन्न होगा तब जाकर धार्मिक रीति रिवाज से विवाह किया जा सकता है। किसी भी धर्मगुरू के लिए यह एक आपराधिक कार्य माना जाता है यदि वह बिना नागरिक विवाह सम्पन्न कराए ही धार्मिक रीति से विवाह कार्य को सम्पन्न कराता है।[49]	बहुविवाह एक आपराधिक दुराचार की तरह है जिसके विरूद्ध संघीय सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त हैं।[50]
किसी भी प्रकार की बहुविवाह प्रथा कानूनी रूप से मान्य नहीं है।	बहुविवाह प्रथा को उस हद तक वैधता प्राप्त है, यदि वह किसी ऐसे देश में सम्पन्न हुई हो जहां बहुविवाह वैध है। बहुविवाह की स्थिति में महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, उत्तराधिकार एवं कानूनी हिरासत का अधिकार प्राप्त है।	पहले विवाह के पश्चात् किसी भी अन्य विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है, बावजूद इसके बाद के विवाह विदेश में किए गए हों।	आपराधिक कानून संहिता के अनुभाग 293 के अन्तर्गत बहुविवाह का कोई भी स्वरूप गैर-कानूनी माना गया है।	दो लोगों से ज्यादा के बीच विवाह प्रतिबंधित है। हालांकि सहवास या साथ रहने की अनुमति सभी नागरिकों को प्राप्त है।	

भारत

मुस्लिम विवाह और तलाक पर मौजूदा कानूनी प्रावधान

पति द्वारा तलाक : आधुनिक भारत में मुस्लिम समाज में पतियों के पास तलाक का एक प्रकार से पूर्ण अधिकार है और उनका यह अधिकार एकपक्षीय है जिसके अंतर्गत वे अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में भी एक झटके में बिना किसी न्यायालय का सहारा लिए तलाक देने का अधिकार रखते हैं। चाहे इसके लिए कोई कारण ना हो। बिना कारण अपनी मर्जी, मजाक और यहां तक कि नशे की हालत में तलाक दिया जा सकता है।

तलाक की अभिव्यक्ति: जैसे ही स्पष्ट उच्चारण के साथ 'तलाक' कहा जाता है, वैसे ही यह दो श्रेणियों में तलाक के रूप में मान्य हो जाता है–

(अ) तलाक-ए-सुन्नत एवं (ब) तलाक-ए-बिद्दत

(अ) तलाक-ए-सुन्नत- यह दो रूपों में देखा जाता है

(प) तलाक-ए-अहसन : इसके तहत एक मुसलमान पुरुष एक महीने में एक बार अपनी पत्नी को तुहर (शुद्धता, दो मासिक चक्र के बीच का समय) के समय तलाक कहता है या ऐसे किसी भी समय जब पत्नी मासिक धर्म से मुक्त होती है और उसके बाद इद्दत की अवधि के दौरान यौन-संभोग नहीं करता।

(पप) तलाक-ए-हसन : इसमें पति तीन महीनों में तुहर के समय तीन बार तलाक बोलता है (बिना कोई शारीरिक संबंध बनाए हुए), यदि पत्नी मासिक धर्म की उम्र पार कर चुकी हो तो एक महीने के अंतराल के बाद तीन बार तलाक तीन महीनों में बोलना होता है। जब आखिरी बार तलाक बोला जाता है तब इनका तलाक हो जाता है जो कि अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता।

(ब) तलाक-ए-बिद्दत- यह भी दो रूपों में पाया जाता है–

1. मासिक चक्र की समाप्ति के उपरांत जो पवित्र समय होता है उस दौरान या तो एक बार में तलाक कहा जाता है या तीन वाक्य में।

2. इसके अंतर्गत एक ही बार तूर (पवित्र समय) के दौरान तलाक कहा जाता है, जो अपरिवर्तनीय होता है। भारत के शिया मुसलमानों में इस प्रकार के तलाक की प्रथा नहीं है।

पत्नी के द्वारा तलाक

(अ) तलाक-ए-तफवीज- इसके अंतर्गत मुस्लिम पति अपने तलाक देने के अधिकार को अपनी पत्नी या अन्य किसी को पूर्णतः सशर्त अस्थायी या स्थायी रूप से दे सकता है।

(ब) लिआन- यदि पति अपनी पत्नी के ऊपर व्यभिचार और अस्वस्थता का झूठा आरोप मढ़ता है तो अपने चरित्र-हनन के खिलाफ पत्नी को इस आधार पर तलाक की माँग का अधिकार प्राप्त है।

(स) मुस्लिम विवाह कानून 1939 के द्वारा इसके अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को विभिन्न आधारों पर तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है।

– आपसी सहमति से दो तरह से तलाक दिया जाता है– खुला और मुबारत। इन दोनों ही प्रकार के तलाकों में पत्नी को या तो मेहर में या कुछ अन्य सम्पत्तियों में अधिकार छोड़ना पड़ता है। अगर पुरुष अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करता है तो उस स्थिति में बहुविवाह मान्य है। एक मुस्लिम पुरुष चार पत्नियों को रख सकता है जबकि मुस्लिम औरत एक समय में एक ही पति के साथ रह सकती है। इस्लाम के अंतर्गत व्याप्त बहुविवाह भारत में प्रतिबंधित नहीं है।[51]

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018

हाल में ही केन्द्र सरकार द्वारा, मुस्लिम महिलाओं को विवाह अधिकार में संरक्षण हेतु एक अध्यादेश लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 (1) के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने 19 सितम्बर, 2018 को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 को तत्काल रूप से प्रभावी बनाते हुए पारित किया। अध्यादेश के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. यह केवल तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत या अन्य ऐसे ही तत्कालिक रूप से प्रभावी तलाक पर ही लागू होगा। यह अध्यादेश 6 माह के लिए वैध है।

2. मुस्लिम पति द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी को ऐसे तलाक की घोषणा गैर-कानूनी होगी।

3. ऐसे तलाक की घोषणा करने वाले मुस्लिम पति को तीन वर्ष तक की सजा जुर्माने के साथ हो सकती है।

4. अगर पीड़ित महिला या उसके करीबी रिश्तेदार (खून के रिश्ते से या विवाह के रिश्ते से) ने स्वयं शिकायत दर्ज कराई हो तो इस अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।

5. मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला का पक्ष सुने बिना आरोपी मुस्लिम पति को जमानत नहीं दे सके।

6. इस अपराध में समझौता केवल पीड़ित महिला की पहल पर मजिस्ट्रेट द्वारा इजाजत दिए जाने तथा इसकी शर्तें तय किए जाने के बाद ही हो सकता है।

7. मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला और उसके छोटे बच्चों के लिए मुस्लिम पति को गुजारा-भत्ता देने का आदेश पारित करेंगे।

8. मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला को उसके छोटे बच्चों को अपने साथ रखने का आदेश पारित करेंगे।

Source: The Gazette of India, No. 48, dated September 19, 2018/Bhadra 28, 1940 (Saka)

न्यायपालिका और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार

एक संस्था के रूप में भारतीय न्यायपालिका ने जनता का भरपूर सम्मान प्राप्त किया जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मूल मंत्र इसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और इसके सदस्यों की शुचिता में समाहित है।[52]

भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरियत कानून (मुहम्मद साहब की शिक्षाओं और कुरान पर आधारित कानून) से संचालित होता है जिसे भारत के संविधान का अनुच्छेद- 25 (धर्म का अधिकार) का संरक्षण प्राप्त है। दुनिया के बहुत से मुस्लिम देशों ने आधुनिकता और बदलते समय के परिप्रेक्ष्य में शरियत कानून में बदलाव किए हैं जबकि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गुजारा-भत्ता से संबंधित विषयों पर पुरातन कानूनों से संचालित हो रहे थे।[53]

किसी भी समाज में कानून का महत्व तभी रहता है जब वह बदलती सामाजिक परिस्थितियों से कदमताल कर सके। इसी सिद्धांत के आधार पर भारतीय न्यायपालिका ने पिछले कुछ दशकों में विशेष कार्य किया है, खासकर मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर।[54] सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर मुस्लिम समाज की महिलाओं के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर कुछ फैसले दिए हैं जिनके बारे में नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा एक मामला 'मो. अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम और अन्य' भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।[55] यह मामला एडवोकेट मो. अहमद खान से संबंधित है जिसका निकाह 1932 में शाहबानो से हुआ, जिनसे तीन बेटे और दो बेटियाँ हुईं। 1975 में अहमद खान ने शाहबानो को अपने घर से निकाल दिया। शाहबानो ने अप्रैल 1978 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत गुजारा-भत्ता के रूप में 500 रुपया प्रतिमाह के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका

दायर की। उसी साल 6 नवम्बर, 1978 को अहमद खान ने शाहबानो को तीन तलाक के अधिकार का इस्तेमाल के माध्यम से तलाक दे दिया और कहा कि क्योंकि शाहबानो अब उसकी बीवी नहीं रही इसलिए उसे गुजारा-भत्ता देने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अगस्त, 1979 में मजिस्ट्रेट ने यह निर्देश दिया कि वह गुजारा-भत्ता के रूप में 25 रूपए प्रतिमाह शाहबानो को दे। अगले घटनाक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जुलाई 1980 में गुजारा-भत्ते की धनराशि बढ़ाकर 179.20 रुपए प्रतिमाह कर दी। फलस्वरूप अहमद खान ने इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चन्द्रचूड़ ने इस पर फैसला देते हुए कहा कि यह मामला समाज के एक बड़े तबके से संबंधित है जिसमें पारम्परिक रूप से महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा है। न्यायाधीश चन्द्रचूड़ ने इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की ओर इंगित करते हुए कहा कि "क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक देने वाले पति के ऊपर गुजारे-भत्ता देने की कोई जिम्मेदारी नहीं डालता? निःसंदेह मुस्लिम पति एक विशेष अधिकार का दोहन कर जब कर अपनी पत्नी को छोड़ देता है, भले ही इसका कारण अच्छा, बुरा या कुछ भी हो। यहां तक कि बिना किसी कारण के भी। लेकिन क्या विशेषाधिकार प्राप्त पति द्वारा दी गई छोटी धनराशि इद्दत के दौरान ही देनी है? या यह कि कानून ही इतना क्रूर और असमान है कि वह इस बात का संज्ञान ही नहीं लेता की इद्दत के दौरान पति कितना गुजारा-भत्ता देगा। या यह मान लिया जाता है कि पति कुछ भी राशि दे देगा, लेकिन वह कितना देगा यह तय नहीं है जिससे कि तलाकशुदा महिला अपनी देखभाल करते हुए आगे का जीवन जी सके। फिर भी क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें यह निश्चित हो कि तलाक के समय पत्नी को कितना भुगतान या गुजारा-भत्ता मिलेगा? ये ऐसे पीड़ादायक और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हमारे निर्णय के लिए सामने आते हैं।"[56]

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 मुसलमानों पर भी लागू होती है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वादों, बाई ताहीरा बनाम अली हुसैन फिदाली चोथिया[57] और फजलुन बी बनाम के. खादर वली[58] में दिखाई देता है। इस प्रकार मूलरूप से शाहबानो वाद में, पीठ का मत यह था कि दोनों मामलों का सही निर्णय नहीं हुआ है अतः उसे उच्च पीठ की सुनवाई के लिए प्रेषित कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि बाई ताहिरा और फजलुन बी दोनों ही मामलों में न्यायालय का निर्णय सही था। मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मामलों में धारा 125 की वैधता को उचित मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, "इन दोनों वादों को देखने वाले न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने कानून की व्याख्या सोउद्देश्य और योजनाबद्ध तरीकों का प्रयोग करके यह निर्णय दिया है। कानून की व्याख्या करने में इस संरचनात्मक तरीके का अपना एक अलग महत्व है जिसका उद्देश्य समाज के पीड़ित तबके की समस्या का समाधान करके उसके हालात को बेहतर बनाना है। कानून की इस भाषा को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी धारा 125 के अंतर्गत गुजारा-भत्ता की अधिकारी है और यह गुजारा-भत्ते वह राशि नहीं होगी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मेहर के रूप में तलाक के समय दी जाती है।[59]

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले में यह निर्णय दिया कि यदि तलाकशुदा महिला अपने गुजारे-भत्ते की व्यवस्था करने में खुद सक्षम है तो, उसके पति की गुजारा-भत्ता वहन करने की जिम्मेदारी इद्दत के समय तक ही होगी। लेकिन अगर इद्दत के समय के बाद वह अपना गुजारा-भत्ता निर्वहन करने की स्थिति में नहीं होगी तो उस परिस्थिति में वह गुजारे-भत्ते के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत उसकी हकदार होगी। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम पति, शरियत कानून के अनुसार, इद्दत के समय के बाद तलाकशुदा महिला के गुजारे-भत्ते के निर्वहन का जिम्मेदार नहीं है।

इस फैसले को सुनाते समय न्यायालय ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका पर निराशा प्रकट की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे संविधान में स्थापित समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) अभी तक मृतप्राय है। अत: यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के हितों की रक्षा समान नागरिक संहिता के अनुरूप करे और नि:संदेह उसे इससे संबंधित कानून बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। यह थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन संविधान के महत्व को बनाए रखने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी।[60]

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय डेनियल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ[61] के वाद में दिया गया। शाहबानो वाद के निर्णय के बाद पर्सनल लॉ से जुड़े मुद्दे पर मुस्लिम समाज में उहापोह मच गई। तत्कालीन सरकार पुरातनपंथी मुस्लिम इमामों को संतुष्ट करने के लिए उनके दबाव में झुक गई और मुस्लिम महिला (तलाक और सुरक्षा का अधिकार) अधिनियम 1986 को संसद में पास कर दिया। इस कानून की धारा 3 (1) (') यह प्रावधान करती है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला आवश्यक और उचित गुजारे-भत्ता के लिए इद्दत के समय तक ही अधिकारी हैं। शाहबानो केस के एक वकील डेनियल लतीफी ने इस कानून को चुनौती दी और कहा कि यह कानून न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है बल्कि यह पूरी तरह असंवैधानिक भी है। उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम महिलाओं को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से वंचित रखने का कोई आधार या भरण दिखाई नहीं देता। इस पर तत्कालीन सरकार ने अपना तर्क दिया कि इस प्रकार का भेदभाव करने के लिए पर्सनल लॉ वैध है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता।[62]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'इस कानून के प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है कि एक तलाकशुदा महिला मुनासिब और न्यायसंगत गुजारा-भत्ते की अधिकारी है। यह कहा गया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि संसद का उद्देश्य है कि तलाकशुदा महिलाओं को तलाक के बाद अपना जीवन यापन करने के लिए उचित प्रबंध कराया जाए इसलिए शब्द 'प्रावधान' का आशय यह है कि अग्रिम राशि के तौर पर कुछ धनराशि इस बाबत उसे दे दी जाए। अन्य शब्दों में, तलाक के समय मुस्लिम पति को यह विचार करना होगा कि उसकी पत्नी की भविष्य में क्या-क्या जरूरतें हैं अत: उसे अग्रिम तौर पर ही उन सभी जरूरतों के लिए पहले से ही सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। मुनासिब और न्यायसंगत गुजारा-भत्ते में उसके घर, खाने, कपड़ों और अन्य वस्तुओं का प्रावधान करना शामिल है। भाव 'के अंतर्गत' का आशय है या तो

'दौरान' या 'लिए' और यह नहीं हो सकता कि शब्दों को उनके स्वाभाविक अर्थ के विपरीत पढ़ा जाए जैसा कि शब्द 'अंतर्गत' का मतलब है 'पर', या 'पहले' ना की 'बाद में'। अत: यह घोषित किया गया कि कानून का आशय है कि 'इद्दत' समय के पहले या दौरान, मुस्लिम शौहर को अपनी पत्नी को सारा गुजारा-भत्ता देना होगा और अगर वह यह नहीं देता तो उसकी तलाकशुदा पत्नी धारा- 3(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष इस बाबत एक याचिका दायर कर सकती है और गुजारा-भत्ता प्राप्त कर सकती है। लेकिन संसद ने यह कभी भी यह प्रावधान नहीं बनाया कि यह गुजारा-भत्ता केवल इद्दत के समय के लिए ही मिलेगा, पूरी जिन्दगी के लिए नहीं। यह धनराशि उसके पूरे जीवन यापन के लिए देनी है बशर्ते वह दूसरी शादी ना कर ले।[63]

शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश[64] में प्रमुख मुद्दा यह था कि क्या पत्नी को सीधे तलाक के बारे में सूचित ना करना एक जायज तलाक है (इस केस में पति ने पड़ोसियों की उपस्थिति में तीन तलाक कहकर शादी खत्म की थी) और क्या ये तलाक उस दिन से वैध हो गया जब पत्नी को किसी केस के लिखित जवाब में इस बाबत पता चला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि सिर्फ तलाक कह देना ही तलाक को वैधता नहीं प्रदान करता अपितु कुरान के अंदर दी गई तलाक की प्रक्रिया को पूरा करना भी आवश्यक है। जैसे तलाक की अभिव्यक्ति कुरान के आदेशों के अनुरूप होनी चाहिए। इस प्रकार न्यायालय ने यह प्रावधान किया कि न तो इस तरह दोनों पक्षों के बीच किया गया निकाह खत्म होता है और ना ही शौहर द्वारा दिए जाने वाले गुजारे-भत्ते की जिम्मेदारी खत्म होती है। अत: उसके शौहर द्वारा दिए जाने वाले गुजारे-भत्ते की जिम्मेदारी संबंधित कानून के अनुसार ही खत्म हो सकती है।

शाहबानो केस के करीब 30 से अधिक वर्षों के बाद 22 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद सायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य[65] मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। न्यायाधीशों के 3:2 के बहुमत से दिए गए इस फैसले ने 'तलाक-ए-बिद्दत' यानी 'तीन तलाक' को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले पर विस्तार से चर्चा इस पुस्तक के अन्य अध्याय में की गई है।

वर्तमान में 'समीना बेगम बनाम भारत संघ और अन्य[66] ' नाम से एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, मुस्लिम समाज में प्रचलित अमानवीय 'बहुपत्नी प्रथा' और 'निकाह-हलाला' जैसे प्रचलनों को असंवैधानिक घोषित करने की माँग की गई है। इस मामले की सुनवाई की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लंबित है जिसमें की वह पांच जजों की संवैधानिक पीठ का गठन करेंगे। इस जनहित याचिका का परिशिष्ठ-2 इस पुस्तक में संलग्न है।

दुर्भाग्य से न्यायिक दृष्टिकोण भी लैंगिक समानता के हमेशा अनुरूप नहीं होता। अहमदाबाद वुमन एक्शन ग्रुप (ॉळ) बनाम भारत संघ[67] के वाद में बहुत सारी याचिका, जनहित याचिका के रूप में दायर की गईं, जिनमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत बहुपत्नी प्रथा, एकल तलाक और भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार कानून को अवैध करने और मुस्लिम महिला (तलाक और सुरक्षा का अधिकार) कानून 1986 को संविधान के अनुच्छेद 13,

14 और 15 के अंतर्गत असंवैधानिक घोषित करने की माँग की गई है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय समाज सामान्यत: धार्मिक कानूनों (पर्सनल लॉ) से संचालित और शासित होता आया है अत: इसमें हस्तक्षेप अनैच्छिक परिणाम को जन्म दे सकता है क्योंकि धार्मिक कानूनों का विधेयक न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर है। न्यायालय ने आगे कहा कि इन मुद्दों का उपचार कहीं और मिल सकता है। इस प्रकार न्यायालय ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसके नागरिकों को न्याय और समानता का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार विधायिका की धीमी गति और कार्यपालिका की अनिच्छा मुस्लिम महिलाओं की व्यथा, मानवाधिकार और उनके साथ होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायक प्रतीत होती है, अत: ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अत: तथ्यात्मक रूप से यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय वंचित लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए तत्पर है जो कि अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर ऐसी महिलाएं जो इस अन्याय की शिकार हैं। फिर भी लैंगिक न्याय को प्राप्त करने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

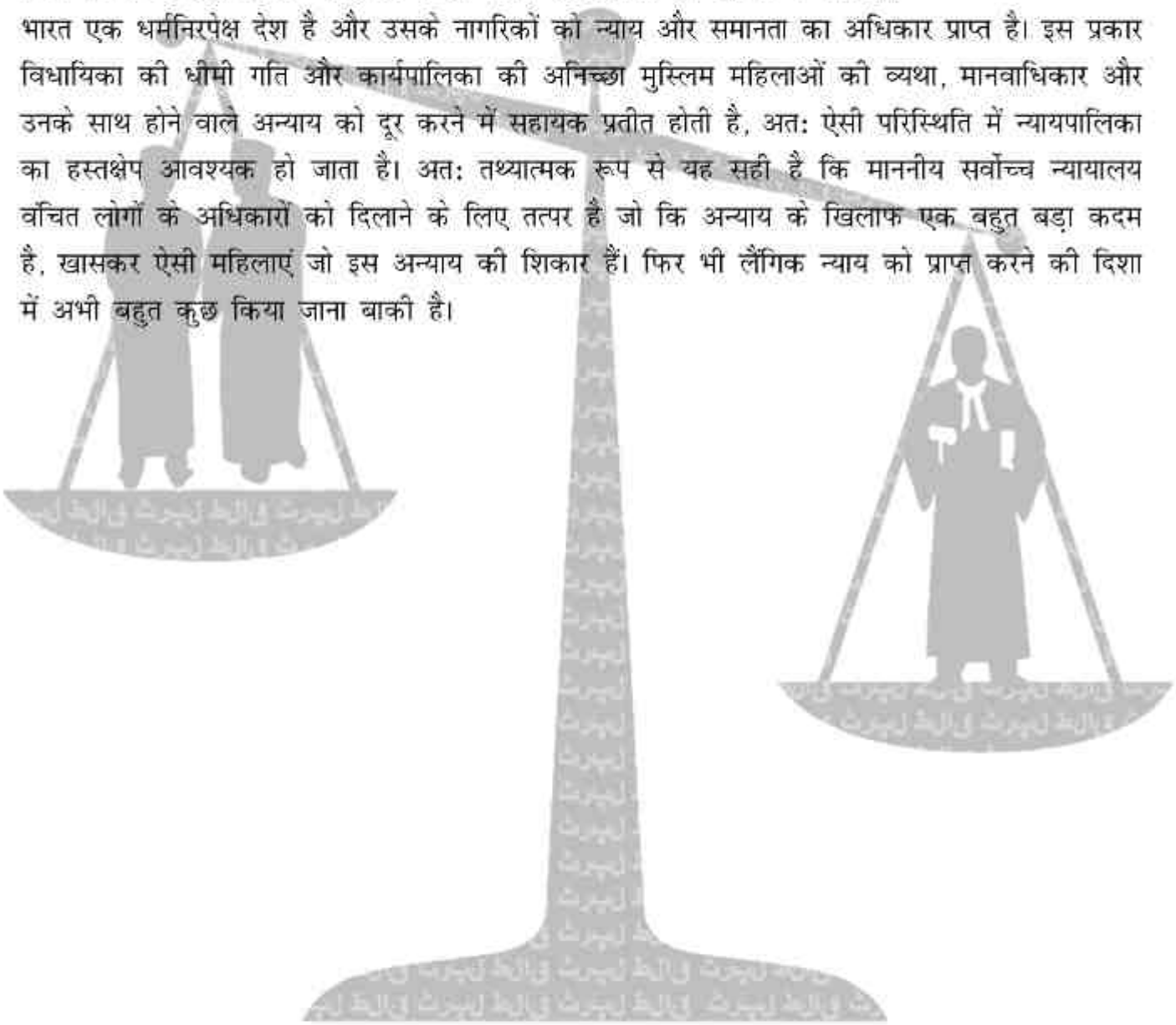

एक ऐतिहासिक निर्णय
महिला अधिकार की ओर पहल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 22 अगस्त, 2017 को लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस गम्भीर मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ में 3:2 के अनुपात (तीन अनुपात दो) से 'तीन तलाक' को असंवैधानिक घोषित किया गया। तीन न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, यू.यू. ललित और आर.एफ. नरीमन ने तीन तलाक को अवैद्य घोषित किया जबकि मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर ने तीन तलाक के पक्ष में अपना निर्णय दिया। यहां बहुमत और अल्पमत निर्णयों के पर्यवेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं-

बहुमत का निर्णय

न्यायमूर्ति जोसेफ ने अवलोकन करके पाया कि जो चीज पवित्र कुरान में बुरी मानी गई है, वही चीज शरियत में भी अच्छी नहीं मानी गई है। उस अर्थ में, जो चीज धर्मशास्त्र में बुरी है, वह कानून में भी बुरी है।

किसी प्रथा को केवल इसलिए ही वैध नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह प्रथा लम्बे समय से चली आ रही है और वह भी तब जब वह प्रथा स्पष्ट रूप से नाजायज घोषित की जा चुकी है।

शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में स्पष्ट किया गया है कि तीन तलाक वैधानिक शुचिता के लिए एक चुनौती है।[68] इसलिए अनुच्छेद-141 के अंतर्गत (सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून जो सभी न्यायालयों पर लागू है) शमीम आरा के मामले में दिया गया निर्णय एक कानून है जो भारत में लागू है। शमीम आरा मुकदमे में, उसका पति अबरार अहमद गुजारा-भत्ता देने के लिए उत्तरदायी तब तक माना गया जब तक कि कानून के अनुसार उसका कर्त्तव्य पूरा न हो जाए। अबरार अहमद को यह भी निर्देश दिया गया कि वह अपील करने में आए खर्चों का भी वहन करे।[69]

न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित दोनों ने अवलोकन के पश्चात् पाया कि तीन तलाक का यह स्वरूप स्पष्ट रूप में मनमाना तरीका है। मुस्लिम पुरुषों द्वारा शीघ्रतापूर्वक अपने मनमाने ढंग से बिना किसी सुलह का प्रयास किए ही वैवाहिक संबंध तोड़ा जा सकता है।

अत: इस प्रकार का तलाक निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जहां तक 1937 का अधिनियम (मुस्लिम पर्सनल लॉ) तीन तलाक को मान्यता प्रदान करता है तथा इसे लागू करता है, यह अधिनियम अनुच्छेद-13(1) में शब्दों के अभिप्राय 'प्रवृत्त विधियां' के अंतर्गत आता है और जहां तक यह तीन तलाक को मान्यता प्रदान करता है तथा लागू करता है, इसे निरस्त कर दिया जाए।[70]

न्यायाधीश उदय उमेश ललित

न्यायमूर्ति ललित एक न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में जुलाई, 2014 में नियुक्त हुए। वह सीधे वकालत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। न्यायमूर्ति ललित 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मुकदमे में विशेष अभियोजक थे।

न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन

न्यायमूर्ति आर. नरीमन जाने-माने विधिवेत्ता फाली एस. नरीमन के पुत्र हैं। न्यायमूर्ति नरीमन के अपने पेशे का आरम्भ 1979 में किया और भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 27 जुलाई, 2011 से लेकर 4 फरवरी, 2013 तक कार्य किया है। इन्हें पारसी धर्म की मान्यताओं के आधिकारिक विद्वान के रूप में भी जाना जाता है।

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने केरल उच्च न्यायालय में वर्ष 1979 से अपने कानूनी पेशे का आरम्भ किया और वर्ष 2000 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। वर्ष 2010 में न्यायमूर्ति जोसेफ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति बने। 8 मार्च, 2013 को वे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए।

अल्पमत निर्णय

मुख्य न्यायाधीश खेहर और न्यायाधीश अब्दुल नजीर ने पाया कि यह मामला ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत करता है जिसमें न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद-142 के अधीन समुचित निर्देश जारी करने हेतु स्वविवेक का प्रयोग करना चाहिए।

उन्होंने भारतीय संघ को विशेषरूप से 'तलाक ए बिद्दत' के संदर्भ में समुचित विधान लाने पर विचार करने का निर्देश दिया। विचारित विधान मुस्लिम पर्सनल लॉ 'शरियत' में सुधार को भी शामिल करेगा जैसा कि पूरे विश्व के इस्लामिक देशों में विधान द्वारा इसमें सुधार किया गया है।

जब तक इस मामले में विधान पर विचार किया जा रहा है, वे मुस्लिम पतियों को अपना वैवाहिक संबंध विच्छेद करने के साधन के रूप में 'तलाक ए बिद्दत' पर तत्काल पाबंदी लगाकर संतुष्ट थे। तत्कालीन आदेश छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

यदि छह माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व वैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और 'तलाक ए बिद्दत' (एक साथ ही तीन बार तलाक कहना) का एक अथवा किसी दूसरे रूप में पुनः परिभाषित करने संबंधी कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, यदि यह निर्णय लिया जाता है कि 'तलाक ए बिद्दत' की प्रथा पूरी तरह समाप्त कर दी जाए, तो तत्कालिन आदेश विधान के पूरी तरह अधिनियमित होने तक जारी रहेगा। ऐसा न होने की स्थिति में तत्कालीन आदेश अप्रभावी हो जाएगा।

न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर

वर्ष 2003 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले न्यायमूर्ति नज़ीर वर्ष 1983 से ही एक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। 24 सितम्बर, 2004 को ये कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश हुए। फरवरी, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी पदोन्नति हुई।

मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर

भारत के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर कर्नाटक उच्च न्यायालय और उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 27 अगस्त, 2017 को न्यायमूर्ति खेहर भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए।[7]

उर्दू प्रेस की रूढ़िवादिता

लैंगिक भेदभाव को वैधता

भारत में उर्दू प्रेस बड़े पैमाने पर मौलानाओं के द्वारा नियंत्रित है। यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय में खासकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो एक प्रकार की जड़ता है, उसकी ओर उर्दू मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। हालांकि इनमें कुछ प्रगतिशील विचार वाले लोग भी हैं, जो 'तीन तलाक' के विषय को उर्दू प्रेस में प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इनमें अधिकतर तीन तलाक के पक्षधर हैं और लैंगिक पक्षपात को वैद्यता देने का प्रयास करते हैं।

संक्षेप में कई उर्दू प्रेस में प्रकाशित खबरें निम्न हैं :

जब तीन तलाक का मामला न्यायालय में लंबित था तब 'रोजनामा खबरें' के सम्पादक क़ासिम सईद ने तीन तलाक के मुद्दे को लेकर पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा है कि आजादी के बाद से तीन तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समक्ष सबसे गम्भीर चुनौती है। तीन तलाक पर न्यायिक मामले का हवाला देते हुए सम्पादक ने लिखा है कि इस समस्या पर भावुकता में आक्रामक होने की बजाय कानूनी पहलुओं पर सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि यह सवाल केवल तीन तलाक पर विवाद का नहीं है बल्कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मुस्लिम पर्सनल लॉ के संरक्षण का भी है।[72]

दैनिक सियासत ने 12 अगस्त, 2018 को लिखा कि लोकसभा के सांसद मौलाना असरूरउल हक कासमी पूरा प्रयास करेंगे ताकि तीन तलाक का विधेयक सरकार राज्यसभा में पारित नहीं करा सके। ऐसा बताया गया कि मौलाना असरूर तीन तलाक विधेयक का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह शरियत के खिलाफ है और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए घातक होगा।

दैनिक मुंसिफ (3 मई, 2017) के अनुसार जमाते इस्लामी के सचिव आतिया सिद्दीकी ने कहा कि तीन तलाक का मुद्दा सरकार के द्वारा मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए उठाया जा रहा है। सिद्दीकी के अनुसार मुस्लिम महिला के लिए बहुविवाह एक उपहार की तरह है। उसने आगे कहा कि मुस्लिम मरना पसन्द करेंगे लेकिन पर्सनल लॉ में इस बदलाव को कतई स्वीकार नहीं करेंगे।

दावत ने (28 अप्रैल, 2017) के अपने सम्पादकीय में लिखा कि जो लोग तीन तलाक, शरीया के मुद्दे और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर बोल रहे हैं वे अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। इनमें अधिकाशतः वे लोग हैं जिनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। यह ऐसे लोगों की इस्लाम और औरतों के प्रति शत्रुता को दर्शाता है और इससे यह भी जाहिर होता है कि ये लोग शरिया के बारे में कितने अनजान हैं।

इत्तेमाद (23 नवम्बर, 2017) ने अपने सम्पादकीय में लिखा कि कोई भी कानून जो तीन तलाक को प्रतिबंधित करता है वह इस्लाम की धारणाओं के विपरीत है। इसके अनुसार कुछ गैर-सरकारी संस्थान मुस्लिम महिलाओं को बहका रहे हैं। इसके अनुसार मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर तलाक देने के प्रयास ने सरकार और न्यायपालिकाओं को तीन तलाक के खिलाफ काम करने का मौका दिया है।

उर्दू प्रेस की विचार भिन्नता

'तीन तलाक' पर वाद-विवाद टेलीविज़न की बहसों में और सोशल मीडिया पर पर्याप्त जगह प्राप्त कर चुका है। जबकि उर्दू प्रेस ने मोटे तौर पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा अपने अधिकारों के लिए उठने वाली आवाज को नजरअंदाज करने का ढोंग किया है। हालांकि मुस्लिम समुदाय में भी साहसिक सुगबुगाहट हो रही है और लैंगिक न्याय के मुद्दे को उठाया जा रहा है, साथ ही साथ तीन तलाक के मुकदमे भी प्रेस में दर्ज हो रहे हैं।

जदीद मरकज़ (14 मई, 2017)

ترک مسلمان بھی تین طلاق کے خلاف

14 मई, 2017 के जदीद मरकज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बिजनौर और रामपुर जिले के 150 से अधिक गांवों के मुस्लिमों ने खुलेआम तीन तलाक का विरोध किया। संभल की बैठक में पंचायत ने 'तीन तलाक' को इस्लामी परम्परा के विरूद्ध माना और तय किया कि गांव के किसी भी मुसलमान को 'तीन तलाक' के द्वारा तलाक देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई 'तीन तलाक' की प्रक्रिया को अपनाता है तो इसके लिए पति ही जिम्मेवार होगा और नियमत: उसे दंडित किया जाएगा।

उर्दू प्रेस में दर्ज तीन तलाक की कुछ हालिया घटनाएं इस प्रकार हैं-

जदीद मरकज़ (16 अप्रैल, 2017)

- गोरखपुर के रहने वाले 90 वर्षीय हबीब शाह ने अपनी 80 वर्षीया पत्नी जेब-उन-निस्सा को क्षणभर में ही तलाक दे दिया। अपनी गलती का अहसास होने पर जब वे मुफ्ती अख्तर हुसैन अजहेरी के पास सलाह के लिए गए तो इस स्थिति में भी मुफ्ती ने जेब-उन-निस्सा को हलाला करने का परामर्श दिया। इस सलाह का अनुपालन करने में असमर्थ दम्पत्ति अपनी इच्छाओं के विरूद्ध अलग-अलग रह रहे हैं।[73]

- बरेली की जामा मस्जिद के इमाम ने एक महिला, निदा खान के खिलाफ इस्लाम की कई प्रथाओं का विरोध करने के लिए फतवा जारी किया। इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि निदा खान के खिलाफ इस्लाम और उसकी प्रथाओं के विरूद्ध बोलने के लिए एक फतवा जारी किया

13 جدید مرکز، لکھنؤ ۱۶ تا ۲۲ / اپریل ۲۰۱۷ء

تین طلاق - ایک الجھا ہوا مسئلہ

حسام صدیقی

جدید مرکز (16 अप्रैल, 2017)

है। उन्होंने कहा, 'कोई भी मुस्लिम उसके साथ संबंध नहीं रखेगा जब तक कि वो सबके सामने माफी ना माँग ले और अपने इस्लाम विरोधी पक्ष से ना हट जाए'। इमाम के अनुसार कोई भी उसे बीमारी में दवाई उपलब्ध ना कराए और ना ही उसके मरने के समय नमाज-ए-जनाजा पढ़े।

- लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली शबनम का 25 वर्ष पहले वजीर अहमद के साथ निकाह हुआ। वजीर ने शबनम को धारावाहिक देखने के लिए मना किया लेकिन शबनम ने इसे अनसुना कर दिया जिससे क्रोधित होकर वजीर अहमद ने शबनम को तलाक दे दिया और घर छोड़कर चला गया। इनके चार बच्चे हैं।

- उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि खाना बनाते समय उससे रोटियां जल गई थीं।

- कस्बा कोरी की फिरदौज़ का निकाह मोहम्मद कासिम के साथ हुआ। निकाह के एक वर्ष बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिससे नाखुश कासिम ने फिरदौज़ को तलाक दे दिया, यह सोचकर कि जब बच्ची बड़ी होगी तो उसके निकाह का खर्च कहां से आएगा।

- शरीफनगर की राहिल का निकाह उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले इफ्तिकार हुसैन के साथ हुआ। निकाह के पहले दिन से ही इफ्तिकार ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि उसे मनचाहा दहेज नहीं मिला। जब राहिल के परिजनों ने उसकी बढ़ती माँग को पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई तो उसने राहिल को तलाक दे दिया।

- बरेली की रहने वाली रेशमा को उसके पति मोहम्मद ताहिर ने तलाक दे दिया क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया। सही इलाज ना मिलने के कारण बाद में उस बच्ची की मृत्यु हो गई।

- बादशाहपुर, बनारस की रहने वाली शहाना का पति उसे फोन पर ही तीन तलाक इसलिए दे देता है क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था।

تازہ کی عجیب داستان

چار بار شادی اور تین بار طلاق

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

समान अधिकार की अभिलाषा
एक निरंतर संघर्ष

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक तीन तलाक असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के प्रारम्भिक उत्साह के बाद मुस्लिम समुदाय के भीतर इसे संबोधित करने की एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि पाँच न्यायाधीशों की खण्डपीठ के बहुमत का निर्णय मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में था, जिसने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया जबकि तीन तलाक के पक्ष में दिया गया तर्क प्राय: धार्मिक आधार पर था उसमें संवैधानिक अधिकारों का अभाव था। यह भी प्रकाश में आया कि तीन तलाक पर आए निर्णय के दो दिनों के अंदर ही नौ जजों की शीर्ष खण्डपीठ ने सर्वसम्मति से व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार को मान्यता दी। तीन तलाक पर फैसला आने के तुरंत बाद ही स्वघोषित मुस्लिम प्रतिनिधियों ने निर्णय पर अपना विचार देना आरंभ कर दिया था। कुछ उर्दू अखबारों ने यह खबर छापी कि सर्वोच्च न्यायालय का एक साथ तीन तलाक पर आया निर्णय मुस्लिम संगठनों के लिए एक और झटके की तरह है। अखबारों ने पूरे विस्तार से यह प्रकाशित किया कि किस प्रकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत-उलेमा-ए-हिन्द, दारूल-उलूम-देवबंद, जमात-ए-इस्लामी हिन्द और अन्य अग्रणी मुस्लिम संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक को गैर-संवैधानिक और गैर-इस्लामिक घोषित किए जाने को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया।[74] ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला ईकाई का कहना था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तीन तलाक पर आया निर्णय उलझन भरा था और इनका स्पष्ट मानना था कि तीन तलाक हमेशा महिलाओं के हक के विरोध में ही काम नहीं करता।[75] जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर आए निर्णय पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि यह निर्णय इस्लामी शरीयत के खिलाफ था। इसके साथ-ही-साथ मौलाना महमूद मदनी ने सभी मुसलमानों से आग्रह किया कि वे एक झटके में तीन तलाक देने की परिपाटी को खत्म करें ताकि दूसरे लोगों को हमारे धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका न मिल पाए।[76] पश्चिम बंगाल के पुस्तकालय एवं जन शिक्षा मंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायक सिद्दिकुल्लाह चौधरी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर यह गंभीर आरोप लगाया कि उसने इस्लाम और इसकी मान्यताओं को जाने बिना ही तीन तलाक पर अपना निर्णय दे दिया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक कुरान में उल्लेखित है और सभी मुसलमानों को इसका पालन करना होगा।[77] जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक पर आए फैसले को समान नागरिक संहिता की दिशा में अग्रिम कार्रवाई मानते हुए इसके विरूद्ध संघर्ष का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं को समान नागरिक अधिकार न मिले इसके लिए जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने अपना संघर्ष जारी करते हुए उर्दू में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है- "यूनिफार्म सिविल कोड के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की जिद्द-ओ-जिहाद" (जे.यू.एच. का यूसीसी के विरूद्ध संघर्ष)। इस किताब का मानना है कि तथाकथित समाज-सुधार के नाम पर शरिया को फिर से नहीं लिखा जा सकता है।[78] हालांकि प्रगतिशील मुसलमानों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया

था। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारत में इस्लाम एवं मुस्लिम औरतों की जीत बताया।[79] सूफी-सुन्नी मुसलमानों की उच्च संस्था ऑल इंडिया उलेमा एण्ड मशाइख बोर्ड के सैयद अशरफ किच्छछवी का कहना था कि तीन तलाक पर कठिन शोध-कार्यों को सामने लाना चाहिए। ऑल इंडिया उलेमा एण्ड मशाइख देशभर में इस विषय पर गहराई से विचार-विमर्श करने के लिए सेमिनारों एवं कार्यशालाओं को आयोजित करने की योजना बना रहा है। सैय्यद अशरफ ने कहा कि मुस्लिम तलाक कानून पर गम्भीरता से विचार-विमर्श कर इसके साथ व्याख्या की जरूरत है ताकि यह कानून कुरान-सम्मत होने के साथ संविधान सम्मत भी बन सके।[80] तीन तलाक को प्रतिबंधित कर विवाहित मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हुए लोकसभा में 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017' लेकर आई। न्यायपालिका और कार्यपालिका ने तो मुस्लिम महिलाओं के लैंगिक न्याय को समझा परन्तु विधायिका के अंतर्गत कुछ जनप्रतिनिधियों को मुस्लिम समुदाय के अंदर व्याप्त इस रूढ़िवादी प्रथा के उन्मूलन के प्रति एक प्रकार की हिचकिचाहट स्पष्ट तौर पर देखी गई। वर्तमान में यह विधेयक राज्यसभा में लंबित है। 'भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन' का कहना था कि मुस्लिम कानून को भारत में संहिताबद्ध करने की दिशा में यह विधेयक एक पहल है।[81] इस संगठन ने सरकार और विपक्ष से आग्रह किया कि कृपया इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाए ताकि एक संतुलित एवं समग्र कानून बन सके। हालांकि इस समुदाय के कट्टरपंथियों ने इस विधेयक का जी-जान से विरोध किया था। पटना के गांधी मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 'दीन बचाओ, देश बचाओ' रैली का आयोजन किया जहां मौलवियों ने इस विधेयक को शरिया कानून में हस्तक्षेप मानते हुए इसे अविलम्ब वापस लेने की माँग की। रूढ़िवादी प्रथाओं में प्रस्तावित सुधारों से डरते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घरेलू और सम्पत्ति विवादों को हल करने के लिए पूरे देश में शरिया अदालतों की शुरुआत की घोषणा की थी। इन शरिया अदालतों की स्थापना के पीछे मूल मकसद महिलाओं को मध्यस्थता के नाम पर न्यायपालिका के सम्पर्क से दूर रखना था। इस बीच, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के कारण यातना और अपमान का सामना लगातार करना पड़ रहा हैं, उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। इन कारणों से सरकार ने 19 सितम्बर, 2018 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण के लंबित विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए एक अध्यादेश को पारित किया जिसे माननीय राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की। यह अध्यादेश एक साथ तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी और अवैध करार देता है और इस अपराध को करने वाले शौहर को तीन साल की सजा सुनाई जा सकती है। अभी हाल ही में, उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली तीन तलाक पीड़िता को उसके पति द्वारा कथित तौर पर काफी पिटाई की गई एवं उसे बिना भोजन-पानी के एक महीने तक एक कमरे में बन्द करके रखा गया जिसके फलस्वरूप इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।[82] एक ऐसी घिनौनी परम्परा जिसे इस्लाम में भी पाप माना गया है उसे समाप्त करने पर असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। दुनियाभर के धर्मशासित राष्ट्र तलाक को विनियमित करने की दिशा में आगे आ रहे हैं। यही वह समय है जहां न्यायपालिका और राजनीतिक इच्छाशक्ति को एक साथ आकर देश के अन्दर लैंगिक समानता की सुरक्षा की दिशा में एक कदम बढ़ाना पड़ेगा।

नागरिक समाज की अभिव्यक्ति

भारत नीति प्रतिष्ठान के शोध दल ने हालांकि ऐसी कई भुक्तभोगी महिलाओं के साक्षात्कार लिए और उनसे प्राप्त तीन तलाक से जुड़े कई मामलों में जानकारियों का दस्तावेजीकरण किया लेकिन इसके साथ ही प्रतिष्ठान के शोध दल ने इस्लाम के धार्मिक विचारक, कानूनी जानकार, संविधान विशेषज्ञ और कई मुस्लिम विद्वानों से भी इस मामले में अलग से बातचीत तथा साक्षात्कार के माध्यम से उनके विचार जानने की ईमानदार कोशिश भी की। ये ऐसे लोग हैं जो अपना मत व्यवहार वास्तविक चरित्र के अनुरूप देते हैं। इन खास लोगों में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमाल फ़ारूकी, पूर्व राज्यसभा सदस्य और उर्दू साप्ताहिक नई दुनिया के सम्पादक शाहिद सिद्दीकी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री आरिफ़ मोहम्मद खान, लोकसभा के पूर्व महासचिव व संविधान विशेषज्ञ डॉ. सुभाष सी. कश्यप, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएसन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना नदीमुद्दीन और मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी, जयपुर की अध्यक्ष निशात हुसैन प्रमुख हैं। इनमें से कुछ ने ई-मेल आदि के माध्यम से संवाद किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खान के साथ भा.नी.प्र. शोध टीम के सदस्य

मौलाना नदीमुद्दीन के साथ भा.नी.प्र. शोध टीम के सदस्य

श्री सुभाष कश्यप के साथ भा.नी.प्र. शोध टीम के सदस्य

श्री कमाल फारूकी के साथ भा.नी.प्र. शोध टीम के सदस्य

श्री शाहिद सिद्दीकी के साथ भा.नी.प्र. शोध टीम के सदस्य

कमाल फ़ारूकी (पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग)

हालांकि तलाक को इस्लाम में एक कुरीति/कुप्रथा के रूप ही माना जाता है, इसी संदर्भ में इसकी व्याख्या भी की जाती है और इसी अर्थ में इसे उच्चारित भी करते हैं। फिर भी तलाक के मामले में सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि तलाक के बावजूद महिला के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और पर्याप्त गुजारा-भत्ते की सुविधा मिलेगी। बहुविवाह की अनुमति अत्यन्त आवश्यक मामलों में ही दी जा सकती है।

शाहिद सिद्दिकी (पूर्व राज्यसभा सदस्य व उर्दू साप्ताहिक नई दुनिया के सम्पादक)

कुरान के निर्देशों के अनुसार ही तलाक होना चाहिए और आधुनिक समय में जिस तरह से इसका दुरूपयोग हो रहा है उसपर पाबंदी लगनी चाहिए। बहुविवाह की अनुमति केवल नितान्त जरुरी स्थितियों में ही दी जा सकती है। 'निकाह-हलाला' का विचार तलाक को रोकने के लिए आया था लेकिन इसे समाज में बदलाव के साथ परिवर्तित होना होगा।

रंजना कुमारी (निदेशक, सामाजिक न्याय केन्द्र, नई दिल्ली)

तीन तलाक, निकाह-हलाला और बहुविवाह प्रथा बन्द होनी चाहिए क्योंकि ये स्त्री के मान और लैंगिक न्याय और समानता की भावना के विरूद्ध है।

डॉ. सुभाष सी. कश्यप (लोकसभा के पूर्व महासचिव व संविधान विशेषज्ञ)

बहुविवाह, निकाह, हलाला जैसे मुद्दे इससे संबंधित समुदायों से चर्चा (बातचीत) कर ही हल हो सकते हैं कि यह कुरान में है या नहीं। तीन तलाक मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। विरोध का स्वर उसी समुदाय के अंदर से आना चाहिए तथा किसी भी तरह की बाहरी आवाज को समुदाय विशेष के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप समझा जाएगा।

मौलाना साजिद रशीदी (अध्यक्ष, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएसन)

कुरान के निर्देश के अनुसार बहुविवाह की अनुमति है। इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों को दंड के लिए 'हलाला' नियत किया। 'तीन तलाक' का अनुसरण निश्चितरूप से कुरान के नियम के अनुसार ही करना होगा। तलाक 'मुस्लिम पुरुष' का अधिकार है और किसी न्यायालय को इस पर पाबंदी लगाने का अधिकार नहीं है।

निशात हुसैन (अध्यक्ष, मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी, जयपुर)

तीन तलाक, बहुविवाह तथा हलाला जैसी कुरीतियां इस्लाम द्वारा समर्थित नहीं है तथा यह बन्द होनी चाहिए। यह स्त्री के दमन का हथियार है। हमें भारतीय संविधान पर विश्वास होना चाहिए जो हमारे अधिकारों और गरिमा की रक्षा करता है।

मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन सिद्दिकी (अध्यक्ष, एआईयूसी)

तीन तलाक इस्लाम में मान्य नहीं है तथा यह बंद होना चाहिए। केवल पुनर्विवाह इस्लाम में मान्य है तथा हलाला भी धर्म का हिस्सा नहीं है। इस प्रथा को जारी रखने वाले लोगों को बलात्कारियों की तरह देखा जाना चाहिए। बहुविवाह को आधुनिक समय के हिसाब से समझा जाना चाहिए। इस्लाम में साफतौर पर लिखा है कि एक पुरुष अपनी सभी पत्नियों के साथ न्याय करेगा, परन्तु आज की दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता।

वृंदा करात
सदस्य, सीपीआई (एम)

विधि आयोग का विचार बहुत अधिक पूर्वाग्रहयुक्त है तथा जब से तीन तलाक का मुद्दा न्यायालय में है, कोई भी अन्य मत इसमें अनावश्यक बाधा कहलाएगा। अत: वे इस प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ हैं।

सीताराम येचुरी
महासचिव, सीपीआई

रूढ़िवादिता का प्रतिकार

प्रथम महिला काज़ी ने भारत नीति प्रतिष्ठान की संगोष्ठी में पितृसत्ता और लैंगिक दमन के खिलाफ आवाज उठाई

भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम एक धर्म तथा एक संस्कृति के रूप में 7वीं शताब्दी में अवतरित हुआ और तभी से यह रूढ़िवादिता के पिंजरे में सीमित है। 29 मई, 2017 को भारत नीति प्रतिष्ठान ने राजस्थान विश्वविद्यालय के लाइफ लौंग लर्निंग विभाग और जयपुर राष्ट्रीय मुस्लिम स्त्री कल्याण समाज के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया था जिसका शीर्षक था 'महिला अधिकार : रूढ़िवादिता के विरूद्ध प्रतिकार'। तीन तलाक के नाम पर हो रहे अन्याय को लेकर देश की पहली महिला काजी जहांआरा ने एक लम्बा वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर हो रही इस बुराई पर रोक लगनी चाहिए तथा पढ़े-लिखे बुद्धिमान मौलानाओं को सामने आकर इस्लाम के कानून को स्पष्ट करना चाहिए। एक बुद्धिमत्तापूर्ण गहन व्याख्या ही इस्लाम को एक दयालु, न्यायसंगत और मानवतावादी पंथ के रूप में विकसित कर सकती है। जहांआरा स्वयं भी एक तीन तलाक पीड़िता हैं।

जयपुर विश्वविद्यालय के आईएलएलएल और भा.नी.प्र. के सहयोग से जयपुर में एक संगठित संगोष्ठी 'महिला अधिकार : रुढ़िवाद के विरुद्ध प्रतिकार' का आयोजन किया गया।

मेरे पति ने मुझे बेघर कर दिया और मेरे बच्चों को अपने पास रख लिया। इस पीड़ा से बाहर आने के लिए मैंने कुरान पढ़ना आरम्भ किया तथा इसके वास्तविक अर्थ को पांच साल की समयावधि में समझा। पहली बार कुरान पढ़ने पर मुझे कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला जहां तीन तलाक की बात कही गई हो। वस्तुत: यह इस्लाम की गलत व्याख्या है जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम महिलाओं का दमन हो रहा है। कुरान आधारित कानून संहिताबद्ध होने चाहिए। भारत की पहली महिला काजी के तौर पर यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं स्त्री अधिकारों की रक्षा करूं।

-जहांआरा

हमारे पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान है। समय बदल रहा है तथा इन परिस्थितिजन्य बदलावों में मुस्लिम महिलाओं को अपने खिलाफ हो रहे दमन के प्रति आवाज उठानी होगी। वे अपने अधिकारों के लिए केवल और केवल तभी खड़ी हो सकती हैं जब वे अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागरूक होंगी।

-निशात हुसैन

एआईएमपीएलबी केवल एक एनजीओ है। वह मुस्लिम महिलाओं को किसी भी प्रकार की मदद या राहत उपलब्ध नहीं कराता। जब मुझे कोई तीन त लाक पीड़िता नहीं मिली जो न्यायालय पर दस्तक दे सके तब मैंने अपनी बहन से आग्रह किया कि वे मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएं। कानूनन हस्तक्षेप पर मेरी सहमति के कारण टीवी पर चर्चा-परिचर्चा (टॉक शो) में मुझे धमकाया और बेइज्जत किया गया है।

-नसीम अख्तर

मुस्लिम महिलाएं अभी भी नृशंसतापूर्ण व्यवहार झेल रही हैं जिसे समाप्त होना चाहिए। हिन्दू धर्म और इस्लाम के पास बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि पश्चिम को सिखाई जा सकती हैं परन्तु यह समय की मांग है कि रूढ़िवादिता को त्याग दें, विशेषकर महिला संबंधी।

-डॉ. शीला राय

महिला अधिकार ■ रूढ़िवादिता के विरुद्ध प्रतिकार पर सेमिनार

महिलाएं आवाज उठाएं, संसद कानून बनाएगी

डेली न्यूज, ... रिपोर्टर, जयपुर। वक्त बदल रहा है और बदलते हालात के अंदर तालीम के जरिए मुस्लिम महिलाओं को अपने ऊपर हो रही ज्यादतियों पर एक होकर आवाज उठानी होगी। इसी तरह प्रोत्साहित करते हुए मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी की अध्यक्ष निशात हुसैन ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मौका था राजस्थान विश्वविद्यालय के लाइफलांग लर्निंग डिपार्टमेंट में नेशनल मुस्लिम वुमन वेलफेयर सोसायटी एवं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन व डिपार्टमेंट के सहयोग से 'महिला अधिकार: रूढ़िवादों के विरुद्ध प्रतिकार' विषय पर शनिवार को सेमिनार के आयोजन का। सेमिनार में डॉ. आलोक शर्मा ने बताया कि पितृसत्तात्मक समाज अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो तमाम तरीकों से महिलाओं की राह में रोड़ा अटकाता है। डॉ. गीता भट्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि अधिकार वह हक है, जिसको मान्यता राज्य देता है, जिसका आधार व्यक्तिगत, समूह, जाति या उम्र होती है।

महिलाओं की परेशानी तालीम से होगी दूर

एडवोकेट अर्चना दवे, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिलाएं आवाज उठाएंगी तो संसद कानून भी बनाएगी, सरकार लागू भी करेगी और न्यायपालिका न्याय भी दिलाएगी। मुस्लिम अधिकारों की सशक्त पैरोकार अम्बर जैदी ने महिलाओं को परेशानियों से निजात पाने के लिए तालीम की आवश्यकता पर जोर दिया। विभाग की निदेशिका डॉ. शीला राय ने बताया कि इस्लाम और हिन्दू धर्म में इतनी खूबियां हैं कि पश्चिम को वो बहुत कुछ दे सकते हैं। आवश्यकता है इन अच्छाइयों को रूढ़िवादों की दुनिया से अंगीकार करने की। देश की प्रथम महिला काजी जहांआरा ने बताया कि कुरान में कहीं भी एक बार में तीन तलाक का जिक्र ही नहीं है। यह इस्लाम की गलत व्याख्या का नतीजा है, जिसका दुष्परिणाम मुस्लिम महिलाएं भुगत रही हैं।

जयपुर के समाचारपत्र 'डेली न्यूज़' में प्रकाशित संगोष्ठी का समाचार

उक्त गोष्ठी में भारत नीति प्रतिष्ठान की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गीता भट्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉ. आलोक शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता अर्चना पाठक दवे, सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्यूमेंट्री निर्माता अम्बर जैदी ने, भा.नी.प्र. संस्थान का पक्ष सम्मुख रखा। लाइफ लांग लर्निंग विभाग की निदेशक डॉ. शीला राय के सहयोग और अध्यक्षता में गोष्ठी का समापन हुआ। गोष्ठी में स्वयंसेवी संगठन मुस्लिम सुधार समाज की अध्यक्ष निशात हुसैन, भारत की प्रथम महिला काजी जहांआरा तथा तीन तलाक से पीड़ित कई मुस्लिम महिलाओं के साथ ही कई शोधार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों ने भी हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए।

दैनिक भास्कर, जयपुर, 30 अप्रैल, 2017

महिलाओं के हुनर से इनसिक्योर हो जाते हैं पुरुष : शीला राय

महिला अधिकार रूढ़िवादिता पर सेमिनार का आयोजन

सिटी रिपोर्टर • लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट की शीला राय ने कहा कि पंचायती राज में तो महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिल गया, जहां वे पुरुषों के मुकाबले बेहतर काम कर रही हैं। यही नहीं अपने काम के बलबूते पर वे चुनाव जीत भी रही हैं।

जब पुरुषों ने देखा कि महिलाएं उनसे आगे निकल रही हैं तो संसद में 50 प्रतिशत आरक्षण के बिल को पास नहीं किया। उनको निचले स्तर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन संसद में महिलाओं के आने से इनसिक्योर हो गए। कुछ ऐसी ही चर्चा की गई महिला अधिकार रूढ़िवादिता के विरुद्ध विषय पर। इसमें हर तबके की महिला के अधिकारों पर चर्चा की गई। चर्चा में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के मेंबर्स ने भी हिस्सा लिया।

पहली महिला काजी जहांआरा भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के संघर्षों से मैंने कुरान के सही मायने जाने। कुरान में महिलाओं के लिए कुछ अलग नियम हैं और प्रैक्टिस में कुछ और आ गए हैं। जब मेरे पति ने मुझे तीन बार तलाक बोल कर घर से निकाल दिया और मेरे बच्चों से भी अलग कर दिया तो यह दर्द मैं सह नहीं पाई। मैं ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करने लगी जिससे मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। इसलिए कुरान पढ़ना शुरू किया। पांच साल लगे मुझे कुरान का असल मतलब समझने में। इसके बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। पहली काजी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करूं।

तलाक का प्रोसेस गलत

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की स्टेट कन्वीनर निशात हुसैन ने कहा कि कुरान में यह जिक्र है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहे तो वो तीन महीने के प्रोसेस से गुजरे। पहले एक कमरे में बैठ कर 100 बार तलाक बोले, इसके बाद मियां-बीवी को एक महीने तक साथ में रहना होता है जहां उनकी काउंसिलिंग होती है। ऐसे यह प्रोसेस तीन महीने का है। इस बीच मियां-बीवी के रिश्ते सुधरने के चांस होते हैं। प्रैक्टिस में इससे उल्टा है बस तीन बार तलाक बोलता है और बीवी घर से बाहर। ऐसे में वो फाइनेंशियल, इमोशनल सब तरह से असहाय हो जाती है। ऐसे में मेरे पास भारतीय संविधान है जो मेरे अधिकारों की रक्षा करता है। अब मुस्लिम महिलाओं में अवेयरनेस आने लगी है।

राजस्थान पत्रिका, 30 अप्रैल, 2017

महिलाएं आवाज उठाएंगी तो संसद में कानून बनेगा

राजस्थान यूनिवर्सिटी के लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट में सेमिनार

जयपुर ● जैसे-जैसे समाज बदल रहा है, लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इस बदलते वक्त में मुस्लिम महिलाएं भी अब अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट, नेशनल मुस्लिम वुमन वेलफेयर सोसायटी और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की ओर से 'इंसानियत सबसे बड़ा मजहब, जरूरत अल्लाह के इस्लाम को जानने की न कि मुल्ला के इस्लाम को' पर हुए सेमिनार में वक्ता निशात हुसैन ने इसी तरह बात रखी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं तभी अपने अधिकार के लिए लड़ पाएंगी, जब उन्हें सही तालीम मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉ. गीता भट्ट ने कहा कि अधिकार वह हक है, जिसको मान्यता राज्य देता है, जिसका आधार व्यक्तिगत, समूह, जाति या उम्र होती है। लेकिन महिलाएं खुद जब स्वीकार करती हैं कि समाज पुरुष प्रधान है तो लैंगिक पक्षपात होना संभव है। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट अर्चना दवे ने कहा कि महिलाएं आवाज उठाएंगी तो संसद कानून भी बनाएगी, सरकार लागू भी करेगी और न्यायपालिका न्याय भी दिलाएगी।

शोध प्रविधि

भा.नी.प्र. के शोध दल ने पर्सनल लॉ की विसंगतियों के चलते हाशिए पर चली गई महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास हेतु इस विषय से संबंधित तथ्यों, भावनाओं तथा इसे लेकर व्यक्त किए गए विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस दस्तावेज का आशय एक ऐसी प्रविधि का उपयोग करना है जो कि पीड़िताओं की व्यथा को उजागर कर रूढ़िवादिता के प्रतिघात पर प्रकाश डाले और नागरिक समाज की प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करे।

इस दस्तावेज को तैयार करने में प्रारम्भ के छह महीनों में शोध दल ने बैठकों द्वारा इस अध्ययन की चुनौतियों और कार्यशैली की समीक्षा की। यह सुनिश्चित किया गया कि तीन तलाक की पीड़िताओं के मामले में प्राथमिक सूत्रों द्वारा एकत्रित जानकारी पर अधिक ध्यान रहेगा। महिलाओं के कथनों को आधार बनाने में उनकी शिक्षा, सामाजिक और पारिवारिक परिवेश, वित्तीय स्थिति, उम्र और रोजगार जैसी स्थितियों को भी कसौटी पर रखा गया। इन मानकों को ध्यान में रखकर ही प्रश्नावली तैयार की गई। मूल जानकारियों को संग्रहीत करने के मामले में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आदि माध्यमों का उपयोग किया गया ताकि जानकारियों का दस्तावेजीकरण प्रमाणिक हो सके। दस्तावेज में समाहित किए गए लोगों के विचार संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ से जुड़े हैं तथा पीड़ित व्यक्तियों के उद्‌गारों को उन्हीं के शब्दों में जस का तस उद्‌धृत किया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल भी इस दस्तावेज को बनाने में किया गया है। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों, लेखों से भी इस संदर्भ में जानकारी जुटाई गई है ताकि इस विषय के विविध सामाजिक आयामों को समझा जा सके। इस प्रविधि के आधार पर यह दस्तावेज तैयार हुआ है। उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कई उपसमितियों का भी गठन किया गया।

इस विषय को इसकी व्यापकता में समझने के लिए भा.नी.प्र. शोध दल ने मुस्लिम अध्येताओं, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और कानूनी संस्थाओं के विचारों का भी अध्ययन किया। इसके लिए अलग से एक प्रश्नावली तैयार की गई। शोध दल के सहयोगी की हैसियत से काम करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की राय भी पर्सनल लॉ के तमाम कानूनी पहलुओं को समझने के लिए ली गई। इस संबंध में प्रतिक्रिया जानने के लिए जानकार लोगों के व्यक्तिगत साक्षात्कार किए और पत्राचार भी किया गया। इस दस्तावेज को तटस्थ बनाने के लिए मुस्लिम समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का हरसम्भव प्रयास किया गया। इस उद्देश्य के तहत दो संगोष्ठियों, 'समान नागरिक संहिता का राजनीतिक, नैतिक एवं संवैधानिक औचित्य' और 'भारतीयकरण के संदर्भ में इस्लाम' का आयोजन दिल्ली में किया गया और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, 'महिला अधिकार : रूढ़िवादिता के विरूद्ध प्रतिकार' जयपुर में आयोजित की गई।

जनहित याचिका

बहुविवाह की पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अर्चना पाठक दवे द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका के रूप में समीना बेगम बनाम भारत सरकार 2018 की याचिका (सी) संख्या 222 दायर की गई है। उक्त जनहित याचिका में बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी अमानवीय प्रथाएं, जो कि मुस्लिम समाज में व्याप्त हैं, के विरुद्ध आवाज उठाई गई है।

भारत के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जे. एस. खेहर ने शायरा बानो बनाम भारत सरकार एवं अन्य (2017) 9 एस.सी.सी.-1 (जो तीन तलाक पर फैसला के रूप में भी जाना जाता है) मामले में कहा था, "वर्तमान मामले और इस मामले में तथा अन्य सम्बन्धित मामलों में भी उठने वाले जटिल प्रश्नों के तथ्यात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भ में ही ऐसा निर्णय लिया गया था कि अभी तलाक-ए-बिद्दत-तीन तलाक पर ही विचार किया जाए और सम्बन्धित याचिकाएं जैसे- बहुविवाह, हलाला और अन्य सम्बन्धित मामलों पर पृथक विचार किया जाएगा। तथापि वर्तमान विवाद का निपटारा संयोगवश संबंधित समस्याओं का भी समाधान करेगा।

यह फैसला शाहबानो मामले में राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार से 'समान नागरिक संहिता' लागू करने का आग्रह किए जाने के 30 वर्षों बाद आया है। भारत बहुलतावादी विधिक व्यवस्था को मानता है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न पर्सनल लॉ हों तथापि पर्सनल लॉ संवैधानिक वैधता और संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर अवश्य खरे उतरें और जहां तक हो सके, ऐसे कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करे।

आस्था और विश्वास मामले का संरक्षण अनुच्छेद 25 द्वारा किया जाता है परंतु विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और वंशागति से संबंधित विधि का परीक्षण सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर तथा संविधान के भाग प्प् के अन्य प्रावधान की कसौटी पर किया जाता है।

निवेदन है कि बहुविवाह/निकाह, हलाला को न तो अन्त:करण की स्वतंत्रता और न ही धार्मिक प्रचलन के रूप में संविधान के अनुच्छेद 25 का संरक्षण मिल सकता है। यह भी बताया जाता है कि बहुविवाह/निकाह हलाला सुखी जीवन और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के रूप में प्राणों और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है।

तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला मनमाना प्रचलन है तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के विरूद्ध है। ऐसे प्रचलन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। इस प्रकार इन प्रथाओं को मानव बलि या सती प्रथा की तरह रोका जा सकता है। तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला को क्रमश: भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए), 494 और 375 के अंतर्गत अपराध घोषित किया जा सकता है। 26 मार्च, 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले नोटिस दिया जा चुका है और अब यह मामला पांच सदस्यीय संविधान पीठ के गठन के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लंबित है।

भा.नी.प्र. दल द्वारा लिए गए तीन तलाक पीड़िताओं के साक्षात्कार की सूची

क्र.सं.	नाम	उम्र	पता
1	मोज़्मा	29 वर्ष	दिल्ली
2	नरगिस	26 वर्ष	दिल्ली
3	नसीम बानो	32 वर्ष	दिल्ली
4	नजमा खान	48 वर्ष	दिल्ली
5	रहनुमा	21 वर्ष	दिल्ली
6	समीना बेगम	42 वर्ष	दिल्ली
7	अनवर जहाँ	52 वर्ष	जयपुर
8	आफरीन रहमान	30 वर्ष	जयपुर
9	जहाँ आरा	46 वर्ष	जयपुर
10	मोहसिना रंगरेज	27 वर्ष	जयपुर
11	नसीम अख्तर	56 वर्ष	जयपुर
12	नगमा नाज़	20 वर्ष	
13	नाजमिन	33 वर्ष	जयपुर
14	रफत जहाँ	39 वर्ष	जयपुर
15	रजीना	51 वर्ष	उत्तराखंड
16	आतिया साबरी	34 वर्ष	उत्तर प्रदेश
17	बिल्किस	.....	अनुरोध पर पता गुप्त रखा गया है।
18	फरजाना	36 वर्ष	उत्तर प्रदेश
19	इमराना	18 वर्ष	उत्तर प्रदेश
20	इरम बहार	29 वर्ष	उत्तर प्रदेश
21	मंतशा	18 वर्ष	अनुरोध पर पता गुप्त रखा गया है।
22	नसरीन	34 वर्ष	उत्तर प्रदेश
23	रिज़वाना बानो	34 वर्ष	अनुरोध पर पता गुप्त रखा गया है।
24	शबनम	26 वर्ष	उत्तर प्रदेश
25	शानिया	27 वर्ष	उत्तर प्रदेश
26	शायदा परवीन	34 वर्ष	उत्तर प्रदेश
27	शाज़िया खान	26 वर्ष	उत्तर प्रदेश
28	शायरा बानो	42 वर्ष	उत्तराखंड

संदर्भ

1. https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Nikah&item_type=topic&sr=50
2. https://www.academia.edu/23435149/MARRIAGE_DIVORCE_AND_RE-MARRIGE_HALALA_IN_ISLAM_by
3. http://www.oba.org/en/pdf/sec_news_fam_may12_Enforcing_Jamal.pdf
4. https://www.heacademy.ac.uk/system/files/introduction_to_islamic_family_law.pdf
5. http://www.bbc.com/news/uk-39480846
6. "Ulema", in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 03 July 2017 <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_DUM_3462>
7. http://www.sikhiwiki.org/index.php/Qazi
8. http://www.springer.com/in/book/9781461435518
9. Boudhik Samvad ka Abhipraya' VaicharikAsprashytakepicheetarkaurTakat India Policy Foundation ISBN : 978-93-84835-08-8
10. http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/bmma-collects-50000-signatures-against-triple-talaq- seeks-ncw-support-2827970/
11. http://www.deccanherald.com/content/606774/aimplb-issues-code-conduct-talaq.html
12. http://timesofindia.indiatimes.com/india/instant-talaq-verdict-anti-sharia-jamiat/articleshow/60200324.cms accessed on 25 August 2017
13. http://indianexpress.com/article/india/siddiqullah-chowdhury-describes-sc-verdict-on-instant-triple-talaq-as-unconstitutional-4809934/ accessed on 25 August 2017
14. http://www.aimplboard.org/index.html--Accessed on 25 May, 2017
15. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4235999.stm--Accessed on 25 May, 2017
16. http://www.muslimwomenpersonallaw.com--Accessed on 25 May, 2017
17. http://www.hindustantimes.com/lucknow/muslim-law-board-shows-the-door-to- woman-member-who-opposed-triple-talaq/story-wtRSDmSrcfGKTWsO3Fn4cM.html --Accessed on 23 May, 2017
18. https://scroll.in/latest/834303/even-uttering-talaq-300-times-will-not-materialise-into-a-divorce- says-aimplb-vice-president-Accessed on 24 May, 2017
19. http://www.ndtv.com/india-news/shia-board-compares-triple-talaq-to-sati-demands-strict-law-1682510.com -Accessed on 24 May, 2017
20. https://timesofindia.indiatimes.com/india/aimplb-plans-shariat-courts-in-all-districts-of-country/articleshow/64905644.cms
21. http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/only-a-muslim-marriage-act-can-end-triple-talaq-halala-shaista-amber/articleshow/58482126.cms
22. http://www.timesnow.tv/india/article/eight-muslim-majority-countries-have-abolished-triple-talaq-why-not-india/60864
23. ibid

24. https://defence.pk/pdf/threads/if-pakistan-and-21-other-countries-have-abolished-triple-talaq-why-cant-india.455651/
25. Supra note 20
26. http://www.jagranjosh.com/general-knowledge/muslim-countries-where-triple-talaq-is-banned-1490788669-1
27. http://indianexpress.com/article/research/from-pakistan-to-egypt-the-muslim-countries-that-have-moved-ahead-from-triple-talaq-4617641/
28. ibid
29. ibid
30. http://www.firstpost.com/india/triple-talaq-muslim-law-board-should-take-cues-from-divorce-rules-in-22-islamic-nations-not-delay-reforms-3382416.html
31. https://defence.pk/pdf/threads/if-pakistan-and-21-other-countries-have-abolished-triple-talaq-why-cant-india.455651/
32. https://infogalactic.com/info/Legal_status_of_polygamy
33. ibid
34. ibid
35. ibid
36. ibid
37. Supra note 25
38. http://www.firstpost.com/india/triple-talaq-muslim-law-board-should-take-cues-from-divorce-rules-in-22-islamic-nations-not-delay-reforms-3382416.html
39. ibid
40. https://docs.google.com/presentation/d/1EF7hPRtaGNVY15KoKZRPRNsB_AcxmcJ7AxbQm_CQPbE/edit#slide=id.p22
41. https://infogalactic.com/info/Legal_status_of_polygamy
42. ibid
43. ibid
44. ibid
45. http://www.pascalef.com/wp-content/uploads/2016/08/13.-The-Reception-of-Muslim-Family-Laws-in-Western-sLiberal-States.pdf
46. ibid
47. https://www.thesun.co.uk/news/3001087/sharia-law-uk-muslims-islamic-legal-system/: http://www.economist.com/blogs/erasmus/2016/11/sharia-law-britain
48. http://onefamilylaw.ca/doc/FLEW_CCMW_MD_EN.pdf
49. https://www.wodc.nl/binaries/summary_tcm28-71181.pdf
50. http://www.iqrasense.com/muslim-marriage/muslim-divorces-in-secular-law-countries.html
51. http://www.legalserviceindia.com/article/1393-Divorce-under-Muslim-Law.html--Accessedon30, May, 2017; https://vakilsearch.com/advice/muslim-marriage-law-india.com
52. Anand, A.S., Justice for Women concerns and expressions, 2002 at p. 42.
53. Ali, Syeda Muneera, "Top Five Judgments on Legal Rights of Muslim Women in India",
54. Supra note 1
55. 1985 SCC (Criminal) 245; AIR 1985 SC 945
56. Para 3, PP 248-249.

57. (1979) 2 SCC 316.
58. 1980) 4 SCC 125.
59. Para 29, PP 260-261.
60. Para- 32, PP 261-262.
61. (2001) 7 SCC 740.
62. Danial Latifi Case, Para- 28, Page- 760
63. MANU/SC/0850/2002.
64. (2017) 9 SCC 1.
65. Writ Petition (C) No. 222 of 2018.
66. (1997) 3 SCC 573.
67. http://supremecourtofindia.nic.in/pdf/jud/Supreme%20Court%20of%20India%20Judgment%20WP(C)%20No.118%20of%202016%20Triple%20Talaq.pdf Accessed on 28 August 2017
68. https://indiankanoon.org/doc/332673/Accessed on 28 August 2017
69. ibid 58
70. http://www.news18.com/news/judiciary/5-judges-5-faiths-take-a-look-at-the-triple-talaq-constitution- bench-1498367.htmlAccessed on 28 August 2017
71. http://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-urdu-press-surgical-strikes-narendra-modi-rahul-gandhi-dalit-rQemark-triple-talaq-india-bihar-liquor-ban-3083799/ Accessed on 30 June2017
72. Jadeed Markaz 16 April 2017
73. http://www.firstpost.com/india/triple-talaq-verdict-despite-sc-ruling-ulema-continue-to-support-practice-campaign-against-uniform-civil-code-3966393.htmlAccessed on 28 August 2017
74. http://www.business-standard.com/article/news-ians/judgement-contradictory-fractured-aimplb-s-women-s-wing-117082201121_1.htmlAccessed on 29August 2017
75. https://www.jamiatulama.in/single-post/2017/08/23/Jamiat-reacts-to-verdict-of-Supreme-Court-regarding-issue-of-triple-talaqAccessed on 29August 2017
76. http://indianexpress.com/article/india/siddiqullah-chowdhury-describes-sc-verdict-on-instant-triple-talaq-as-unconstitutional-4809934/Accessed on 29August 2017
77. ibid 62
78. http://indianexpress.com/article/india/triple-talaq-verdict-victory-for-muslim-women-says-aimwplb-on-supreme-court-judgment-4808138/ Accessed on 29August 2017
79. http://www.aiumb.org/we-stand-by-the-muslim-personal-laws-not-the-self-imposed-muslim-personal-law-board-aimplb-syed-mohammad-ashraf/ Accessed on 29August 2017
80. https://indianexpress.com/article/india/triple-talaq-bharatiya-muslim-mahila-andolan-zakia-suman-muslim-family-law-4984797/
81. http://www.dnaindia.com/india/report-tortured-triple-talaq-victim-dies-in-uttar-pradesh-2636004

तीन तलाक पीड़िताओं के साथ
भारत नीति प्रतिष्ठान के शोधार्थी

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

Triple talaq

of breaking

In 12 yrs, this hapless woman was given triple talaq thrice

In her fourth marriage now, 35-yr-old Tara Khan (in pic) lives each day terrified that her current

THAT SHE WAS AN ESCORT

Men more judicious, so can use triple talaq: AIMPLB

Ban On Polygamy Encourages Illicit Sex, Muslim Law Board Tells SC

Dhananjay Mahapatra

'MISTRESS WORSE'

Sharia grants right to divorce to husband because men have **greater power of decision making.** They are more likely to control emotions

Triple talaq worst form of breaking marriage: SC

STATESMAN NEWS SERVICE

NEW DELHI, 12 MAY

tice as "abhorrent" to the tenets of holy Quran because it makes a distinction on the ground of sex. He said it does not give women equal right to divorce. "No amount of advocacy can or will save this sinful, repugnant practice which is contrary to the

राज्यसभा में हंगामे के चलते फिर अटका तीन तलाक बिल

प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव खारिज, सरकार ने कहा-24 घंटे पहले आते

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

राज्यसभा में तीन तलाक बिल यानी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 बृहस्पतिवार को भी पारित नहीं हो पाया और न ही विपक्ष की मांग पर इसे प्रवर समिति को भेजा गया। इस पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ... समिति के पास ... देर से आया ... घंटे पहले प्रस्ता... सरकार ने

हवाला दे विपक्ष के दोनों संशोधनों को असंवैधानिक ठहराया। जेटली ने कहा कि सदस्यों के मौखिक नाम देकर प्रस्ताव पेश करने की संसदीय परिपाटी नहीं है। सभी दलों का प्रतिनिधित्व भी नहीं है। बिल

कार्यसूची में शामिल करने को लेकर भी दो बार हुई गरमागरम बहस

या मतविभाजन की मांग करता रहा। वित्त मंत्री के यह कहने पर कि सदन के ज्यादातर सदस्य बिल के खिलाफ हैं, कांग्रेस के सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले, बिल में कुछ

GENDER

TALAQ TALAQ TALAQ

Tortured Triple Talaq victim dies in UP

DNA Correspondent

correspondent@dnaindia.net

Lucknow: A Triple Talaq victim, who was allegedly thrashed and confined to a room without food for a month by her husband, died during medical treatment in Bareilly district of Uttar Pradesh on Tuesday.

The case of the triple talaq victim, identified as Razia, was taken up by an NGO Mera Haq. She was admitted in the hospital along with her six-year-old son. Farhat Naqvi, sister of Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi and founder of Mera Haq, told media that she was pronounced triple talaq by her husband Nahim about 45 days ago.

But even after giving her triple talaq, Nahim did not let her go and locked her up in a room along with her son. After locking, beating and denying her food and water for a month, Nahim then left her to a relative's house.

When her sister was informed about her ordeal, she brought her home. "We went to the police station to lodge a complaint against Nahim and his family members but the police did not register any case," the victim's sister said.

When the police did not help, the sister approached the NGO, which admitted the victim in a hospital and bore all her medical expenses.

About a week ago when her condition deteriorated, she was shifted to Lucknow for further treatment. The victim came back to Bareilly only three days ago and died on Tuesday due to torture, long starvation and dehydration.

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल,

हौज खास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष: 011-26524018

फैक्स: 011-46089365

ईमेल: indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट: www.indiapolicyfoundation.org